खण्ड-117, अंक-5
शुक्रवार, 19 पौष, शक संवत् 1874
(9 जनवरी, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 117 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ९ जनवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काञ्जी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
गजन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री

बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री

मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री

विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण , श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोबिन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

उद्योग मंत्री श्री हुकुम सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (ज़िला आगरा) (अनुपस्थित)-[देखिये आगे पृष्ठ २९५ पर।]

बस्ती ज़िले में पटवारियों की हड़ताल

*४—श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती ज़िले के किस तहसील के पटवारियों ने हड़ताल की है ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—बस्ती जिले की पांचों तहसीलों बस्ती, हरिया, खलीलाबाद, डुमरियागंज तथा बांसी के कुछ पटवरियों ने हड़ताल की थी जो अब समाप्त हो गई है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह हड़ताल कब शुरू हुई और कब खत्म हुई ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—यह हड़ताल १७ दिसम्बर को आंशिक रूप से शुरू हुई और धीरे-धीरे और तहसीलों के पटवारियान भी इसमें शामिल होते गये। लेकिन बीच में ये लोग काम पर भी आते रहे हैं। २६ और २७ दो दिन सब ने काम किया । लेकिन पड़ोसी जिले के बहुत बड़े नेता तशरीफ ले आये और उन्होंने फिर हड़ताल कर दी और उसके बाद कुछ लोग आते रहे और कुछ नहीं आते रहे। ५ तारीख़ की सुबह से हमारे पटवारी काम पर आ गये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन से राजनीतिक नेता था जिन्होंने पटवारियों को भड़काया ?

श्री चरण सिंह—श्री नरसिंह पांडेय और श्री शिब्बनलाल सक्सेना ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सही है कि प्रान्त भर के पटवारियों ने ९ जनवरी को संयुक्त हड़ताल करने की नोटिस दी है सरकार को ?

श्री चरण सिंह—९ जनवरी तो आज ही है। मेरे पास तो कोई नोटिस आयी नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पटवारियों की हड़ताल तोड़ने के लिये ताकत का भी इस्तेमाल किया गया है कुछ तहसीलों में ?

श्री चरण सिंह—मुझे तो शिकायत यह थी कि हमारे बस्ती के जिलाधीश ने बहुत उदारता से काम लिया है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि श्री शिब्बनलाल जी सक्सेना की जो गिरफ्तारी हुई है वह इसी सिलसिले में हुई है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, यह बिलकुल गलत है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार उन हड़ताली पटवारियों के ऊपर जो जुर्माने हुये हैं माफ कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—जिन लोगों पर जुर्माने हो चुके हैं अगर वह जिलाधीश से दरख्वास्त करेंगे तो तहकीकात के बाद अगर यह पाया जाय कि उनका कुसूर बहुत कम था तो उसके जुरमाने माफ करने पर विचार करने के लिये जिलाधीश ने उनको आश्वासन दे दिया है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन राजनीतिज्ञों ने पटवारियों को उभाड़ा था वह गिरफ्तार क्यों नहीं किये गये ?

श्री चरण सिंह—वह राजनीतिज्ञ थोड़े ही थे।

*५—श्री जगन्नाथ मल्ल—हड़ताल का कारण क्या है और पटवारियों की क्या मांगें हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पटवारियों के हड़ताल करने का विशेष कारण यह है कि वहां के कुछ राजनीतिक नेता उनको भड़का रहे थे और साथ ही साथ पटवारियान अपने वेतन में वृद्धि तथा उन पटवारियों को जो तहसील से ५ मील के दायरे के अन्दर रहते हैं, दैनिक भत्ता दिलाने की मांगों को स्वीकार कराना चाहते थे :

*६—श्री जगन्नाथ मल्ल—अब तक प्रदेश में कहां-कहां के पटवारियों ने पिछले महीने के भीतर हड़ताल की है और उनकी मांगे क्या रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पिछले तीन महीने के अन्दर जिला पीलीभीत की एक तहसील पूरनपुर में कुछ पटवारियों ने त्यागपत्र तहसील में दिये थे जिन्हें उन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा वापिस ले लिया था। पूरनपुर में पटवारियों के त्याग पत्र देने का मुख्य कारण उनको ५ मील के अन्दर भत्ता दिया जाना तथा उनके अफसरों द्वारा कथित दुर्व्यवहार था। इसके उपरान्त जिला बस्ती के पटवारियों ने हड़ताल की थी जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है।

तारांकित प्रश्न

मुरसान (अलीगढ़) के थानेदार का अत्याचार

*१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या यह सही है कि थाना मुरसान (अलीगढ़) के थानेदार ने १२-१३ वर्ष के एक लड़के को कील से जलाया और बुरी तरह पीटा था?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं।

*२—श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि उसी थानेदार ने श्री रहीमउद्दीन और सुल्तान नाम के व्यक्तियों को भी बुरी तरह पीटा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश के पास इस तरह की शिकायत आई थी परन्तु उसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

*३—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसके पास उक्त थानेदार के खिलाफ इस आशय की शिकायतें आई थीं? यदि हां, तो क्या कार्यवाही उस थानेदार के खिलाफ की गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी को स्मरण है कि जिन लोगों को पीटा गया वे स्वयं एक अर्जी लेकर गृह मंत्री से मिलने यहां आये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे खेद है कि मुझे स्मरण नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री को मालूम है कि अलीगढ़ के एम० पी० स्वयं इस मामले की जांच करने गये हैं और सही पाकर उन्होंने जिलाधीश को रिपोर्ट भेजी थी कि थानेदार ने इन दोनों व्यक्तियों को बुरी तरह पीटा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किन एम० पी० साहब ने जिलाधीश के पास जांच करके रिपोर्ट भेजी थी इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में कोई जांच करायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य के प्रश्न पर एक बार तो जांच कराई गई और मैं नहीं समझता कि अब माननीय सदस्य क्या कार्यवाही चाहते हैं।

अभावग्रस्त ज़िलों में विद्यार्थियों को सरकारी सहायता

*४—श्री गेंदा सिंह—अभाव ग्रस्त जिलों में स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सरकार ने क्या कोई सहायता की है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां, केवल स्कूलों और कालेजों में।

*५—श्री गेंदा सिंह—यदि हां, तो क्या और कहां कहां?

डाक्टर सीताराम—गोंडा, गोरखपुर, बहराइच, देवरिया, आजमगढ़, मिर्जापुर, बनारस तथा बस्ती जिलों के समस्त राजकीय तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में २० प्रतिशत विद्यार्थियों की पूरी और ३० प्रतिशत विद्यार्थियों की आधी फीस माफ करने की आज्ञा प्रदान करने का अधिकार जिलाधीशों को दे दिया गया है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह आदेश किन-किन जिलों को किन-किन तारीखों में भेजे गये थे?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—१३ सितम्बर को भेजा गया था। जिलों का नाम तो अभी बताया गया है।

श्री गेंदा सिंह—किन-किन जिलों से यह रिपोर्ट माननीय शिक्षा मंत्री जी को मिल चुकी है कि वहां पर इस आदेश के मुताबिक कार्यवाही हुई?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी आशा की जाती है कि इन सभी जिलों में इस आदेश के मुताबिक कार्यवाही की गई।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को यह मालूम है कि देवरिया जिले में अभी तक इस बात पर कोई कार्यवाही नहीं की गई?

डाक्टर सीताराम—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देवरिया को १३ सितम्बर को यह सूचना दे दी गई है कि वह भी इस काम में अपना हाथ लगावें।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री को यह बात मालूम है कि देवरिया में इस आदेश के लागू न होने की वजह से सैकड़ों विद्यार्थियों का नाम खारिज कर दिया गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*६—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार ने इस संबंध में जो आदेश दिये हैं उसकी प्रतिलिपि वह मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—राजाज्ञा की एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४७ पर....)

हल्द्वानी तहसील तथा शहर के अन्दर चोरियों और डकैतियों की संख्या

*७—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पिछले ६ महीने के अन्दर हलद्वानी तहसील तथा शहर के अन्दर कितनी डकैती और चोरियां हुईं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना इस प्रकार है।

	हल्द्वानी तहसील	हल्द्वानी शहर
डकैती ..	६	....
चोरी ..	७३	३४

*८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि स्थानीय पुलिस अथवा अधिकारी कहां तक उपर्युक्त मामलों में चोरों अथवा डकैतों को पकड़ने में कामयाब हुये तथा कितने तत्संबंधी मुक़दमे चलाये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९ चोरों और २ डकैतों को पुलिस ने पकड़ा और २ डकैती तथा १५ चोरी के मुक़दमें चालान किये गये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना आयी है कि इन सब चोरियों और डकैतियों में जनता का कुल कितना नुक़सान हुआ हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*९—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—[२३ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन पाठशाला पल्हनी (सदर) आजमगढ़ के भवन के लिय अनुदान

*१०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला अजमगढ़)— क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन पाठशाला पल्हनी (सदर) आजमगढ़ की इमारत के ग्रांट का प्रश्न कितने दिनों से विचाराधीन है और कितनी सहायता दी जा चुकी है?

डाक्टर सीताराम—हरिजन कन्या पाठशाला पल्हनी सदर आजमगढ़ की इमारत के अनुदान का प्रश्न वित्तीय वर्ष १९४८–४९ में उपस्थित हुआ था और उसी वर्ष इसके लिये २,००० रुपया की धनराशि स्वीकृत की गई।

*११—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन सहायक अफसर ने जिला विद्यालय निरीक्षण आजमगढ़ और परगनाधीश सदर के साथ उक्त पाठशाला का निरीक्षण किया था? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट थी?

डाक्टर सीताराम—इस विषय में कोई सूचना अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

हरिजन पाठशाला पल्हनी (सदर) आजमगढ़ के भवन के लिये अनुदान।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस इमारत का तखमीना सरकार की ओर से मांगा गया था?

डाक्टर सीताराम—जी हां, मांगा गया था और सरकार को मिल भी गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतला सकते हैं कि वह तख़मीना कितने का था?

डाक्टर सीताराम—१७,८२८ रु० का।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतला सकते हैं कि उस तखमीने में से सरकार को कितना देना निश्चय किया गया था ?

डाक्टर सीताराम—उसमें से उन्होंने ८,९१४ रु० मांगा था।

*१२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त कन्या पाठशाला को और कितनी सहायता भवन निर्माण के लिये दी जायगी?

डाक्टर सीताराम—इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ।

जिला बांदा, तहसील कर्बी में ऐतिहासिक पेशवों की इमारत की मरम्मत

*१३—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार को यह मालूम है कि बांदा जिले की कर्बी तहसील पुलिस थाना तथा नार्मल स्कूल का बोर्डिंग हाउस जिस इमारत में आबाद है वह पेशवों का महल है?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*१४—श्री जगपति सिंह—क्या इसकी दो मंजिलें पत्थर की बनी हैं और लकड़ी की धन्नी लचक कर टूट गई हैं और ऊपर का खंड गिर जाने से भारी इमारत ख़तरनाक़ होती जा रही है?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*१५—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार इस ऐतिहासिक इमारत की समुचित मरम्मत करके रक्षा करेगी?

डाक्टर सीताराम—सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला बांदा के चीफ़ इंजीनियर ने उक्त भवन का निरीक्षण करके उसकी मरम्मत का अनुमान माल विभाग को भेज दिया है।

श्री जगपति सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका एस्टिमेंट कितना है और कब तक काम आरम्भ किया जायगा?

डाक्टर सीताराम—इसका अस्टिमेंट ४७ हज़ार रुपया है।

आगरा युनिवर्सिटी में जांच कमेटी बैठाने का प्रस्ताव

*१६—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मूंथम जांच कमेटी की तरह क्या वह आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में कोई जांच कमेटी बैठावेंगे ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यूनिवर्सिटी संचालन के संबंध में जनता में काफी शिकायतें हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, यह भी मालूम है और यह भी मालूम है कि बहुत से लोगों को कोई शिकायत नहीं है।

जौनपुर के अन्तर्गत सरसरा पुलिस चौकी पर सिपाहियों के रहने का प्रबंध

*१७—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को यह पता है कि जौनपुर के अन्तर्गत सरसरा पुलिस चौकी पर सिपाहियों के रहने का स्थान ठीक नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। सरसरा चौकी के भवन में, जिसे वहां की जनता तथा सिपाहियों ने स्वयं बनाया है, सिपाहियों के रहने के लिये उचित तथा पर्याप्त स्थान है। उसमें कुछ मरम्मत की आवश्यकता है जिसे करा देने का विचार है।

जिला जौनपुर में बन्दूक़ के लाइसेंस

*१८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के जिन क्षेत्रों में चोरियां तथा डाके अधिक पड़ रहे हैं उन क्षेत्रों में सरकार ग्रामीण जनता को अपनी जान-माल की रक्षा के लिये बन्दूक़ का लाइसेंस अधिक संख्या में देना चाहती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जौनपुर जिले में चोरी व डकैती के अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। योग्य प्रार्थियों को आवश्यकतानुसार लैसेन्स मिलने में असुविधा नहीं होती।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि योग्यता का प्रमाण-पत्र विधान सभा के मेम्बर भी दे सकते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रमाण पत्र तो कोई दिया नहीं जाता इसलिये कोई खास सवाल पैदा नहीं होता।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कौन-कौन सी योग्यता की आवश्यकता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ योग्यतायें तो ऐसी हैं जो आर्म्स ऐक्ट के रुल्स में दी हुई हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य खुद आसानी से पढ़ लेंगे, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें देखा जाता है कि भला आदमी है और उससे आशा की जाती है कि जो हथियार जिस काम के लिये मांग रहा है उसी काम में लावे।

*१९-२१—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—[३० जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[२३ जनवरी, १९५३ के लिए स्थगित किया गया।]

*२३—श्री महीलाल—[इस प्रश्न का उत्तर ७ जनवरी, १९५३ को संख्या ३० के अन्तर्गत दिया गया।]

आगरा राजपूत कालेज के बिचपुरी फार्म के लिये किसानों से ली हुई भूमि का मुआविजा

*२४—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि आगरा राजपूत कालेज के बिचपुरी फ़ार्म के लिये किसानों की कितनी जमीन Acquire की गई और उसके लिये किसानों को किस शरह से कितना मुआविजा दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—६६० बीघा ११ विस्वा १० बिस्वान्सी । ३६३.३८ एकड़ । जमींदारों को रेवेन्यू मैन्युअल की धारा ४७४ (१) के अनुसार औसतन ११३ रु० ४ आना प्रति बीघा की दर से ७८,२४३ रु० ६ आना और काश्तकारों को ४८५ तथा ४८७ धाराओं के अन्तर्गत औसतन १८ रु० ६ आना की दर से कुल १२,७३४ रु० १० आना मुआविजा दिया गया। इसमें पेड़ आदि का रुपया भी सम्मिलित है ।

*२५—श्री रमेश वर्मा—यह जमीन किसानों से कब ली गयी और गत वर्ष तक इस भूमि में से कितने भाग का खेती के रूप में उपयोग किया गया ?

डाक्टर सीताराम—२४ सितम्बर सन् १६४६ ई० को । परन्तु ५०८ बीघा भूमि को किसान स्वयं १६५० ई० तक बोते जोतते रहे । तत्पश्चात् कालेज की लगभग कुल भूमि को खेती के रूप में उपयोग कर रहा है।

श्री रमेश वर्मा—शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १६५० तक जो किसान ऐसी भूमि जोतता रहा उसका लगान वसूल किया गया ? और यदि हां, तो किसने वसूल किया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि वहां के किसानों ने सत्याग्रह किया और यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी कुछ भूमि लौटा दी जायगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, उनको सौ बीघा जमीन लौटाई गयी है और ४३८ एकड़ जो बंजर भूमि थी वह भी उनको दी गयी है।

श्री रमेश वर्मा—माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों की जमीन इस फार्म में ली गयी है उनको मुआविजे के अलावा जमीन भी किसानों को कहीं दी गयी है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, दी गयी है ।

आगरा यूनिवर्सिटी कमेटी की नियुक्ति

*२६—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि युनिवर्सिटीज कमेटी की नियुक्ति कब हुई ? उसने अपनी रिपोर्ट कब दी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—युनिवर्सिटीज कमेटी की नियुक्ति सन् १६३८ ई० में हुई थी । उसने अपनी रिपोर्ट सन् १६४० ई० में दी थी । कमेटी की संस्तुतियों पर सरकार ने अपनी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि कांफ्रेंस द्वारा १६४६ ई० में विचार किया।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रश्न २६ के उत्तर में उन्होंने कहा है कि कांफ्रेंस द्वारा १६३६ में विचार किया गया था, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उस सब का परिणाम यह है कि आगरा युनिवर्सिटी का एक संशोधक बिल आपके सामने प्रस्तुत होगा।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आगरा विश्वविद्यालय को संस्तुति भेज दी गयी थी उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, उन्होंने एक उत्तर जरूर दिया था।

श्री देवकीनन्दन विभव—वह उत्तर उन्होंने क्या दिया है यह बताने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, उन्होंने प्रायः उसका विरोध ही किया था ।

*२७—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या इस रिपोर्ट में आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में परीक्षाओं की नियुक्ति और पाठ्य-पुस्तकों के निर्वाचन के संबंध में कड़ी आलोचना की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निश्चय किया है ?

डाक्टर सीताराम—आगरा विश्वविद्यालय में परीक्षकों की नियुक्ति तथा परीक्षा इत्यादि के संबंध में भी कमेटी ने अपनी संस्तुति दी थी जिन्हें आगरा विश्वविद्यालय को सूचनार्थ भेज दिया गया था।

[अनुपस्थित सदस्य के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

जिला आगरा में अपहरण की घटनायें

*१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री जरार थाना वह जिला आगरा में तारीख २८ दिसम्बर, १९५२ ई० की रात्रि को जो पांच व्यक्तियों के अपहरण की घटना हुई है उसका पूर्ण विवरण देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३४९ पर)

श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)—क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गिरोह में कितने डाकू थे, उनके पास कोई हथियार थे और वे पैदल थे या कोई सवारी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मालूम हुआ उस गिरोह में १३ डाकू थे, और किसी सवारी का पता तो नहीं लगता लेकिन बंदूकें उनके पास जरूर थीं।

श्री बाबूलाल मीतल—क्या यह बात सही है कि जो लोग पकड़े गये थे उनमें से ज्वाला प्रसाद को यह कह कर छोड़ दिया गया है कि २० हजार रुपये फौरन भिजवा दो वर्ना तुम्हारे भाई सीताराम को गोली से मार दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ज्वाला प्रसाद को छोड़ा जरूर गया है, लेकिन उनसे क्या कहा गया है इसका ठीक-ठीक पता नहीं इसलिये कि ज्वाला प्रसाद ठीक-ठीक बात कोई बतलाते नहीं। बहरहाल, जहां तक मारनेपीटने की बात है इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि वह और उनके परिवार के लोग सुरक्षित रहें।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १—३ श्री बाबूलाल मीतल ने पूछे।

श्री नेकराम शर्मा —क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि ऐसी घटनायें निरन्तर हो रही हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या प्रयत्न किये हैं और उन प्रयत्नों में अब तक कहां तक सफलता हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसी घटना यह हो गयी ठीक ऐसे स्केल पर तो कोई दूसरी घटना नहीं हुई। लेकिन हां, यह बात बिल्कुल सही है कि वाह के क्षेत्र में लोगों के अपहरण की घटनायें कई एक हुईं। उन घटनाओं में से कुछ लोग मिले और कुछ नहीं मिले। यह घटना काफी गम्भीर घटना हुई जिससे वहां के लोगों में काफी परेशानी है। दिक्कत थोड़ी सी इस बात की पड़ती है कि वहां मध्य भारत बिलकुल मिला हुआ है और चम्बल और यमुना की जो घाटियां हैं उनमें वे डाकू लोग भाग जाया करते हैं। बहरहाल, इस बार ऐसा हुआ है कि जितनी अधिक से अधिक मदद पहुंचाना सम्भव था वह पहुंचायी गयी है। हमारे डी० आई० जी० वहां मौजूद हैं और हमारी पुलिस और डाकुओं से एक बार मुठभेड़ भी हो चुकी है। मध्य भारत की पुलिस से भी मुठभेड़ हो चुकी है। उनकी पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर मारा भी गया। मध्य भारत के आई० जी० पुलिस भी वहां मौजूद हैं। दो जगहें कुरौठा और कुदौना हैं जिनके बीच डाकुओंका गिरोह है ऐसा मालूम हुआ है और ऐसा ख्याल है कि हमारी पुलिस ने और मध्य भारत की पुलिस ने उनको घेर लिया है। निकल जायं तो मैं कह नहीं सकता क्यों कि वहां घटियां हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि किसी दिन किसी घंटे भी हमारी और उनकी मुठभेड़ हो सकती है और ऐसा हुआ तो बहुत काफी सम्भव है कि हम उनको खत्म करदें।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री को विदित है कि इन पांच आदमियों का जो अपहरण किया गया तो दिन में किया गया और दूकान से उठाकर ले जाया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह जो बयान दिया गया है उसमें लिखा गया है कि इनके अपहरण का समय साढ़े सात बजे का था। इसको आप चाहे रात कहिये चाहे दिन। दुकान से जरूर ले गये।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर ऐसी घटनायें हो रही हैं वहां के लोगों में साहस पैदा करके डकैतों का मुकाबिला करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है कि उनको किस तरह से संगठित किया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, हम विचार जरूर करते हैं और प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें दिक्कत यह हो गई है कि वह बहुत आसानी से मध्यभारत में चले जाते हैं और वहां की गवर्नमेंट भी कोशिश करती होगी लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। वह लोग अपने लूट के माल में से लोगों को बांटते भी हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि ऐसे बहुत से मौके होते हैं कि हमें विश्वास होता है कि लोगों को हाल मालूम है लेकिन जो सूचना मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है।

श्री बाबूलाल शीतल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घटन के कितनी देर बाद पुलिस जरार में पहुंची थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट का कयाम वहीं पास में ही था और गोली की आवाज सुनते ही वह चल दिये।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या आनरेबिल होम मिनिस्टर मेहरबानी करके फरमायेंगे कि उन डकैतों में कोई पोलिटिकल गिरोह का कोई आदमी नहीं था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— उन डकैतों के पोलिटिकल ख्यालात हैं या नहीं मुझे पता नहीं लेकिन ऐसे किसी पोलिटिकल गिरोह के किसी आदमी के होने का मुझे ख्याल नहीं है।

श्री बाबूलाल मीतल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि घटना होने के इतनी जल्दी पुलिस पहुंच गई तब भी डाकू ६ मील तक उनको पैदल ले गये तो पुलिस के पास हथियार तथा जीप वगैरह के होते हुये उनका पीछा क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारी सूचना है कि डाकुओं का पीछा किया गया लेकिन कोई पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि साढ़े सात बजे अंधेरा हो जाता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री को सूचना मिली है कि स्थानीय पुलिस डकैतों से मिली हुई है इसलिये सफलता नहीं मिल रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस किस्म की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। इस किस्म की बात के मानने का विश्वास भी नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं और हमने भी पुलिस से कहा है कि यह मामला उनके लिये बड़ी बेइज्जती का है और पुलिस के लिये यह बड़ी शर्म की बात होगी और इस तरह की बातें होती रहें और रोकथाम करते रहने पर भी यदि कुछ न हो सके तो इसमें बड़ी बदनामी और बेइज्जती की बात होगी।

श्री रमेश वर्मा—क्या पुलिस मंत्री को पता है कि इस घटना के बाद ही दो डकैती और तीन कत्ल हुये हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह ठीक पहले की बात तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अपहरण के केस हुये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपयी (जिला लखनऊ)—जब सरकार को इस संबंन्ध में को सफलता नहीं हुई है तो क्या इन चार आदमियों को डकैतों से छुड़ाने के लिये सरकार ने भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने का कुछ प्रयत्न किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती जब कि मैं स्वयं कह रहा हूं कि हमने उनको घेर लिया है और आशा की जाती है कि किसी भी दिन और किसी घंटे हमारी पुलिस का उनसे मुकाबिला हो सकता है ऐसे समय में भारत सरकार से या किसी और सरकार से सहायता लेने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री ने इस बात की जांच कराई है कि कितने आदमी देहात छोड़कर शहर में आ बसे हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका कोई प्रमाण नहीं है कि एक आदमी भी आया।

श्री रामसुन्दर पांडेय —क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि सरकार की ओर से पुलिस का आयोजन इन घटनाओं को रोकने के लिये विशेष रूप से किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमेशा था और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बतलाया था कि यदि विशेष पुलिस का आयोजन न होता तो उनको घेर लेने की बात नहीं हो सकती थी ।

*२—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री को विदित है कि इस क्षेत्र में अपहरण की घटनायें निरन्तर होती रहती हैं और अपहृत लोग बिना Ransom दिये मुक्ति नहीं पाते।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कई घटनायें अवश्य हुई हैं परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि अपहृत लोग बिना Ransom दिये नहीं छोड़े जाते ।

*३—श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री को विदित है कि इन घटनाओं के कारण भले लोग धीरेधीरे गांवों को छोड़ शहरों में बसते चले आ रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन घटनाओं के कारण इस क्षेत्र में कुछ आंतक अवश्य फैल गया है ।

---

*पूंजीवादी तत्वों की समाप्ति के संबध में संकल्प

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमान् आपकी आज्ञा से मैंने उस दिन इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया था कि यह सदन इस प्रदेश में पूंजीवादी तत्वों की समाप्ति संबंधी अपने अगस्त, १६४६, के संकल्प को दृढ़ निश्चय से दोहराता है।

श्रीमान् १३ अगस्त, १६४६ को उस समय के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस सदन के सामने पूंजीवाद के समस्त रूपों के विषय में निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया था और जिसका अभिप्राय मेरे संकल्प में निहित है—

"इस असेम्बली की सम्मति है कि पूंजीवाद के समस्त रूपों की समाप्ति समाज की भलाई के लिये आवश्यक है और सरकार विश्वास करती है कि जब संभव होगा तब उत्पादन विनिमय और वितरण के मुख्य साधनों के समाजीकरण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी।"

श्रीमान्, सन् ४६ में यह प्रस्ताव माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से प्रस्तुत किये जाने के बाद इस सदन के द्वारा पूर्ण बहुमत के द्वारा स्वीकृत किया गया था। वह सन् ४६ था और आज सन् ५३ है। मैं यह नहीं कह सकता कि कहां तक हमारे प्रदेश की सरकार ने सदन के उस समय के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया या नहीं किया। मेरा विचार आज इस प्रस्ताव को आपकी आज्ञा से उपस्थित करते हुये यह नहीं है कि इस पर कोई आलोचना करें कि सदन द्वारा उस समय के स्वीकृत प्रस्ताव को कहां तक कार्यान्वित किया गया है। आज का मेरा प्रस्ताव केवल हमारे उस ऐतिहासिक निश्चय को दोबारा दोहराने के लिये एक प्रस्तावना है क्योंकि एक नये विधान के लागू होने के बाद और नये विधान के अनुसार इस सदन के निर्वाचन के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि पहली बार विधान के अनुसार निर्वाचित यह सदन अपने उस ऐतिहासिक निर्णय को दोहराये। जहां तक पूंजीवाद का संबंध है उससे क्या समाज में अव्यवस्था होती है ? कैसा शोषण होता है मुझे यह विश्वास है कि इस सदन के माननीय सदस्य मुझ से ज्यादा जानते हैं । जब कभी पूंजीवाद व्यवस्था के छिद्रान्वेषण का प्रश्न उठता है या उठ सकता है यह ठीक है और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सदन के अनेकों माननीय सदस्य मुझसे अच्छा विश्लेषण पूंजीवाद व्यवस्था की कमजोरियों का कर सकते हैं। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान पूंजीवाद व्यवस्था के विश्लेषण की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं कि पूंजीवाद क्या है, उद्योग पूंजीवाद क्या है या खेतिहर पूंजीवाद क्या है ?

मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि यह सदन जोरदार शब्दों में और पूर्ण रूपेण अपने उस संकल्प को व्यक्त ही न करे बल्कि उसे कार्यान्वित करे। हम अपने इस सदन के सन् ४६ के प्रस्ताव को केवल दोहराते ही नहीं हैं बल्कि साथ ही साथ यह निश्चय करते हैं कि जहां तक हो अपने उस दृढ़ निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये प्रेरित करते हैं और वह अपने पूंजीवाद के समस्त रोगों को समाप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। पूंजीवाद किस तरह से मानव समाज की हत्या करता है, किस तरह से मानव समाज की प्रगति को आगे बढ़ने से रोकता है इसको हम सभी जानते हैं। चाहे किसी भी देश की संस्कृत हो, चाहे किसी देश की विशेष हिस्से की संस्कृत हो उसको किस प्रकार से हनन करता है यह भी हम सब जानते हैं।

---

*क्रम के लिये १२ दिसम्बर, १६५२ की कार्यवाही देखिये।

किस प्रकार पूंजीवादी तत्व मनुष्य के मस्तिष्क को विकृत कर सकता है ? किस प्रकार बहुत बड़े कलाकारों और बहुत बड़े साहित्यकारों से पूंजी के प्रभाव से काम कराया जाता है ? किस प्रकार से उनको अपना एक प्रकार से चेला बनाकर पूंजी का प्रलोभन उनमें व्याप्त करके कार्य कराये जाते हैं यह हम सब जानते हैं। किस प्रकार अतिरिक्त मूल्य लेकर दूसरे मनुष्य का श्रम अपनाकर अपनी व्यक्तिगत आमदनी बढ़ाई जाती है भले ही यह एक उद्योग धंधा हो, भले ही यह खेती का काम हो लेकिन किस प्रकार से यह पूंजीवाद हमारे समाज को पीछे ले जाता है इस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं।

अब हमको यह विचार करना है कि पूंजीवाद का रूप क्या है ? यह पूंजीवाद ऐसा है कि जो हमारे प्रदेश या देश में ही नहीं है बल्कि सब जगह और देशों के अन्दर भी है। तब प्रश्न यह उठता है कि हम अकेले इस पूंजीवाद को कैसे समाप्त कर सकते हैं। यह हमारे प्रदेश का ही प्रश्न नहीं है कि इस पूंजीवाद को समाप्त किया जाय बल्कि सब देशों का प्रश्न है और एक बड़ी समस्या है। मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूंजीवाद की समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या मानी जाती है। यह किसी एक देश की समस्या नहीं है। इस विषय के जानकारों ने यह कहा है कि पूंजीवाद की समस्या किसी एक देश में समाप्त करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। ट्राटस्की ने तो यह कहा है कि जब तक किसी भी देश में पूंजीवाद कायम रहता है तब तक देश से पूंजीवाद समाप्त नहीं हो सकता है। आज मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता कि पूंजीवाद एक देश की समस्या है या सारे संसार की समस्या है ? हमको तो यह प्रश्न देखना है कि पूंजीवाद की व्यवस्था को समाप्त करने के लिये हम किस प्रकार से अग्रसर हो सकते हैं।

सर्वप्रथम खेतिहर पूंजीवाद की समस्या हमारे सामने है। यह ठीक है कि जमींदारी का विनाश होने से खेतिहर पूंजीवाद को समाप्त करने की ओर बड़ा कदम था और वह उसका सबसे बड़ा अंग था। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि जमींदारी विनाश होने के बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि खेतिहर पूंजीवाद की समस्या हल हो गयी। जब तक हम एक तरफ यह देखते हैं कि किसी एक विशेष व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीन है और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि खेतिहर मजदूर या किसान के पास कुछ भी जमीन नहीं है या उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जिसके पास बिलकुल जमीन नहीं है तो यह खेतिहर पूंजीवाद की समस्या बनी रहेगी। इन खेतिहर मजदूरों का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। जब हम इस बात को कहते हैं तो सदन के माननीय सदस्य इस बात को कह सकते हैं कि यह भूमि के बटवारे का प्रश्न है लेकिन इससे भी बड़ा यह प्रश्न है कि इस पूंजीवादी खेतिहर को प्रश्न हल किया जाय और यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न हमारे सामने औद्योगिक पूंजीवाद का आता है जिसको इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कहते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह प्रश्न इस प्रदेश का नहीं है क्योंकि यहां पर औद्योगिक पूंजीवाद बहुत कम है। कानपुर के जे० के० इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं या शुगर इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं जो कि हमारे प्रदेश के अन्दर पूंजीपतियों के हाथ में है। हमें इस बात की परमावश्यकता है कि औद्योगिक पूंजीवाद को समाजीकरण करने की चेष्टा करें। इसके दो अंग हो सकते हैं। एक तो वह पूंजीवाद का अंग है जो विदेशी पूंजी वाला कहलाया जा सकता है, जो इस प्रदेश में प्रयुक्त है और दूसरा वह है जिसको स्वदेशी पूंजी कहा जाता है और जो देशी पूंजीवाला कहलाया जा सकता है। इन दोनों प्रकार के पूंजीवाद को खत्म करने की हमको चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकार के कैपिटलिज्म को खत्म करके उसका समाजीकरण करना हमारा कर्त्तव्य है।

तीसरा पूंजीवाद का रूप जो हम कह सकते हैं वह यहां पर लोगों की आमदनी में असमानता है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि औसतन मजदूर या किसान या मामली सरकारी नौकर की आमदनी बहुत थोड़ी है और दूसरी तरफ बड़े-बड़े सरकारी नौकर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़े-बड़े पूंजीवादी लोगों की आमदनी है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो आमदनी की समान वितरण व्यवस्था को लाना यह भी परमावश्यक अंग है, और पूंजीवाद के इस रूप को समाप्त करना भी देश से पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिये बहुत जरूरी है ।

चौथा प्रकार उसका यह है कि हमारे यहां जो समाजिक भेदभाव है जो सामाजिक अन्तर्द्वन्द है और जो व्यापारिक अन्तर्द्वन्द है, व्यापार में जो शोषण और दोहन और ब्लैकमार्केटिंग आदि हैं वह भी पूंजीवादी व्यवस्था का ही एक विकृत रूप है जिससे व्यापारी वर्ग में भी ब्लैकमार्केटिंग की भावना प्राफिट मोटिव और एक्सेस प्राफिट मोटिव आता है और वह भी एक पूंजीवाद का ही रूप है। इसके और भी अनेक रूप हो सकते हैं मैं उनके ब्योरे में नहीं जा सकता, दूसरे सदस्य इससे अधिक जानते होंगे, मैंने तो केवल सिद्धांत के रूप में यह व्याख्या सदन के सामने रखी, हो सकता है कि दूसरे माननीय सदस्य इससे ज्यादा व्याख्या कर सकें और सिद्धांत की बात बता सकें। मैं आपकी आज्ञा से श्रीमन् सदन के सामने इस संबंध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। जहां तक औद्योगिक पूंजीवाद का प्रश्न है किस प्रकार हमारे देश में विदेशी पूंजीपतियों ने पूंजी पर आधिपत्य किया है, ऐसी पूंजी यहां पर १,०४३ करोड़ की विदेशी लगी हुई है। जब ईरान का तेल का प्रश्न उठा था तो माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बड़े साफ शब्दों में वहां के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का समर्थन किया था। मैं समझता हूं कि यहां भी अब वह समय आ गया है कि जब हम को निश्चय करना चाहिये कि विदेशी पूंजी जो यहां लगी है और हमारे उद्योग धंधों में जो उनका आधिपत्य है उसकी समाप्ति की जाय। मैं बतलाना चाहता हूं कि वह १,०४३ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी किस प्रकार लगी हुई है। एन्ड्रयू यूल ऐंड कम्पनी की ७८ कम्पनियों में, बर्ड ऐंड कम्पनी की ३१ कम्पनियों में, ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन की १६ कम्पनियों में, मार्टिन बर्न एन्ड कम्पनी की २० कम्पनियों में, जारडन हैन्डरसन एन्ड कम्पनी की २६ कम्पनियों में, गिलेन्डर्स आरबथनाट की ७० कम्पनियों में, जेम्स फिनले एन्ड कम्पनी की ४ कम्पनियों में, फिलिप्स निकसन ऐंन्ड कम्पनी की ८ कम्पनियों में मेक्लीन एन्ड कम्पनी की १८ कम्पनियों में और मेकलायड एन्ड कम्पनी की ५५ कम्पनियों में इस प्रकार से वह पूंजी लगी है। इस तरह से यह बड़ी बड़ी कम्पनियों के नाम हैं जो कि हमारे उद्योग धंधे पर अब भी छाये हुये हैं और आज भी उनका आधिपत्य यहां है। हमारी सारी की सारी चाय की कम्पनियां भी अधिकतर विदेशी पूंजी के ही आधिपत्य में हैं और उन्हीं का पूरा दायित्व है और अधिकतर मुनाफ़ा वह उठाती हैं। देशी पूंजीवाद को देखा जाय तो अकेले टाटा कम्पनी की आमदनी बिहार गवर्नमेंट के रेवेन्यू की आमदनी से ज्यादा है। कानपुर की जे० के० ग्रुप्स की आमदनी भी जो हमारी पार्ट सी० की स्टेट्स हैं उनके बजट से अधिक है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे यहां पूंजीवाद व्यवस्था तेजी पर पहुंच रही है। मैं यह तो नहीं कहता कि हमारे यहां पूंजीवादी व्यवस्था वैसी ही है जैसी अमरीका में है, यहां पर पूंजीवाद अभी विकसित नहीं हुआ है, लेकिन हमें उस दिन के लिये इंतजार नहीं करना चाहिये कि जब तक वह पूर्ण रूप से विकसित हो और बिलकुल पक जाय और तभी हम कहें कि नयी व्यवस्था लायी जायगी। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिये कि पहले तो उसे बनने दें फिर ढायें और तब फिर नयी व्यवस्था लाने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से उस दिन का इंतजार हमें नहीं करना चाहिये कि पहले वह प्राइवेट सेक्टर ठीक होगा तब पब्लिक सेक्टर बनेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये और हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना है। हमें तो यह निश्चय करना है कि हमें पूंजीवाद की व्यवस्था बनने का इंतजार नहीं करना है। हमें तो आज से इस बात का निश्चय करना है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनावेंगे जिसमें पूंजीवाद के समस्त रूप, चाहे खेती में हों या व्यवसाय में हों या उद्योग-धंधों में हों, समाप्त हों। सन् १९४६ से आज तक हमारे देश में एक अधिकारिक पूंजीवाद बढ़ता चला जा रहा है। मिसाल के तौर पर कोयले में ७ व्यक्ति ६४ कम्पनियों में डाइरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, चाय के उद्योग में ५ आदमी १३८ डाइ-

रैक्टरशिप, जूट में ४ व्यक्ति ८२ डाइरेक्टरशिप और ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज में २० व्यक्ति ८०५ डाइरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। सन् ४६ से आज तक जितने हमारे पास रेव्यून्यू आये हैं उनमें भी यह स्पष्ट है कि इस तरह की डाइरेक्टरशिप और कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में और ज्यादा होते चले जा रहे हैं। यही बात हम अखबारों में देखते हैं। पहले यह उधोग-धंधा ज्यादा व्यक्तियों के हाथ में था लेकिन जिस प्रकार कम्पीटीशन होता है उसी प्रकार वह चन्द व्यक्तियों के हाथों में जाता चला जा रहा है। अन्त में जब हम जनरल रिव्यू पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ८५० आदमी २ हाजार डाइरेक्टर शिप, ७० आदमी एक हजार डाइरेक्टरशिप और अन्ततः १० आदमी ३०० डाइरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। यह डाइरेक्टरशिप का हाल है।

अब दूसरी प्रकार की प्रणाली यहां मैनेजिंग ऐजेण्ट्स की सिस्टम है। सारे संसार के अर्थ शास्त्री कहते हैं और हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जो यहां बैठे हैं उनकी जो समाजवाद पुस्तिका है उसमें उन्होंने इसकी व्याख्या की है कि यहां के पूंजीवाद के रूप क्या हैं और किस प्रकार उनको नष्ट किया जा सकता है। जहां तक मैनेजिंग एजेंसी की व्यवस्था है उसे तो समाप्त होना ही है। जूट उद्योग में ८ मैनेजिंग एजेंट्स ६५ फीसदी पूंजी को कंट्रोल करते हैं और ६४ फीसदी कम्पनियां उनके हाथों में हैं। ३ मैनेजिंग एजेट्स २७ कम्पनीज को कंट्रोल करते हैं। कोयले में २१ मैनेजिंग एजेंट्स ६२ फीसदी को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के लिये कुछ नाम तो लेना ही पड़ते हैं, जैसे सर पुरूषोत्तमदास ठाकुरदास हैं जो ५१ कम्पनीज के डाइरेक्टर हैं। हमें इस एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकना है।

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और न मैं आंकड़ों की भूलभुलैया में माननीय सदस्यों को डालना चाहता हूं। मैं इस प्रस्ताव को इस आधार पर रख रहा हूं कि सभी माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा कैपिटैलिज्म को समाप्त करने के बारे में जानते हैं। सभी सदस्य जानते हैं कि हिन्दुस्तान में और हमारे प्रदेश में कितना पूंजीवाद है और कितना नहीं है और किस प्रकार इसे खत्म करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि युग की पुकार को देखते हुये और अपने व्यक्तिगत और दलगत विचारों को देखते हुये इस भवन का प्रत्येक माननीय सदस्य मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा और सरकार भी इसका समर्थन करेगी। लगातार पहले से हम सभी लोग पूंजीवाद की निन्दा करते आये हैं और ऐसी व्यवस्था के लिये जनता को प्रेरित करते आये हैं कि जिसमें हम पूंजीवाद को विनिष्ट करना चाहते हैं। तो मैं क्या आशा करूं? हो भले ही वह कैपिटल लेवी के द्वारा, हो भले ही किसी प्रकार से कोई तनख्वाह की एक सीमा रख कर हो, जैसा कि मद्रास सरकार ने भारत सरकार की आज्ञा चाही है कि जितने उसके यहां आई० सी० एस० अफसर हैं उनकी तनख्वाह की एक सीमा बांध दें। उसी प्रकार से चाहें तो आप भी कर सकते हैं। जैसे रोडवेज का राष्ट्रीयकरण है, इसका सामाजीकरण करने के लिये सरकार ने क्या किया है, अगर सरकार चाहे तो इस प्रकार का बजट ला कर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव एक्सपेंडीचर की बिना पर हम अपने प्रदेश की असमानता दूर करें। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर की बात मैं आप से कहना चाहता हूं कि इससे हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का अर्थ यह है कि जनता को जितना टैक्स देने की शक्ति हो उतना ही उससे लिया जाय और अधिकतर टैक्सेशन उन पर ही लगे जो टैक्स दे सकते हों। रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर का यह अर्थ है कि उस व्यक्ति के ऊपर सरकार अधिक खर्च करे जिसकी आमदनी का अनुपात कम हो। जितनी जिसकी आमदनी कम हो उतना ही उसके ऊपर ज्यादा खर्च हो। इस प्रकार से हम अपने प्रदेश के पूंजीवादी तत्वों को समाप्त करने और आमदनी की असमानता कम करने की ओर प्रोग्रेस कर सकते हैं। जहां तक कैपिटल लेवी का प्रश्न है यह कहा जाता है, यह आशंका की जाती है कि हमारे यहां ज्यादा आमदनी होने वालों की तादाद बहुत कम है और इससे कोई खास लाभ नहीं हो सकता है। श्रीमन्, मैं यह तो नहीं कहता हूं कि कितने व्यक्ति पर कैपिटल लेवी लगेगा, लेकिन सिद्धांत के

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रूप से इस प्रकार की असमानता ग़लत है। भले ही एक ही व्यक्ति पर इसका असर पड़ता हो, भले ही एक व्यक्ति की पूंजी पर हाथ लगता हो । पाश्चात्य मुल्कों में तो इस प्रकार के लेवी लगाने का एक नया ही तरीक़ा निकल गया है। यह ठीक है कि स्टेट डिग्यूटी बिल पर विचार हो रहा है और वह क़रीब-क़रीब पास भी हो चुका है और वह लागू भी किया जाने वाला है, लेकिन प्रश्न यह है कि पूंजीवादी जो तत्व हैं उनको समाप्त करने के लिये कोई क़दम उठाना है तो इस पर विचार करना अत्यन्त ही आवश्यक है । तो मैं अन्त में आप की आज्ञा से, सरकार से और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अवश्य ही इस प्रस्ताव का पूर्णरूपेण समर्थन करें और सुझाव दे तथा सरकार भी इस ओर अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक अग्रसर हो ताकि हम अपने स्वप्न को, अपनी योजना को, भले हो वह आप की पार्टी का कार्यक्रम हो, भलेही वह किसी दलगत विशेष का कार्यक्रम हो, हर पार्टी के कार्यक्रम में पूंजीवाद की समाप्ति के लिये कुछ न कुछ बात कही गयी है । मुझे आशा है और विश्वास है कि हम अपने ४६ के प्रस्ताव को आज अवश्य दोहरायेंगे और एक मत से दोहरायेंगे ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैंने माननीय नारायण दत्त जी के पूंजीवाद का ऊपर भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना। श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक कि पूंजीवाद के सिद्धांत का संबंध है, इस सदन का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके इस विचार से सहमत न हो कि शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी इस पूंजीवाद के विष को जितना समाप्त कर दिया जाय और जितना नीचे गाड़ दिया जाय उतना ही हमारे लिये कल्याण कर होगा। किन्तु जहां तक हमारे देश का इससे संबंध है मैं बड़ी विनम्रता के साथ आप के द्वारा इस सदन के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कोरे सिद्धांत की बात पर ही हम अपने विषय में कोई ग़लत धारणा न बना लें । इस प्रश्न का जहां तक सिद्धांत से संबंध है मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन मैं इसको इस स्थिति में, अपने देश की परिस्थिति में आवश्यक नहीं समझता हूं । मेरा यही निवेदन है कि इसकी आवश्यकता इसलिये नहीं मालूम होती कि मेरे विचार से वास्तव में पूंजीवाद हमारे देश में है भी नहीं और शायद जैसी हमारी प्रगति की गति है, वर्षों तक यह सम्भव नहीं है, और युगों तक सम्भव नहीं होगा। आज हम भारत के रहने वाले एशिया के बड़े भारी भूखंड के एक अंग हैं । एशिया का महाद्वीप, यह सब को विदित है कि सारे संसार की समूची आबादी का आधा हिस्सा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एक स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव समय इंगित नहीं करता है । सन् १९४६ का जो प्रस्ताव था, उसमें शब्द थे, "जब सम्भव होगा" । जब सम्भव हो, कोई समय की सीमा नहीं है । तो जब वह सिद्धांत में हमारे साथ हैं तो इस मेरे प्रस्ताव में तो केवल सिद्धांत की ही बात है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—यह मैं समझता था कि "जब सम्भव होगा" लेकिन मेरे सामने सम्भव होने की कोई सम्भावना नहीं है, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि एशिया, जिस भूखंड के हम रहने वाले हैं, उसकी समूची आबादी सारे संसार की ५० फीसदी है और संसार की उस ५० फीसदी आबादी वाले भू-भाग को सारे संसार की आमदनी का केवल १० फीसदी मिलता है। अब इस १० फीसदी भाग को बांट लें और समझ लें तो हमारे देश पर कुल ४ फीसदी भी नहीं पड़ता। आज हमारी भारत सरकार या केंद्रीय सरकार की समूची जितनी आमदनी है वह आमदनी इतनी कम है जिसको किसी पूंजीवाद या और किसी वाद के दायरे में नहीं लाया जा सकता। ४ अरब का जिस शासन का बजट हो उसमें हमें यह देख लेना होगा कि संयुक्त राज्य अमे-

रिका की गोश्त पैंकिंग वाली एक कम्पनी के बराबर भी आमदनी नहीं है तब उसकी आर्थिक व्यवस्था कहां तक पूंजीवादी है? श्रीमन्, जो इन्क्वायरी कमेटी इस सिलसिले में बैठी थी उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ८ अरब ७ करोड़ १० लाख रुपये जो वार्षिक राष्ट्रीय आमदनी होती है उसमें उस कमेटी के अनुसार ७८ फीसदी के क़रीब आमदनी केवल कृषि के ही धंधों से होती है और श्रीमन्, १९४९–५० में समूचे उद्योग व्यवसाय की आमदनी ५ अरब ८२ करोड़ रुपये की थी और कृषि की आमदनी १८५२ करोड़ रुपये की है। जहां की आमदनी उद्योग-धंधों से लेकर यानी ५ अरब ८२ करोड़ रुपये को ले कर चलती है उसमें हमको यह अनुमान लगाना है कि हमारे देश में कितनी बड़ी पूंजी है और कितना बड़ा पूंजीवाद है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह ५ अरब ८२ करोड़ रुपया कहां से आया? श्रीमन्, हमारे देश में ५५ लाख रुपये से अधिक आमदनी वाले ऐसे सब व्यक्तियों की संख्या ६९६ है और इन ६९६ में कुल १४६ व्यक्ति है और शेष कारपोरेशंस हैं जिनकी आमदनी कुल मिला कर ५५लाख रुपये वार्षिक से अधिक होती है और इन कम्पनियों द्वारा केंद्रीय सरकार को ७४ करोड़ रुपया इन्कमटैक्स के रूप में ४८–४९ में दिया गया था और इसके अलावा ४ करोड़ सुपरटैक्स में दिया गया था। तो यह तो हमारे उद्योग-धंधों से आमदनी हुई और माननीय नारायण दत्त तिवारी ने जो आंकड़े पेश किये हैं और जो बड़े उद्योग-धंधे गिनाये हैं मैं उनकी सेवा में निवेदन कर दूं कि हमारे देश में केवल ऐसी २९ कम्पनियां हैं जिनको "बिग बिजनेस" की श्रेणी में लिया जा सकता है और इन २९ कम्पनियों की समूची सम्पत्ति ४९ के वर्ष में क़रीब ७ अरब ८३ करोड़ रुपये की थी, यानी इनकी इतनी औद्योगिक उत्पत्ति हुई यह आमदनी नहीं है। उसमें से १०९ करोड़ रुपये केवल वेजेज यानी मजदूरी में दिये गये थे। अब श्रीमन् इसका जरा हमको विभाजन कर लेना चाहिये कि इन २९ कम्पनियों ने इतनी आमदनी की और १०९करोड़ रुपये वेजेज में डाल दिया और७ सौ करोड़ रुपये का सामान था अब कहां से कितना बचता है यह भी देख लेना होगा। हमारे देश में इन्कम टैक्स देने वालों की संख्या ४ लाख ४५ हजार है और इन ४ लाख ४५ हजार जो ऐसेसीज हैं उनकी समूची आमदनी ५०-५१ में ५ अरब ८७ करोड़ रुपये कूती गयी थी। ५८७ करोड़ कूती गयी आमदनी में से केंद्रीय सरकार ने ११६ करोड़ रुपया इन्कमटैक्स ले लिया और ६० करोड़ रु० सुपर टैक्स के रूप में ले लिया। अब इसके बाद कितना बच जाता है जरा यह भी मैं हिसाब बता देता हूं। इतना इनकमटैक्स और सुपर टैक्स देने के बाद बिग बिजनेस कितने बच जाते हैं? बिग बिजनेस हम उनको कह सकते हैं जिनकी सालाना आमदनी २५ हजार की हो। २५ हजार वार्षिक की आमदनी वालों की समूची आमदनी केंद्रीय सरकार द्वारा १९९ करोड़ रुपया कूती गयी थी। उस १९९ करोड़ रुपया में से ११२ करोड़ रुपया इनकमटैक्स और सुपर टैक्स के रूप में ले लिया जाता है। मैं अब, श्रीमन्, यह पूछता हूं कि जिस देश में १९९ करोड़ रुपया आमदनी करने वालों के पास सिर्फ ९० करोड़ रुपया छोड़ दिया जाता है। उनके खर्चे के लिये जिसमें एक रुपये में सवा बारह आने केंद्रीय सरकार ले लेती हो अपने खर्च को चलाने के लिये, उस देश में कहां से पूंजीवाद पनप सकता है। मैं यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं अपने उन मित्रों से जिनका ऐसा अनुमान है कि इस देश में पूंजीवाद के कारण आर्थिक और सामाजिक विष फैला हुआ है। जहां पूंजीवाद नहीं होता वहां आर्थिक, सामाजिक विष नहीं होगा। जो सब से पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां मजदूरी की जो औसत है उस मजदूरी की औसत को रूस की मजदूरी की औसत से मिलाने से एक सीधा सा हिसाब यह बैठता है कि एक बर्जन अंडे के लिये रूस के मजदूर को, संयुक्त राज्य अमेरिका के मजदूर के मुकाबले में १० गुना अधिक परिश्रम करना पड़ता है। एक बट्टी साबुन के लिये रूस के एक मजदूर को संयुक्त राज्य अमेरिका के मजदूर के मुक़ाबले में १४ गुना अधिक काम करना पड़ता है और आधा सेर आलू के लिये रूस के एक मजदूर को संयुक्त राज्य अमेरिका के मुकाबले में तीन गुना अधिक काम करना पड़ता है। यदि कोई माननीय सदस्य पौंड शिलिंग पेंस में समझना चाहें तो मैं समझा सकता हूं।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

यदि समाजवाद के विकास के द्वारा ही किसी राष्ट्र की औसत आमदनी बढ़ सकती हो तो इसके लिये छोटी मोटी मिसाल में दो तीन देशों को बता सकता हूं।

रूस की सब से अधिक उन्नति १९२९ और ३९ के बीच में हुई। उसी सरकार के कथानुसार उनके यहां आदमी की औसत आमदनी इसी अवधि में तीस गुना बढ़ गयी। जर्मनी की सब से अधिक उन्नति हुई १९३५ और ३९ के बीच में। पांच वर्ष के अन्दर हुई और जर्मनी के फी व्यक्ति की औसत आमदनी ४० गुना अधिक बढ़ गयी। और जापान की सब से अधिक उन्नति कही जा सकती है और १९१६ और १९२६ के बीच में। इस बीच में जापान की औसत आय, वहां के प्रतिव्यक्ति की दो सौ गुना बढ़ गयी थी। यह विवाद की बात नहीं है। चोरबाजारी केवल पूंजीवाद का ही अभिशाप हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मास्को का "ट्रेड, नाम का एक बहुत अच्छा अखबार है उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। उसने लिखा था कि रूस की सरकार के सामने एक बड़ी भारी समस्या है कि सरकारी शराब के कारखानों से लोग यानी जो शराब बनाने वाले मजदूर हैं वह शराब के कुछ हिस्से को गायब कर के चोरबार में बहुत अधिक बेच रहे हैं। इस कारण करोड़ों रुपया सरकार का शराब के कारखानों से चोरबाजार में हर साल चला जा रहा है। यह रूस की रिपोर्ट है। इसलिये यह निवेदन कर रहा हूं कि चोरबाजारी केवल पूंजीवादी सभ्यता के कारण नहीं है वरन् यह एक विस्तृत रोग है जो कि आज फैला हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा था भारतीय उद्योग में हमें अपने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। जो स्थिति हमारे प्रदेश में आज है वह क्या है? मैंने आचार्य कृपलानी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता है, उनका लेख पढ़ा था। गत वर्ष के २९ सितम्बर को। उस २९ सितम्बर के लेख में उन्होंने बताया था कि हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की नीति क्या है। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों के राष्ट्रीयकरण के विषय में हमारी जो नीति है वह इस प्रकार से होना चाहिये और वह यह कि स्टेट के हाथ में समूचे उद्योग धंधों, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को दे देने का परिणाम स्टेट कैपिटलिज्म हो जाता है और उसी का परिणाम डिक्टेटरशिप होता है और कम्युनिज्म फैलता है और एक आतंकवाद उत्पन्न होता है। इसलिये हम यह समझते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि स्टेट ही उद्योग धंधों को चलाये। इसलिये हम यह समझते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि स्टेट के हाथ में उद्योग धंधों का नियंत्रण हो, बल्कि हम यह समझते हैं कि उद्योग धंधे रहें, उनका प्रबंध मालिक भी करे, मजदूर भी करे और उसके साथ ही साथ स्टेट भी उसपर दखल रखे। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की मजदूर नीति और केंद्रीय सरकार की मजदूर नीति को इसी दिशा में समझता हूं। शायद यह चीज काफ़ी आगे बढ़ गयी।

अब समय भी समाप्त होने जा रहा है। मैं ज्यादा समय न लेकर केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कोरे सिद्धांतवाद में ऐसी बातों में जो ऊंची आज मालूम होती हैं हम अपने देश की गति विधि रोकने के बाधक न हो। हमें ऐसा न करना चाहिये जिससे हमारे देश की प्रगति रुक जाय, जिसमें सिद्धांत तो रह जाय लेकिन नींचे की तह समाप्त हो जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायण दत्त जी तिवारी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ में अंक "१९४६" और शब्द "के" के बीच से "अर्ध विराम" निकाल दिया जाय तथा पंक्ति २ में शब्द "को वृह निश्चय से दोहराता है" निकाल कर उनके स्थान पर शब्द, "पर परिस्थिति के अनुसार गम्भीरतापूर्वक पुनः विचार करके दो मास के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये एक समिति गठित कर दे" रख दिये जायं।

श्रीमन्, इसमें अर्धविराम के संबंध में तो विशेष कहना नहीं है। वह तो भूल हो गयी होगी। तब उस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु आगे जो मैंने इसमें निवेदन किया है कि वह अपने इस संकल्प को दृढ़ निश्चय से दोहराने के पूर्व एक समिति संघटित करें और वह पूर्णरूपेण इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

सन् १९४६ के इस प्रस्ताव से अब तक देखा जाय तो देश की परिस्थिति में अब बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। देश इस समय स्वतंत्र है और जैसा कि अभी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा है वह भी बहुत विचारणीय है। तब इन सब बातों को देखते हुये जो कुछ भी होसके बताया जाय। मैं यह समझता हूं कि शीघ्रता करने से सम्भव है कि इस में कोई गड़बड़ी हो जाय, इसलिये वह समिति पूर्णरूप से विचार करके निर्णय करे तो लाभ होगा।

धन की महिमा और धन की निन्दा हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने स्पष्ट कर दी है। हमारे यहां शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत धन को भी नहीं जोड़ना चाहिये। यह भी बताया गया है कि निर्धन अच्छा हो सकता है, लेकिन इसकी भी आवश्यकता नहीं है कि सब लोग निर्धन ही रहें। आज हमें यह अनुभव होता है कि हमारी जो प्राचीन वर्ण-व्यवस्था है उसके अनुसार चला जाय तो यह गड़बड़ी न हो। जैसा कि हमारे यहां पहले विद्या का, तब बल का और उसके बाद धन का महत्व आता है। अगर विद्या नहीं होगी तो धन का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे और बल नहीं होगा तो धन की रक्षा नहीं कर सकेंगे। फिर जैसे धीरे-धीरे हमारी व्यवस्था बिगड़ती गयी हम लोग अधः पतन की ओर गए और फिर हम धन ही धन के पीछे ऐसे पड़ गये कि आज भी मैं देखता हूं कि जहां एक ओर पूंजीवाद की वृद्धि होती है वहां मैं देखता हूं कि धन का ही प्रश्न लेकर सब लोग चलते हैं और धन के इच्छुक अधिक तर लोग होते हैं। तो जहां प्राचीन समय में धन को लक्ष्मी बता दिया है वहां उसका वाहन बतलाया है कि वह उलूक होता है। उसका अर्थ यह है कि अगर धन को ले कर कोई जोड़े और उसे ज्ञान न हो तो कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। इसी प्रकार से लक्ष्मी और नारायण की महिमा जो है दी गई है। लक्ष्मी और नारायण में मैं देखता यह हूं कि लोग आज लक्ष्मी के पीछे इतना पड़ गये है कि नारायण को बिलकुल भूल गये हैं। जिन लोगों ने नारायण को भुला दिया है उनका परिणाम क्या हुआ है कि आज लक्ष्मी स्वयं उनसे रुष्ट हो गयी हैं और लोग धन का ठीक से उपार्जन नहीं कर पाते हैं और न उसका सदुपयोग कर पाते हैं। इस प्रकार से हमारे देश के प्राचीन शास्त्रकारों ने जहां विद्या, बल और धन इत्यादि की महिमा का वर्णन किया है वहां उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि–

"विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्तिः परेषां परिपीडनाय।
खलस्य साधोर्विपरीत मेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय॥"

हमें चाहिये कि हम विद्या प्राप्त करें। सब से पहले अपने मस्तिष्क को ठीक करें, अपनी विचारधारा को ठीक करें। हमारे विचार उत्तम होंगे तो हम विद्या का सदुपयोग कर सकेंगे, तभी हम बल का सदुपयोग कर सकेंगे और तभी हम धन का भी सदुपयोग कर सकेंगे। जहां तक हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं उनमें हमें यह बतलाया गया है कि विद्या, बल, धन और सेवा की अनिवार्यरूप से आवश्यकता होती है। बिना इनके काम नहीं चलता। आज हम विद्या और बल की ओर ध्यान न देकर धन की ओर गये और उसकी महत्ता को ही बढ़ाने लगे। आज पूंजीवाद की बातें हमारे सामने आती हैं और उसकी आलोचना होती है। इस युग के एक बहुत बड़े विचारक महर्षि दयानन्द ने भी प्राचीन काल का इतिहास स्पष्ट रूप से बतलाते हुए कहा है कि–

"यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या, सुशिक्षा नष्ट हो कर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं जैसे कि मद्य, मांस-सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाता है।"

[श्री रणंजय सिंह]

इस प्रकार से मैंने देखा कि हमारे बड़े-बड़े विद्वानों ने इसके संबन्ध में ऐसे विचार प्रकट किये हैं। आज यह तो समझना नहीं चाहिये कि हमारे प्राचीन शास्त्रों ने कोई ऐसी बात कही होगी जो आज विचारणीय नहीं है। मेरा अपना तो दृढ़ विश्वास है कि यदि भारतीय संस्कृति का मनन किया जाय, प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन किया जाय और उनके अनुसार देश की व्यवस्था की जाय तो यह सब जो गड़बड़ी मची हुई है वह बहुत सरलता के साथ दूर की जा सकती है। शीघ्रता में कोई काम ठीक नहीं होता है तथा साथ ही "अति सर्वत्र वर्जयेत।" भोजन भी जो बहुत ही आवश्यक होता है उसमें भी यदि अति हो जाय तो उससे हानि होती है और इसी प्रकार अगर हम उपवास में भी अति करते हैं तो उससे भी हानि होगी। इसी तरह से यदि परिश्रम में अति करें, उसकी सीमा का उलंघन करें तो उससे हानि ही होगी और ऐसे ही विश्राम की सीमा का भी उलंघन किया जाय तो उससे भी हानि होगी। इसलिये यह आवश्यक है कि यह प्रश्न जो यहां पर उपस्थित किया गया है इस पर ऐसे सज्जनों की एक समिति संघटित की जाय जो की प्राचीन काल की बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और अन्त में निर्णय करें कि किस प्रकार से पूंजीवाद का यहां पर विनाश करना आवश्यक है और इसके अनुसार कार्य किया जाय। मैं यह भी आज देखता हूं कि यहां पर आज जैसे कि जमींदारी का उन्मूलन हुआ उसके उन्मुलन में भी बहुत से लोगों ने सोचा कि इसकी आवश्यकता है कि जमींदारी का उन्मूलन हो। तो उसके अनुसार जमींदारी का प्रबंध हुआ लेकिन परिणाम क्या हुआ ? परिणाम यह हुआ कि आज भी इस अधिनियम में कई बार संशोधन आ चका है। इसलिये कहने का तात्पर्य यह है कि शीघ्रता करने से बहुत त्रुटि भी रह सकती है और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की भी अनिवार्यरूप से आवश्यकता हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे, एक समिति संगठित होगी और एक मास तक नहीं दो मास तक वह इस पर विचार करेगी और पूर्णरूप से विचार कर के तब वह इस पर निर्णय करेगी कि इस देश की परिस्थिति कैसी है, इसके अनुसार क्या करना चाहिये। यहां पूंजीवाद का विरोध करने पर जब ये बातें हमारे देश के पत्रों में उठाई जायगी, इनका प्रसार होगा तो हमारे जो इस देश के धनी लोग हैं जो इस देश की सेवा में अपना धन लगाना चाहते हैं वह भी शंकित होंगे और इस प्रकार से उसकी आवश्यकता यदि समझी जानी है तो उसपर पूरी तरह से विचार हो जाय फिर यहां सदन के सामने यह प्रश्न उपस्थित हो और तब उसका निर्णय होता है तो उसमें ऐसी बात नहीं होगी। अन्यथा मैं देखता हूं कि आज यहां पर विदेशी लोग अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और वे चाहते हैं कि उनका व्यापार यहां पर हो। इससे यहां के लोग शंकित हो रहे हैं और ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इससे सम्भवतः राष्ट्रीयकरण में बाधा पड़े। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि एक समिति संघटित की जाय जो गम्भीरता पूर्वक इस प्रश्न पर विचार करके अपना निर्णय दे। अन्यथा मैं देखता हूं कि जैसा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् वसूली का प्रबन्ध किया गया है, जिस पर देहात में लोग कहते हैं कि पहले आठ आठ आने एक किश्त में वसूल होते थे परन्तु अब दस आने एक किश्त में लिये जा रहे हैं और धान सब मक्खियां चाट गयीं। फिर भी कोई छूट नहीं मिली है। उसी प्रकार यदि कोई इस सम्बन्ध में शीघ्रता से किया गया तो सम्भव है कि उसमें अनेक त्रुटियां रह जायं। इसलिये बारम्बार मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और इस पर पूरा विचार करके ही कोई निर्णय होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना यह संशोधन यहां पर उपस्थित करता हूं।

श्री धर्म सिंह (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से जो सन् १९४६ में सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था उसमें निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—सन् १९४६ के संकल्प मे तो कोई संशोधन नहीं हो सकता है। माननीय नारायणदत्त जी का संकल्प सदन के सामने है, उसमें आप संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री धर्म सिंह—संकल्प में शब्द "संल्कप को" और पंक्ति २ में शब्द "दृढ़" के बीच शब्द "मूल संकल्प में निम्नांकित संशोधनो के साथ,, बढ़ा दिये जाँय तथा अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(क) शब्द "विश्वास" के स्थान पर शब्द "निश्चय" रख दिया जाय।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—एक वैधानिक प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। जहां तक धर्म सिंह जी के प्रस्ताव का ताल्लुक़ है, वह जो मूल प्रस्ताव था जो सन् १९४६ में पास हुआ था, वह अंग्रेजी में था, और यह जो संशोधन है यह हिन्दी में है। इसलिये जो हिन्दी के शब्द बढ़ाये जा रहे हैं वे उसमें फिट कैसे होंगे?

श्री अध्यक्ष—सन् १९४६ के संकल्प का संशोधन करने की मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। माननीय नारायणदत्त जी का जो संकल्प है वह सदन के सामने है उस संकल्प में आप संशोधन कर सकते हैं और यह भी कर सकते हैं कि उसका नतीजा यह निकले कि पुराना संकल्प किसी संशोधित रूप में हो जाय लेकिन यह आप नहीं कर सकते हैं कि सदन के सामने जो संकल्प है उसका आप खयाल न रखें और यह कहें कि पुराना जो संकल्प है उसमें आप संशोधन करना चाहते हैं। ऐसा कोई संशोधन यहां सदन में पेश नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूं कि इससे आप का क्या अर्थ है "संकल्प में शब्द 'संकल्प को' और पंक्ति २ में शब्द 'दृढ़' के बीच शब्द 'मूल संकल्प में निम्नांकित संशोधनों के साथ, बढ़ा दिये जायं? पुराने संकल्प में आप संशोधन कर रहे हैं या माननीय नारायणदत्त जी के संकल्प में?

श्री धर्म सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो सन् १९४६ में प्रस्ताव पास हुआ था उसमें मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—उसमें आप पेश करना चाहते हैं तो इसकी आप को इजाजत नहीं है।

श्री जगन्नाथ बख्श दास (जिला बाराबंकी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन श्री नारायणदत्ततिवारी का जो संकल्प है उसमें पेश करना चाहता हूं। वह संशोधन इस प्रकार है कि उनके संकल्प के आगे यह वाक्य जोड़ दिया जाय—

"और यह निश्चय करता है कि इस ओर ठोस क़दम उठाने के लिये उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में इस सदन के २१ माननीय सदस्यों की (जिनका चुनाव सदन संशोधन पास होने के बाद कर ले) एक समिति बनाता है जो बड़े-बड़े उद्योग धंधों के राष्ट्रीयकरण पर विचार करे और विचार कर कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये ६ मास के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे जिसके अनुसार शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीय करण का कार्यारम्भ हो।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय इसके पहले कि मैं कुछ इस विषय पर कहूं माननीय तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस बात पर कि अपना संकल्प पेश कर के उन्होंने हम लोगों को अवसर दिया है कि इस विषय पर हम अपने कुछ विचार प्रकट कर सकें। इस विषय के ऊपर मेरे संशोधन के पहले दो सज्जनों ने भाषण दिये, एक तिवारी जी ने और दूसरा परिपूर्णानन्द जी ने। मैंने दोनों सज्जनों के भाषण अपनी बुद्धिनुसार गम्भीरतापूर्वक सुने। मुझे दुःख है कि दोनों सज्जनों की जो दलीलें थीं उनसे मैं इत्तफाक़ नहीं करता। माननीय तिवारी जी के जो तर्क थे और जो उनका संकल्प है वह संकल्प केवल एक संकल्प रह जाता है अगर यह संशोधन नहीं जोड़ा जाता है। संकल्प तो हमारी सरकार सन् १९४६ में पास कर चुकी है। लेकिन उस संकल्प के बाद हमको देखना यह है कि क्या क़दम उठाये गये। उस संकल्प के पीछे जब तक उसका आपरेटिव क्लाज उसमें नहीं जोड़ा

[श्री जगन्नाथ बख्श दास]

जाता तब तक केवल भावना मात्र से हमारा कार्य पूरा नहीं होता । अपनी भावना मात्र का प्रदर्शन करते हुये अपने भाषण में माननीय तिवारी जी ने यह बताया कि हमको पूंजीवाद चाहे वह खेतिहर पूंजीवाद हो अथवा औद्योगिक पूंजीवाद हो उसको नष्ट करना है और नष्ट इस प्रकार करना है कि किसी छोटी सी चीज में भी अन्तर न रह जाय । अब यह तो एक ऐसा सैद्धान्तिक प्रश्न है कि जमीन का बंटवारा इस ढंग से किया जाय कि सब को मिल जाय, धन का बटवारा इस प्रकार किया जाय कि सब को मिल जाय, बुद्धि का बटवारा इस प्रकार किया जाय कि सब को बराबर दी जाय, शिक्षा का बटवारा भी इसी प्रकार किया जाय । तो यह तो बटवारा करने पर निर्भर है । मुझे तो याद आता है एक वाक्य जो पार्लियामेंट में एक माननीय सदस्य ने एक कम्युनिस्ट के जवाब में कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको बटवारे की बात देखनी है तो आप रशन अम्बेसी में जाकर देखिये जहां आज भी चपरासी को ४० रुपये मिलते हैं और एम्बसडर को न मालूम कितने पाउंड्स मिलते हैं। तो बंटवारे की बात ऐसी है जो मेरी समझ में नहीं आती ।

अब दूसरी बात माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो एक फ़ीगर्स की जगलरी हमारे सामने रखी और उससे इस बात को साबित करने की कोशिश की कि हमारा देश तो पूंजीवाद देश ही नहीं है और न हमारे यहाँ पूंजीवाद बढ़ने की संभावना ही है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी । जहां तक आंकड़ों की बुद्धि का सवाल है, उन आंकड़ों के द्वारा माननीय परिपूर्णानन्द जी इस निर्णय पर पहुंचे कि इस देश में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उद्योग करता हो और जिसकी आमदनी २५ हजार रुपये से ज्यादा हो । बात सही हो सकती है ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैंने यह नहीं कहा ।

श्री जगन्नाथ बख्श दास—अध्यक्ष महोदय, वह फ़रमा रहे हैं कि उन्होंने यह नहीं कहा । ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं । लेकिन अगर उन्होंने यह बात कही तो मेरी दलील किसी की आमदनी के बारे में नहीं । हमारी दलील तो यह है कि उस धन को व्यय करने का अधिकार अगर उसको होता है तो उसी में अपव्यय होता है । धन तो गांधी जी के अनुसार किसी के पास कितना ही क्यों न हो लेकिन उस धन का उपयोग अगर वह दूसरों के फ़ायदे के लिये करता है तब तो कोई एतराज नहीं । अगर आज बिरला के पास करोड़ों रुपये हैं तो मुझे उसका अफ़सोस नहीं । अगर किसी के पास उससे भी अधिक धन हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धन के पीछे जो एक निहित शक्ति है जिसका दुरुपयोग समाज के ऊपर असर डालता है उस शक्ति को रोकना पूंजीवाद का अन्त करना है। और इसी शक्ति को रोकने के लिये जमींदारी प्रथा का अन्त किया गया । उसकी बात ऐसी हो गयी है कि जिसका जिक्र करना उचित मालूम नहीं होता है । लेकिन, क्योंकि यह न्यायसंगत है इसलिये इसका मैं जिक्र करूंगा । जमींदारी को अन्त करने के लिये सरकार की ओर से, देश की ओर से, और प्रजा की ओर से यही दलील थी कि उनका इंतजाम खराब है, रुपया ठीक तरह से खर्च नहीं किया जाता है और जमींदार लोग अकर्मण्य होते चले जा रहे हैं और राष्ट्रीय उद्योगों में सहायक नहीं हो रहे हैं और इसका परिणाम यह दिखाया गया कि इसका अन्त करने से काश्तकार जिनका सिर झुका हुआ है उनको अपना सिर ऊंचा उठाने का मौका मिलेगा और देश की उन्नति होगी । देश को उन्नत बनाने के लिये आज जो काम वह नहीं कर सकता है उनको वह कर सकेगा।

वही दलील हम पूंजीवाद को खत्म करने के लिये पेश कर सकते हैं । पूंजीवाद को अन्त करने का मुख्य कारण यह है कि इस समाज में विषमता नहीं रहनी चाहिये । जब तक इसका अन्त नहीं किया जायगा तब तक सम समाज की स्थापना नहीं हो सकती है । जैसा कि हमारे मित्र परिपूर्णानन्द जी ने कहा था कि एक तो हमारी यहां खदेड़ पूंजीवाद है और

दूसरा चाहे कोई भी पूंजीवाद हो हमें आज सब का अन्त करना है। खदेड़ पूंजीवाद का तो आज अंत हो चुका है हांलांकि उनकी राय में अभी उसका अन्त होना बाक़ी है। लेकिन मेरे विचार से उसका अन्त हो गया है। अब दूसरे पूंजीवाद का भी अंत होना अवश्यम्भावी है और अवश्य होना चाहिये। अगर इसका अन्त नहीं होता है तो वही है कि अगर एक रथ के एक पहिये को खत्म कर दिया जाय तो वह नहीं चल सकता है इसी तरह से अगर समाज के एक पहिये को खत्म कर दिया जाय और यह आशा की जाय कि एक ही पहिये पर समाज चल सकता है तो नामुमकिन है, असम्भव है।

मुझे एक वाक्य याद आता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि हमारे देश में, हमारे राज्य में न कोई ज्यादा अमीर रहेगा और न कोई ज्यादा ग़रीब रहेगा यानी इस राज्य में विषमता नहीं रह सकती है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह माननीय मुख्य मंत्री जी के इस वाक्य की ओर ध्यान दें कि हमारे देश में न कोई ज्यादा अमीर रहेगा और न कोई ज्यादा ग़रीब रहेगा बल्कि एक सम समाज रहेगा यानी पूंजीवाद का आज अंत होना चाहिये। एक दफा मैंने श्री सम्पूर्णानन्द जी से पूछा था कि आप जमींदारी खत्म कर रहे हैं लेकिन इनको क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस समय जमींदारी खत्म करने से कोई ऐसी हलचल पैदा नहीं हो रही है और न किसी खास एक्सपर्ट आदमी की जरूरत होगी। लेकिन अगर पूंजीवाद को खत्म कर दिया जायगा तो गवर्नमेंट उसको संभाल नहीं सकती है, आज हमारा देश उसके लिये तैयार नहीं है। बात उनकी ठीक थी। लेकिन यह प्रस्ताव जो १९४६ में पास हुआ था उस समय में और आज के समय में तो बहुत अन्तर हो गया है। मैं यह नहीं कहता कि सबका राष्ट्रीयकरण हो जाय। जैसा कि हमारे मित्र श्री रणंजय सिंह जी ने कहा कि वह सम्भव नहीं है। माफ़ कीजिये यह बात श्री परिपूर्णानन्द जी ने कही थी। मैं यह चाहता हूं कि अगर मिल को एक आदमी चला सकता है तो क्या वहां का उधोगधंधा एक कोआपरेटिव बेसिस पर नहीं चल सकता है? जो काम करने वाले हों चाहे वह मजदूर हों, चाहे क्लार्क्स हों, चाहे इंजीनियर्स या कोई भी हों। इस तरह से राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। राष्ट्रीयकरण उन लोगों द्वारा हो जो उस काम को करने वाले हों। श्री परिपूर्णानन्द जी को भय है कि राष्ट्रीय-करण करने से कैपिटेलिस्ट टेंडेंसी हो जायगी। इसलिये मैं कहता हूं कि इस तरह का राष्ट्रीयकरण करें जिसमें मजदूर हों, क्लार्क्स हों तथा इंजीनियर्स और जो मालिक है और चलाने वाले हैं अगर वह इसके योग्य हैं और कुछ योग दे सकते हैं तो हम उनका योग लेने के लिये तैयार हैं। इस तरह का राष्ट्रीयकरण हमारे सामने है।

अब इस विषय में अधिक न कहकर मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं जब मैं यह पाता हूं कि जिन महानुभावों के हाथ जमींदारी का विनाश हुआ आज भाग्यवश यह उद्योग-धंधा भी उन्हीं महानुभावों के हाथ में है और मुझे पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार उन्होंने उसका श्रीगणेश किया उसी तरह से इसका भी श्रीगणेश करेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री नारायण दत्त के प्रस्ताव को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा और उनके व्याख्यान पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार करता रहा, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता क्या थी? यह प्रस्ताव बहुत पहले इस सदन ने पास कर दिया है। अगर यह कहा जाता कि देर हो रही है, जल्दी करना चाहिये, क्योंकि नुक्सान हो रहा है तब तो मैं समझ सकता था कि इसके लाने की आवश्यकता है लेकिन सिर्फ दोहराने के विचार से इस प्रस्ताव को ले आना मेरी समझ में उसका कारण आया नहीं। गो आपने फ़रमाया है कि मैं इस समय पूंजीवाद के खिलाफ दलील नहीं पेश करना चाहता हूं क्योंकि बहुत जल्दी ही अपनी स्पीच को खत्म कर देना चाहता हूं। लेकिन महानुभाव आपने पूंजीवाद के प्रतिकूल काफी दलीलें दीं। उसके प्रतिकूल यह भी कहा कि अफसर लोग जो बड़ी तनख्वाहें पाते हैं उसको भी काट लेना चाहिये। आपने अपनी तक़रीर में जो फरमाया उसका

[श्री सीताराम शुक्ल]

जवाब परिपूर्णानन्द जी ने दिया। बहुत लर्नेड वह हैं, उनके व्याख्यान को सुन कर खुशी हुई। लेकिन आपने एक बात पर प्रकाश नहीं डाला। आजकल होशियार आदमी वह होता है जो जबान पर कुछ रक्खे दिल में कुछ रक्खे। दिल से चाहता है कि पूंजीवाद रहे और कहता यह है कि नहीं साहब फौरन पूंजीवाद खत्म होना चाहिये। मैं अपने लायक दोस्त पर हमला करने की नियत से यह नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—हमला हो रहा है।

श्री सीताराम शुक्ल—हमला नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि हम में मारेल करेक्टर होना चाहिये, यही हममें कमजोरी है कि जो ठीक समझते हैं उसको जोर से कह नहीं सकते। हमको चाहिये कि जो ठीक समझें वही कहें और उसी पर चलें। मैं जानता हूं कि लोग प्राइवेटली कुछ भी करते रहें लेकिन जब वे पब्लिक प्लेटफार्म पर आते हैं तो दूसरी बातें, आदर्श की बातें करने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का भाषण जारी न रक्खें। यह एक माननीय सदस्य की अप्रतिष्ठा करना है और अगर इसी तरह से कोई दूसरा आप के संम्बध में कहे तो अनुचित होगा। आप जिस तरह से नियत पर हमलाकर रहे हैं यह मैं उचित नहीं समझता।

श्री सीताराम शुक्ल—मैंने यहां के लिये नहीं कहा है, बाहर के लिये कहा है।

श्री अध्यक्ष—आप उसी सिलसिले में तो कह रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—श्री नारायणदत्त जी चाहते हैं किसी तरह से वह चीज यहां ले आवें ताकि उसका श्रेय समाजवादी पार्टी को मिले। जिस प्रस्ताव को कांग्रेस ने बहुत पहले पास कर दिया था, समाजवादी पार्टी उसका प्रचार करके सारा श्रेय अपने लिये लेना चाहती है। यह पोलिटिकल ध्येय है। मैं उनमें से नहीं हूं जो कि दिल में कुछ रखूं और किसी डर की वजह से कुछ कहूं। संस्कृत का एक श्लोक है।

निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वां यथेष्ठम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥

नीति के निपुण लोग चाहे उसकी निन्दा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आये चाहे चली जाय, मरना आज ही या युगों के बाद लेकिन जो धीर लोग हैं वे न्याय के पथ से कभी भी अपने पैर को नहीं हटाते।

मैं अर्ज करता हूं कि इस तरह से पूंजीवाद खत्म करने का प्रोपेगेंडा करने, लम्बी चौड़ी बात करने से काम नहीं चलेगा पहले आप लोगों ने कहा कि जमींदारी का विनाश कर दिया जाय। और अब जबकि जमींदारी चली गई फिर भी शिकायत, नहीं गई। कहा जाता है कि उनको मुआविजा क्यों दिया जा रहा है। उनकी सीर भी बंटनी चाहिये। आज सुनने में आया है कि बड़े अफसरों की तनख्वाहें भी घटनी चाहिये। किन्तु हम इस प्रकार की बातें नहीं कह सकते हैं कि उनको कम्पेन्सेशन न दिया जाय। आजकल लोग इस प्रकार की बातें कह कर वोट पाने का तरीका बना रहे हैं। दिन प्रति दिन के कामों में सहायता देने के मानी है जमानत करना, शादी ब्याह में सामान मंगनी दिलवाना, चाहे समर्थक वह ग़लत काम ही क्यों न करें किन्तु उसकी सहायता करना, साथ ही समाज-वाद की दुहाई देना। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट

आफ़ इंडिया ऐक्ट यहां पर लागू था। लेकिन मिस्टर हैलेट तथा श्रीमती सरोजनी नायडू के शासन काल में बड़ा अन्तर था। कानून वही था लेकिन हुकूमत करने वाले बदल गये तो जमाना बदल गया। किताबें खुद नहीं बोल पाती हैं। उसका अर्थ आदमी करते हैं इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वाद अथवा इज्म नहीं बड़ा है बल्कि व्यक्ति बड़ा है। एक मैजिस्ट्रेट कुर्सी पर बैठता है अगर वह बुद्धिमान और भला आदमी है तो वह सब को आराम पहुंचायेगा और उसी स्थान पर बुरा अफसर आकर बैठ जाता है तब सब को परेशान कर डालता है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जरा सोच समझकर समाजवाद की बात कीजिये।

मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि जर्मनी अभी गुलाम हुआ है। वह दो हिस्सों में बंट गया है। आधा रूस के पास है और आधा कैपिलिस्टों के पास है। पूर्वी जर्मनी में खाना, कपड़ा, मकान वगैरह जब सब चीजें कैसी मिलती हैं और पश्चिमी में क्या दशा है। यदि आप अंक और घटनाओं से इस बात को स्पष्ट कर दीजिये कि पूर्वी जर्मनी की दशा पश्चिमी जर्मनी से अच्छी है तो मैं मान लूंगा कि कैपिटलिज्म बहुत बुरा है। किन्तु केवल यह कहना कि पूंजीपति खून चूसते हैं, परेशान करते हैं इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। हरएक बिजनेस-मैन कुछ रुपया दूसरों से कर्ज लेकर अपनी बिजनेस करता है। अगर कोई आदमी ४ परसेंट पर रुपया लेकर २० परसेंट पैदा करता है तो इसमें क्या नुक्सान है? अगर हम बाहरी देशों से रुपया मांग कर अपनी खाने की पैदावार को २०० फीसदी बढ़ा लें तो इसमें क्या घाटा हो गया और क्या नुक्सान हो गया। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की बातें बहुत विचार करके कहनी चाहिये। अगर कर्जा मिलना बन्द हो गया तो फिर बिजनेस बन्द हो जायगा। अगर हमसे सूद में कोई एक आदमी ४ प्रतिशत फायदा उठाता है किन्तु हमको शतप्रतिशत लाभ होता हैं तो इसमें हमें क्या नुक्सान हुआ? इस सिलसिले में एक श्लोक माननीय श्री रणंजय सिंह जी ने पढ़ा था। किन्तु उसका अर्थ उन्होंने नहीं किया था। मैं उसका अर्थ भी आपके सामने निवेदन करता हूं।

विद्या विवादाय धनं मदाय ।
शक्तिः परेषां परिपीडनाय ।।
खलस्य साधो विपरीतमेतत्, ।
ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणाय ।।

अगर कोई मूर्ख आदमी विद्वान् हो गया है तो वह दूसरों से झगड़ा करेगा और लड़ेगा। अगर कोई मूर्ख आदमी धनवान् हो गया तो उसका अभिमान बहुत बढ़ जायगा और बड़ा गर्वीला हो जायगा। अगर कोई बेवकूफ पहलवान हो गया तो वह दूसरों को धक्का देकर चलेगा और तंग करेगा लेकिन जब यह चीजें विद्वानों के पास जायगी तो इनका प्रभाव बिलकुल बदल जायगा। विद्या से समझदार आदमी ज्ञान प्राप्त करेगा और दूसरों को अच्छा रास्ता बतावेगा। अगर अच्छे आदमी के पास धन आगया है तो वह भूखों को दान करेगा और जरूरत मन्दों की पुकार सुनेगा और अगर वह शक्तिमान हो गया तो दूसरों की और कमजोरों की सहायता करेगा। देखने की बात तो यह है कि हमारी सरकार ने पूंजी को अपने कंट्रोल के अन्दर कर लिया है। वह इंच भर भी इधर उधर नहीं जा सकते हैं। जो भाव उनको बतला दिये गये हैं उन पर ही वह बेचेंगे और जहां से माल लेने को कह दिया गया है वहीं से वह माल खरीदेंगे। पूंजीपतियों से यह कह दिया गया है कि तुम इतने परसेन्ट से ज्यादा मुनाफ़ा नहीं ले सकते हो। सरकार जितनी मजदूरी निश्चित करती है उतनी ही मजदूरी वह देते हैं। जमींदारी प्रथा तोड़ दी गई है किन्तु मआविजा देने की शर्त है देशी रजवाड़े हैं परन्तु उनके अधिकार सीमित कर दिये गये हैं। समझदार आदमी वही है कि जो अपने विरोधी को दोस्त बना लेता है और वही विद्वान् होता है।

जो मेम्बर कांग्रेस को हराकर मुसलिम लीग के टिकट पर आये थे, कांग्रेस ने उन के साथ उदारता का बर्ताव किया। मसलन् जमाने ने श्री नफीसुलहसन साहब को डिप्टी स्पीकर

[श्री सीताराम शुक्ल]

और उसके बाद स्पीकर बनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि वह उस पार्टी को छोड़ कर हमारी पार्टी में आगये और पक्के कांग्रेसी हो गये। इसी कारण से कांग्रेस ने एक बीच का रास्ता अख्तियार किया है, जिससे देश के किसान और मजदूरों को फायदा हो सकता है और ग़रीब का भला हो सकता है। महात्मा गांधी ने समाज वाद और लाल टोपी को पसन्द नहीं किया। लेकिन जनाववाला जरा आप मेरी एक बात का जवाब देदें कि अगर आप अच्छे हैं तो कम्युनिस्ट लोग आपकी मुखालिफत क्यों करते हैं? पूंजीवाद का नाश आप भी चाहते हैं और वह भी चाहते हैं किन्तु आप उनको कहते हैं कि वह पूंजीपतियों के दोस्त हैं और वह आपको कहते हैं पूंजीपतियों के गुर्गे हैं। जनाब स्पीकर साहब एक शायर ने कहा है कि कोई सोता हो तो उसे बेदार करें किस तरह से जागने वाले को जगाये कोई? इसलिये आपके लीडरों से तो बातें नहीं की जा सकतीं किन्तु आप लोगों से हो सकती हैं। मेरे ख्याल से आपके दिल में गरीबों के लिये जगह है किन्तु राजनीतिज्ञों के चक्कर में पड़ गये। उससे आपको बचना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह उपदेश करने की जगह नहीं है, आप प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल—उपदेश नहीं प्रार्थना करता हूं कि हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिये और उसकी ताईद करनी चाहिये। यदि उसकी आज्ञा पर जेल गये तो स्वदेश को सुखी और शक्ति शाली बनाने के लिये शौके लीडरी की भी कुर्बानी करनी चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र माननीय नारायण दत्त जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि पूंजीवाद के समस्त रूपों का विनाश किया जाय मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि जब तक पूंजीवाद नष्ट नहीं होगा तब तक सोसाइटी क्लासेज (समाजवर्गों में) बटी रहेगी और एक्सप्लायटेशन (शोषण) भी एक न एक प्रकार का जारी रहेगा और जब तक पूंजीवाद का नाश नहीं होता तब तक इक्वेलिटी लिबर्टी (समानता तथा स्वतंत्रता) का नारा लगाना भी व्यर्थ ही होगा। पूंजीवाद के नाश के बाद ही यह चीजें आ सकती हैं। जब तक उसका नाश नहीं होता तब तक फ्रीडम आफ स्पीच (भाषण की स्वतंत्रता) और फ्रीडम आफ प्रेस (प्रेस की स्वतंत्रता) भी सुरक्षित नहीं है, और जब तक पूंजीवाद का नाश नहीं होता तब तक लड़ाई खत्म होने की बात, जो कहते हैं वह भी व्यर्थ कथन ही है। और उस वक्त तक इनडिविजुअल लिबिर्टी (वैक्तिक स्वतंत्रता) की बात भी बेकार सी ही है। जब यहां या बाहर मारेलिटी (नैतिकता) की बात होती है तो हमें उससे भी आश्चर्य होता है। मेरा निश्चित मत है कि जब तक पूंजीवाद का नाश नहीं होता तब तक इम्मारेलिटी (अनैतिकता रहती है) चाहे कोई व्यक्ति कितनी ही लम्बी चौड़ी बात क्यों न करे। बगैर पूंजीवाद के समूल नष्ट किये, जो देश में मारेलिटी बढ़ाने की बात करते हैं वह बाराबर उस क्लास के स्वार्थ की वृद्धि करते रहते हैं जिस वर्ग का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। 'Morality will be conditioned by class interest' नैतिकता वर्ग—स्वार्थ से बंधकर चलेगी। इसी तरह से फ्रेटरनिटी या विश्वबन्धुत्व की स्थापना भी बिना पूंजीवाद के नाश हुये नहीं हो सकती। बार-बार इस सदन में और बाहर भी गांधी जी ने भी श्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला है और श्रम की मर्यादा और वेल्यू (मूल्य) तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक केपिटलिज्म का समूल नाश नहीं होता।

इसके साथ जो जस्टिस (न्याय) की बात करते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पूंजीवाद की व्यवस्था कायम रहती है तो जस्टिस भी ताक पर रखी रह जायगी और वह चरितार्थ नहीं हो सकती। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने नारायणदत्त जी से गौर करने की बात कही मगर हमारी सारी पार्टी ने उनकी बात को बड़े गौर से सुना। मैं उनसे

पूछना चाहूंगा कि अगर वह पैरिटी कायम करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (खेतिहर उत्पदन) और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस (उद्योगों से उत्पादन) में तो बिना कैपिटैलिज्म का नाश हुये पैरिटी (संतुलन) आ नहीं सकती। दामों का संतुलन नहीं हो सकता जब तक कि पूंजीवाद का विनाश न हो जाय। एक बात उन्होंने (परिपूर्णानन्द जी वर्मा) साइकालोजिकल कैपीटैलिज्म की रूस के फीगर्स देकर कही। हमारे देश के कोने-कोने में कैपिटलिज्म (पूंजीवाद) व्याप्त है। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें रूस जाने की जरूरत क्यों पड़ी। हम कहते हैं कि कैपीटलज्म एक विचारधारा, एक व्यवस्था है। कैपिटलिज्म यह नहीं कहता कि अमेरिका जैसा समृद्धिशाली या रूस जैसा या ब्रिटेन जैसा हिन्दोस्तान हो तभी यहां पूंजीवाद होगा। जब सन् १९४६ में माननीय सम्पूर्णानन्दन जी इस विषय पर बोले तो उन्होंने काफी व्याख्या की थी और समझाने की कोशिश की थी। मगर मुझे परेशानी है कि लगातार ६ वर्ष की कोशिश के बाद भी वह यह समझाने में असमर्थ रहे कि पूंजीवाद है क्या ? श्रीमन्, (value is the crystalization of labour power) (मूल्य श्रम शक्ति का समुच्चय है) किसी चीज को बनाने में जितना श्रम लगता है उसके आधार पर उसका मूल्य होता है। अब उसमें यह देखना है कि उसमें कितना वह पूंजीपति अपना द्रव्य खर्च करता है, श्रमिक को देता है, कितना वह खुद मुनाफा लेता है और कितना फिर उस उद्योग को आगे बढ़ाने में लगाता है? यही कैपिटैलिज्म की व्याख्या है। मैं समझता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी इनमें से एक ही स्टेज पर फंसे रह गये और वह यह कि वह कितना मुनाफा लेता है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि आज हिन्दोस्तान पूंजीवाद को मिटाने के लिये उपयुक्त नहीं है। म तो कहता हूं कि यदि हमारा देश उपयुक्त है तो आज है और जितनी जल्दी हम इस कुव्यवस्था को अपने यहां से निकाल दें उतनी ही जल्दी विश्व की और भारत की प्रगति होगी। हम एक क्षण के लिये भी अपने मस्तिष्क में इस बात के लिये विचार करने की आवश्यकता नहीं समझते कि पूंजीवाद को आज खत्म कर सकते हैं या नहीं ? मान लीजिये कि एक मोची है जो चाहता है कि आज १ रुपया कमा लूं। फिर वह १० रुपये और ऐसे १०० और १,००० हजार रूपये रोजाना कमाने लगता है। तो वह भी अन्त में जाकर पूंजीवाद होता है। पता नहीं कि वह किस ख्याल से कहते हैं कि हिन्दोस्तान में इस समय कैपिटैलिज्म नष्ट नहीं होगा। हिन्दोस्तान इस ओर कदम उठावेगा। उन्होंने कुछ रूस के आंकड़े दिये कि रूस का मजदूर हिन्दोस्तान के मजदूर से ज्यादा कमाता है।

श्रीमान् जी, हम कब कहते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कब कहती है कि हिन्दोस्तान के मजदूर ज्यादा काम न करें ? माननीय परिपूर्णानन्द जी को पता नहीं है कि यहां पर रिक्शेवाले १२,१२ घंटे रिक्शा खींचते हैं और उनका खून सूख-सूख कर जला करता है। एक मजदूर रूस में काम करता है, एक अमेरिका में करता है और एक इंगलैन्ड में करता है, इससे क्या अन्तर पड़ता है। हमें तो देखना यह है कि पूंजी का जो बटवारा होता है तो क्या वह बटवारा समानता और बराबरी के आधार पर होता है ? मेरी समझ में यह नहीं आता कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने यह किस तरह कह दिया कि रूस का मजदूर ज्यादा काम करता है ? मैं तो कहता हूं कि जिस दिन हिन्दोस्तान में यह मालूम हो जायगा कि आज पूंजीवादी व्यवस्था का अन्त हो रहा है, तो मुझे विश्वास है कि यहां की जनता दूने उत्साह से दूना समय लगा कर धन को पैदा करने में जोश्न को जुटा देगी।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमान्, मैंने हिन्दुस्तान के मजदूरों की तुलना नहीं की, मने तो पूंजी के प्राब्लम पर अमरीका और रूस के मजदूरों की तुलना 'इन टर्मस आफ लेबर' की थी।

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैं वही कह रहा था, किसी भी मुल्क में श्रम क्या काम करता है, क्या नहीं करता ? प्रश्न तो केवल कैपिटिलिस्टिक व्यवस्था का है। श्रीमन् आज कैपेटलिज्म अभिशाप हो गया है। अगर हम इस पाप को बढ़ते रहने देंगे तो हम उसी

[श्री राजनारायण]

गर्त में गिर जायेंगे। हम समझते हैं कि आज ऐसे उद्योग धंधे जो मनुष्य के जीवन से संबंध रखते हैं जैसे कपड़ा, सीमेंट चीनी, लोहा और कोयला आदि का तत्काल ही अविलंब समाजीकरण हो जाना चाहिये। जब पोलिटिकल थ्यूरीज (राजनितिक सिद्धांत) इतनी विकसित हो गयीं हैं तब सम्मानित सदस्यों के यह समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये कि जो श्रमिक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन सब को मिल कर उत्पादन साधनों को बढ़ाने में जो कुछ करना पड़ेगा उस सब में उत्पादन के साधन विनिमय तथा वितरण में सब का पूरा पूरा योगदान करें। इस संबंध में श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनको यह समझना चाहिये कि इसका (पूंजीवादी व्यवस्था) संबंध प्राइवेट प्रापर्टी (व्यक्तिगत सम्पत्ति) से होता है और मैं समझता हूं कि इस सम्मानीय सदन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्राइवेट प्रापर्टी और पर्सनल प्रापर्टी में अन्तर न समझता हो। बहुत से व्यक्ति इन दोनों में भेद नहीं समझते और कहते हैं कि हमारी घड़ी कोई ले लेगा, हमारी मोटर कोई ले लेगा, हमारा कलम कोई ले लेगा, ये चीजें तो इंसान के अपने निजी इस्तेमाल के लिये हैं मगर जो प्राइवेट प्रापर्टी हैं वह पूंजी के बनाने में लगायी जायगी इसलिये पर्सनल प्रापर्टी (निजी प्रयोग में आने वाली) और प्राइवेट प्रापर्टी में मौलिक अन्तर है। जब तक हम यह नहीं समझते तब तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी क्या कहती है उसको समझने में लोग सर्वदा ही गलती करेंगे। श्रीमन्, आपके जरिये मैं यह पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हम अगर हिन्दोस्तान में देखें या दुनियां के और कोनों में देखें तो हमें मालूम होगा कि यह जो द्वन्द हो रहा है वह कुछ मौलिक बातों को लेकर हो रहा है। सरप्लस कैसे होता है, पूंजी कैसे बढ़ती है, सरप्लस लेबर और सरप्लस वेल्यू का जो अविच्छिन्न संबंध है उसको समझाने के लिये, श्रीमन्, यदि मैं कुछ अधिक समय लूं तो मुझे उसकी आप इजाजत देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो श्रीमन्, मैं अपने उन सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं आज जो कि अपने को बहुत ज्यादा प्रगतशील समझतें हैं चाहे उनके सामने कोई भी दर्शन हो, कोई भी विचार हो रहा हो, वे रूस और चीन को घसीट लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो सरप्लस वैल्यू (अतिरिक्त मूल्य) है उस सरप्लस वैल्यू की परिभाषा में भी परिवर्तन होना चाहिये और दुनिया का जितना धन है चाहे वह एग्रीकल्चर से पैदा होता हो, चाहे इंडस्ट्रीज से पैदा होता हो, उसके जितने पैदा करने वाले हैं सब में उसका बंटवारा होना चाहिये और उस बटवारे में जो जितना कम पाता है उसका उतना शोषण हो रहा है, इस सिद्धांत को मानना चाहिये। अगर इस सिद्धांत पर लोग नहीं चलेंगे तो ग़लती कर जायंगे। क्योंकि अक्सर जब कैपटिलिज्म की शास्त्रीय विवेचना होती है तो बहुत से लोग यहां तक कहते हैं "इम्पीरिअलिज्म इज दि लास्ट स्टेज आफ केपिटलिज्म" (साम्राज्य-वाद पूंजीवाद का अन्तिम स्वरुप है)। तो मेरा निवेदन यह है कि जब माननीय परिपूर्णा-नन्द जी को मौका मिले तो वे इस तर्क पर भी गौर करेंगे कि हिन्दुस्तान में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद क़रीब-क़रीब साथ-साथ आया और हिन्दुस्तान के राजनैतिक शोषण पर इंगलैंड के पूंजीपति विकसित हुये और इंगलैंड में पूंजी बढ़ी। क्या यह सदन नहीं जानता कि हिन्दु-स्तान के रोजगार धंधे नष्ट करके लंकाशायर के पूंजीपति काफी पूंजी कमाये और हिन्दुस्तान के शोषण से इंगलैंड में बड़े बड़े कैपिटलिस्ट सेक्टर बन सके, अमेरिका में बन सके और और दूसरे देशों में बन सके। इसलिये श्रीमन्, हम जो समानता का नारा देते आये हैं उन्हें अन्ततोगत्वा इस बात को मानना पड़ेगा कि दुनिया के जितने इंसान हैं, चाहे वे हिन्दु-स्तान के रहने वाले हों, चाहे रूस के रहने वाले हों, चाहे चीन के रहने वाले हों, चाहे इंगलैंड के रहने वाले हों, चाहे अमेरिका के रहने वाले हों, चाहे और देशा के रहने वाले हों, अगर कोई अपने देश के जरिये धन का उत्पादन करके दूसरे मुल्क का शोषण करता है, अपने देश का माल दूसरे देश में बेच कर उस पूंजी को दूसरे देश के व्यापार में लगाता है तो वह भी एक तरह से शोषक है, मैं उसमें कोई विभेद नहीं करना चाहता हूं। आज हम समझते हैं कि

समाजवादी विज्ञान को माननीय सदस्य अपने सामने रखें और अपने सामने रख कर इस सिद्धांत को प्रतिपादित करें और जल्द से जल्द बिना देर किये हुये पूर्ण रूपेण जो पूंजीवादी प्रणाली है उसको विनष्ट करने की ओर ध्यान दें जिससे यह प्रणाली विनष्ट होकर मौलिक तौर से हम समाजीकरण की ओर बढ़ सकें ।

श्रीमन्, मैं दो सेकण्ड में यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण में बड़ा फर्क है । राष्ट्रीयकरण का अर्थ प्रच्छन्नरूप में सरकारीकरण है । हम नहीं चाहते हैं कि बियूरोक्रेटिक तौर पर सरकार धन पैदा करने का साधन पैदा कर के जिस तरीके से चाहे, अनियन्त्रित तरीके से खर्च करे । इसलिये सरकारीकरण जो है वह "लोएस्ट फार्म आफ सोशलिज्म" (निकृष्ट ढंग का समाजीकरण है) । तो जिन माननीय सदस्यों ने आज यहां पर राष्ट्रीयकरण के लिये संशोधन उपस्थित किया है मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार से रखे हुये दूसरों के संशोधनों को भी मानने के लिये तैयार हों । श्रीमन्, छोटी सी बात है कि जितना धन है वह समाज के हाथ में जाय।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुंवर रणंजय सिंह के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। देखना हमको यह है कि किस तरह से हमारे प्रदेश की उन्नति होगी । इस सदन के भीतर आकर किसी पार्टी का प्रोपेगैंडा करना तो उचित नहीं है और जब यहां पूंजीवाद के अन्त करने की बात हो रही है तो और दुनिया भर की बातों का कोई सवाल पेश नहीं होना चाहिये । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी जी का एक लेक्चर हुआ था।"डज रिअल प्रोग्रेस क्लेश विथ इकनामिक प्रोग्रेस?" इस सिलसिले में महात्मा गांधी जी ने सन् १९१६ ई० में कहा था कि किसी देश की उन्नति तो इस पर निर्धारित है कि वहाँ कोई भी आदमी भूखा तो नहीं रहता ? इस पर निर्भर नहीं है कि वहां कितने मिलियोनियर्स हैं। तो इसको इसी ख्याल से देखना चाहिये, और बहुत सोच समझ कर क़दम उठाना चाहिये । हमारा मुल्क और हमारा प्रदेश बहुत ही ग़रीब है और इस प्रस्ताव पर मैं बाहर के लोगों के दृष्टान्त कम देता हूं। लेकिन एक दृष्टान्त ज़रूरी है। क़रीब ढाई सौ वर्ष पहले स्काटलैंड में बहुत ग़रीबी थी । सर डैनियल हैमिल्टन ने इस पावर्टी को प्लेण्टी में किस तरह से तब्दील किया गया और इसके दो कारण बताये थे। एक तो चर्च और दूसरा कोआपरेशन । चर्च मिन्ट्स मैन, कोआपरेशन मिन्ट्स मनी। तो आदमी के दिल में परमात्मा का डर होगा और वह यह होगा कि जितने आदमी पैदा हुये हैं और खास कर जो अपने प्रदेश में रहते हैं उनको हम समानता की दृष्टि से देखें और सब के साथ समानता का व्यवहार करें । केवल इसी आधार पर हमें पूंजीवाद को खत्म करना है और तरक्की करने का सबसे अच्छा तरीका सहकारिता है । परन्तु यह भी बहुत सोच-समझ कर सहकारिता के आधार पर पूंजीवाद को ख़त्म करना है । इस वजह से कि हमारे प्रदेश में अब ज्यादातर लोग इस ख्याल के हो गये हैं कि "साझे की खेती सियार ही खायें" । यह जो देहाती मसल है यह सही है और इसी वजह से कोआपरेटिव मूवमेंट बहुत कम चल रहा है। आज हर जगह की मांग है कि कोआपरेटिव कामनवेल्थ भी सहकारिता के आधार पर हो सकता है । महात्मा गांधी ने सन् १९४६ ई० में यह लिखा था कि अगर हमारे देश की उन्नति हो सकती है तो वह सहकारिता के आधार पर हो सकती है । तो मैं अपने मित्र रणंजय सिंह के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस पर एक समिति बनायी जाय और यह कार्य उस समिति के सुपुर्द किया जाय, ताकि उसके ऊपर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार हो ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रणंजयसिंह के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ आप के द्वारा यह कहना मुनासिब समझता हूं कि अगस्त ४६ के दिन को, जब भारत के इतिहासकार इतिहास लिखेंगे, तो उसे स्वर्णाक्षरों में लिखेंगे क्योंकि उस दिन इस सदन ने इतना महत्व-पूर्ण प्रस्ताव पास किया था इसलिये यदि आज फिर इस सदन में उसकी याद दिलाई जाय तो

[श्री रामनरेश शुक्ल]

मेरे लिये जरूरी है कि श्री नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करूं और अध्यक्ष महोदय मैंने पंडित सीताराम जी शुक्ल जो मेरे मित्र और साथी हैं उनसे जब यह सुना कि इस प्रस्ताव के लाने की क्या जरूरत है तब मैं आप के द्वारा चाहता हूं कि यदि शुक्ल जी कृपा कर के थोड़ा सा कष्ट उठा कर के हमारे प्रांत के उन जिलों में पहुंच जांय जहां कि इंसान चौबीसों घंटे अपने खून और पसीने को बहाता है और फिर भी कानपुर और लखनऊ की गलियों में भूखा और मारा मारा फिरा करता है। तो जब आप कानपुर में ऐसे दृष्यों को देखेंगे, लखनऊ के ऐसे दृष्यों को देखेंगे और ऐसे सैकड़ों और हजारों दृष्यों को देखेंगे तो उस क्षण इस आने की आवश्यकता प्रतीत होगी। अध्यक्ष महोदय, उस क्षण भी इस प्रस्ताव की प्रस्ताव के आवश्यकता महसूस होगी जब आप बड़ी-बड़ी फर्म्स में जा कर देखें, जिसको पुराने जमींदार या पैसे वालों ने बना कर के मजदूरों की मजदूरी के ऊपर अपनी दुनिया बसाते हैं और उनको आधा पेट खाना दे कर के लाभ उठा रहे हैं। तो सिद्धांत की बात तो यह है कि पूंजीवाद का साधन शोषण है और उसका फल दरिद्रता, बेकारी और बरबादी है। इसलिये यदि किसी प्रान्त या किसी देश में शोषण होता है तो वहां पूंजीवाद का होना अनिवार्य हो जाता है। जब वहां पूंजीवाद होगा तो वहां पर दरिद्रता और बेकारी होनी भी निश्चित है और अध्यक्ष महोदय, जहां दरिद्रता और बेकारी होगी वहां अन्ततोगत्वा बरबादी होगी। इसीलिये विद्वान लोग कहा करते हैं कि कम्युनिज्म वहीं पनपता है जहां दरिद्रता और बेकारी होती है। तो जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा कि पूंजीवाद का साधन शोषण है, लक्ष्य पूंजीवाद है उसका फल दरिद्रता और बेकारी है और दरिद्रता और बेकारी का फल बरबादी और कम्युनिज्म है। इसलिये यदि यह अध्ययन कर के देखा जाय तो आज जो बरबादी के बादल इस देश के चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं उसका कारण यही है। अगर हम सक्रिय क़दम इस अवसर पर नहीं उठाते हैं तो इस देश को भी बरबादी के रास्ते की तरफ़ जाना पड़ेगा। इसलिये आवश्यक है कि अगर इस देश को बचाना है और इस देश को अपनी पुरानी बातों को भी बचाना है, अगर मैं थोड़ी देर के लिये श्री रणंजय सिंह की भी बातों को मान लूं और श्री ज्वाला प्रसाद की भी बातों को मान लूं तो भी यह मानना होगा कि यह हमारे ही समाज की वस्तु है और हमारे ही प्रयत्नों से ये बीमारी हट सकती हैं। मैं भी पुरानी संस्कृति का पुजारी हूं। इसको मानते हुये भी अगर कोई पुरानी संस्कृति की आड़ में आवश्यक वस्तु के टालने की नीति का पालन करता है तो उसका विरोध करना अपना कर्तव्य हो जाता है। यह ठीक है कि पुराने शास्त्रों में बहुत से ऐसे उपदेश हैं कि पहले विद्या हो, फिर बल हो, फिर धन हो और तब उसके बाद क्या हो ? लेकिन इसके प्रचार में इतना समय लगेगा कि उतने में यह देश बरबादी के दरवाजे पर पहुंच जायेगा। इसलिये मैं आप के द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सदन इस आवश्यक प्रस्ताव को जिसको आज से पहले १९४६ में यह सदन पास कर चुका है उसे फिर से दुहराये और उसे सक्रिय रूप से लावे।

आज हमारा सब से बड़ा प्रश्न यह है कि हमारे पास सुख भी बहुत हैं और हमारे पास दुःख भी बहुत हैं। मुझे इस समय सुमित्रानन्दन पंत की दो लाइनें याद आती हैं —

जग पीड़ित है अति दुःख से, जग पीड़ित है अति सुख से,
मानव जग में बट जावे, सुख से दुख और दुख से सुख॥

यही समस्या इस प्रान्त की है कि यहां धन बहुत है, यहां सुख बहुत है। लेकिन यहां दुःख भी बहुत है। यहां दरिद्रता भी बहुत है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जिस कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने, जिस कांग्रेस के नेतृत्व ने, इस देश में बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। देश की आजादी की लड़ाई का श्रेय अध्यक्ष महोदय, इसी संस्था को है। इस देश से सामन्तवाद जमींदारी व बड़ी-बड़ी रियासतों का जिनके द्वारा इंसान का जीवन नर्क था, जिन

जमींदारों और ताल्लुकेदारों के समय में इंसान के साथ पशुओं का व्यवहार था जिन्होंने अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी उसको मिटा दिया । उसको मिटा देने के बाद यह अन्तिम बीमारी बाक़ी रह गयी है और यह चीज वह है अध्यक्ष महोदय, दीवारों पर लिखा हुआ है कि "पूंजीवाद रह नहीं सकता" ।

अगर अध्यक्ष महोदय, हम मिटा देते हैं तो ठीक है, इसका श्रेय हमको मिलेगा । अगर इसको मिटाने में देर करते हैं तो जमाना इसे मिटायेगा। यह तो मिट कर रहेगा । अच्छा हो कि हम क्यों न मिटायें और देश का कल्याण करें ।

श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस भवन में इस प्रस्ताव और इस प्रस्ताव पर आया हुआ जो संशोधन है, रणंजय सिंह जी का, उन सब की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कैपिटलिज्म की मुखालिफ़त करना आज कल के जमाने में कुछ मुश्किल सा खेल है और आप लोगों के जजबे के खिलाफ दूसरे ख़्यालात को रखना भी ज्यादा मुश्किल सा होता है । लेकिन इस बात की जरूरत ऐसे ही वक्तों पर हुआ करती है जब एक सही तसवीर को असल शक्ल में सब लोगों के सामने नहीं रखा जाता । प्रस्ताव लाने का कारण अगर कुछ समझ में आता है तो यह है कि कैपिटलिज्म इस सूबे में इतना बढ़ा हुआ है कि जिसको चेक करने की सख्त जरूरत हो गयी है और सन् १९४६ में जो वाक-यात इस सूबे में थे वह वाक़यात ज्यों के त्यों क़ायम हैं बल्कि उससे बढ़े हुये हैं । अगर यह बात नहीं है तो इस प्रस्ताव को लाने की जरूरत नहीं है । मेरा ख्याल यह है कि हम लोग जो कैपिटलिज्म को बुरा समझते हैं वह एक फैशन सा हो गया है । मैं बिलएलान कहता हूं कि कैपिटलिज्म कोई बुरी चीज नहीं है । एक आम ख्याल, एक आम फैशन हो गया है कि कैपिटलिज्म बुरी चीज है । मैं कहता हूं कि अगर कैपिटल नहीं होगा तो जितना विकास हम करना चाहते हैं उतना नहीं होगा और अगर कैपिटल इकट्ठा नहीं करेंगे तो देश की उन्नति नहीं कर पायेंगे । फिर वही टैक्शेशन वाली बात आयेगी कि खूब टैक्शेशन लगाया जाय तब जा कर कुछ काम कर पायेंगे । मेरे नज़दीक़ कैपिटलिज्म जो ख़राब है वह दो तरीक़े से मैं ख़राब समझता हूं । एक तो मनोवृत्ति है, जिसे मैं कैपिटलिस्ट मनोवृत्ति कहूंगा । अगर उस मनोवृत्ति को ख़त्म कर दें और बदल दें तो शायद कैपिटलिज्म को जितना लोग बुरा कहते हैं उसको उतना बुरा न कहा जाय । मनोवृत्ति यह है कि जिन लोगों की आमदनी क़रीब क़रीब दो सौ है या दो सौ से ऊपर है, और वह अपनी आमदनी को संचित कर के रखना चाहते हैं और उस पैसे को पब्लिक में सरकुलेट नहीं करने देना चाहते हैं तो वह कैपि-टलिज्म है और वह बुरा है । जो दो सौ या दो सौ से ज्यादा आमदनी करते हैं और अपने हाथ से शेव बनाते हैं और चार आने पैसे उस आदमी को जो उस पेशे का है जो नाई कहा जाता है, उसको नहीं देना चाहते, वह कैपिटलिस्ट है, चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी के हों, या कांग्रेस पार्टी के हों या कोई दूसरे आदमी हों । जो लोग अच्छी खासी आमदनी रखते हुये भी अपने कपड़े खुद धोते हैं और धोबी को नहीं देना चाहते वह भी कैपिटलिस्ट हैं । वह कैपि-टलिस्ट नहीं हैं जिनके पास काफी रुपया है, लाखों रुपया है और वह उस रुपये को पब्लिक में सरकुलेट होने देना चाहते हैं । वह अच्छे आदमी हैं बनिस्बत उनके जो कैपिटलिज्म को बुरा कहते हैं और पैसा होते हुये भी संचित करके रखना चाहते हैं, सरकुलेट नहीं होने देना चाहते, यह ग़लत है अगर उनको बुरा कहा जाता है । कैपिटल या कैपिटलिज्म बुरी चीज नहीं है ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पूनः आरम्भ हुई ।)

श्री खूब सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि न कैपिटल बुरा होता और न कैपिटलिस्ट बुरा होता है । बुरी कुछ आदतें होती हैं कि जो लोगों को पड़ जाती हैं । कुछ कैपिटलिस्ट होते हुये अपने को यह दिखलाते हैं कि वह कैपिटलिस्ट नहीं हैं और कोई कैपिटलिस्ट नहीं है वह भी यह दिखलाना पसन्द करता है कि अगर कोई उसे कैपिटलिस्ट

[श्री खूब सिंह]

कह दे तो कोई बुरी बात नहीं है । मैंने यह अर्ज किया था कि यह मुनहसिर होता है रुपये के सर्कुलेशन पर । अगर सर्कुलेशन होता है किसी कैपिटलिस्ट की मनी का तो सब चीज ठीक है अगर सर्कुलेशन नहीं है उसे रोक कर रखा गया है तो वह वाकई एक बुरी चीज है । यह जो प्रस्ताव यहां है यह एक ऐसा अहम् प्रस्ताव है कि जिसको अगर हम यह मान लें कि इसका अर्थ यह है कि कैपिटल बुरी चीज है और कैपिटलिस्ट जिसके पास कैपिटल होता है वह भी बुरी चीज है तो मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से इस प्रस्ताव को सपोर्ट करना मुनासिब नहीं होगा । कुछ लोग जो कि उसूल वाले होते हैं, उसूलों की दुनिया में विचरते हैं वह एक मुख्तलिफ़ तरीक़े से कैपिटलिज्म की व्याख्या करते हैं । कोई कहता है कि मजदूरों के जरिये से काम कराया जाता है । पूरा वेतन, पूरी उनकी जितनी मेहनत होती है वह नहीं दी जाती । उनकी मेहनत का एक जुज बच जाता है चाहे वह सरप्लस मांग ही हो और सरप्लस मांग का होना ही उनके ख्याल से एक बुरी चीज हो जाती है । अगर इस उसूल को मान लिया जाय तो टैक्शेशन की थ्योरी जो है वह बिल्कुल खुद बखुद नीचे गिर जायगी । फिर किसी गवर्नमेंट की यह हिम्मत नहीं होगी कि वह किसी व्यक्ति को टैक्स लगाये । टैक्स है क्या चीज ? टैक्स किसी व्यक्ति की अर्निंग पर लगाया जाता है । अर्निंग क्या चीज है । अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा कमा लेना और जब हम अर्निंग करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और कुछ रुपया इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको पब्लिक के कामों में खर्च कर दिया जाता है । अगर यहां तक होता है तो कुछ बुरा नहीं । कुछ लोग जिन्होंने इस पर विचार विनिमय नहीं किया है केवल यह समझ बैठे हैं, केवल इतनी ही बात समझ बैठे हैं कि एक मजदूर की पूरी आमदनी जितनी उसकी मेहनत है वह सब मिल जानी चाहिये तो यह आज की दुनिया में नहीं हो सकता, मैं दावे से कह सकता हूं । एक जमाना कभी आ सकता है जिसको कि गांधी जी ने कहा था कि "मेरा तो गोल यह है कि हमारे देश में ही नहीं संसार में गवर्नमेंट की जरूरत ही न रहे" । इतनी डिसिप्लिन पैदा हो जाय कि गवर्नमेंट की जरूरत न रहते हुये डिसिप्लिण्ड लाइफ को लीड करते रहें और उस लाइफ में किसी का न शोषण रहे और न किसी को कोई तकलीफ़ रहे । वह एक उसूल की बात है, एक गोल है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं लेकिन उस जगह पर पहुंचने में हमें न जाने कितने दिन लगेंगे । हो सकता है एक हजार वर्ष लगें, या १० हजार वर्ष लग जायं या इतने समय में भी हम वहां तक न पहुंचें । हमारा जो आपसे कहना है, मैं जो कह रहा हूं वह आज की दुनिया की बात कह रहा हूं । आज की दुनिया में तो अर्निंग करना कोई बुरी बात नहीं है और अगर अर्निंग करने वाले को, हम बुरा समझ लें और यह समझ ले कि कुछ फायदा न कमाया जाय तो फिर गवर्नमेंट जितने टैक्सेज वगैरह वसूल करती है वह न करेगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्तलिफ़ तरीके से यह बतलाया कि कैपटलिस्ट वह बुरा होता है कि जो रुपया पैदा करके उस रुपये को किसी काम में न लाये और अपने पास दबा कर बैठ जाय, उसको सर्कुलेशन में न आने दे या उसके जरिये से दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाने के वास्ते वह रुपया इस्तेमाल किया जाय । अगर इतने विस्तारपूर्वक हम इसे ले जायं, तब तो ठीक है, मैं मानूगा कि कैपिटल का इस तरह इस्तेमाल करना एक बुरी चीज है लेकिन अगर रुपया गवर्नमेंट के हाथ में है या प्राइवेट हैंड में है किसी के भी पास है अगर उसका सदुपयोग होता है तो फिर मैं समझूंगा कि न वह कैपिटल बुरा है और न वह कैपिटलिस्ट बुरा है ।

अब रही बात यह कि आज मिलों में जो मजदूर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के जरिये से उनकी जो मजदूरी है वह रेगुलराइज हो रही है । और लेबर कोर्ट्स खुली हुई हैं और उनके झगड़े-फसाद वगैरह जो होते हैं उन्हें वे तय करती हैं और ख्वामख्वाह मजदूरों के दबाने की जो बात मिल मालिकों की तरफ से होती है, उसको गवर्नमेंट चेक करती है । मैं तो यह भी कहूंगा कि गवर्नमेंट को चेक करना चाहिये और अगर मिल मालिक कम मजदूरी देते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिये कि वह पूरी मजदूरी दिलाये । यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो वह इस दोष से बरी-जुम्मा नहीं हो सकती है । मैं बहैसियत कांग्रेस पार्टी के एक मेम्बर के यह कहता हूं

कि जिस गवर्नमेंट की छत्रछाया में किसी मजदूर को विक्टिमाइज किया जाता है, उसको सताया जाता है, उसके पालन पोषण के वास्ते, पेट भरने के वास्ते पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है, वह गवर्नमेंट ठीक नहीं है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं लेकिन यह गवर्नमेंट का दोष है, कैपिटल या कैपिटलिज्म का दोष नहीं है। मैंने मुख्तसिर तरीके से यह बतलाया कि आज की दुनियां में कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्टों को बुरा कह देना एक फैशन हो गया है। हमें ख्वामख्वाह के लिये थोड़े लोगों के खिलाफ जिन की जबानें थोड़ी हैं, नफरत पैदा न करनी चाहिये हमें तो उन कामों के खिलाफ, उन उसूलों के खिलाफ और उन कानूनों के खिलाफ नफ्रत पैदा करनी है जो मनी को सर्क्यूलेशन में आने से रोकते हैं। तो कैपिटलिज्म, जिस सेंस में हमारे दूसरे साथी कहते हैं, उस सेंस में पैदा ही नहीं हो सकता। हमें तो ऐसे कानून बनाने चाहिये जिससे मनी सर्क्यूलेशन में आ जाय।

मैं इस प्वाइंट को छोड़ कर एक बात कह देना चाहता हूं और वह यह है कि हम इस पर ज्यादा जोर दें कि जो इंडस्ट्रीज हैं वे गवर्नमेंट के पास रहें और जितनी आजकल प्राइवेट हैंड्स में हैं वे प्राइवेट हैन्ड्स में रहें क्योंकि अगर गवर्नमेंट उनको हाथ में लेगी तो काफी पैसा कैम्पेन्सेशन पर खर्च करना पड़ेगा। हमें उस पैसे को बचाना चाहिये और उस पैसे से हम नयी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। इसके अलावा हमें डिसेंट्रेलाइजेशन की तरफ तवज्जह देनी चाहिये। डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसके जरिये से जो अफेंसिव (offensive) कैपिटिलिज्म है वह खत्म हो जाता है।

अब चूंकि लाल बत्ती जल गई है, मैं अपनी स्पीच को इन दो तीन अल्फाज के साथ खत्म करना चाहूंगा और वे यह हैं कि न कैपिटलिज्म बुरा है, न कैपिटल बुरा है, अगर कुछ बुरा है तो अफेंसिव (offensive) कैपिटलिज्म बुरा है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी के संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सदन को इस बात का आश्चर्य न करना चाहिये बल्कि मैं यह समझता हूं कि 'जमींदारी उन्मूलन के पूर्व ही कैपिटलिज्म को खात्मे पर पहुंचा देना इस सरकार के लिये लाजिमी था लेकिन यह न हुआ तो आज जितनी जल्दी यह हो सके उतना ही कल्याणकारी और हितकर प्रतीत होगा। सन् १९४६ में जब सरकार एक मर्तबा इसको मान चुकी है और यह संकल्प इस भवन में पारित हो चुका है तो मेरी समझ में अब नहीं आता है कि सरकार को इसको स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है। मेरे माननीय दोस्त नारायणदत्त जी से भी यह भूल हुई, और शायद उनका यह मतलब नहीं था और वह इस संकल्प से प्रकट हो सकता है और आपकी आज्ञा से मैं यह संकल्प पढ़ रहा हूं। "इस असेम्बली की सम्मति है कि पूंजीवाद के समस्त रूपों की समाप्ति समाज की भलाई के लिये आवश्यक है और विश्वास करती है कि जब संभव होगा" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि "जब संभव होगा" इसके माने यह भी हो सकते हैं कि १० साल में, ५० साल में, ७० साल में जब यह सरकार मुनासिब समझे तो इस पूंजीवाद का विनाश करे। यह भूल हमारे दोस्त से हुई। उनका मतलब यह नहीं है। आपके द्वारा मैं पहले माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि वही जमींदारी विनाश के कारण हैं। उन्होंने ही आज जमींदारों के प्रति जो कुछ कदम उठाया है संभव है कि वह भारत के लिये हितकारी हो, प्रदेश के लिये उन्नतिशील हो लेकिन जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है हम तो दुनियां से चल चुके। इसके बाद पूंजीवाद को रखना यह हमारे माननीय मंत्री के लिये कहां तक उचित है यह उनको समझना चाहिये। मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सके यह कैपिटलिज्म भारत से और विशेषकर इस प्रांत से दूर कर दिया जाय। इसमें समय क्यों नष्ट किया जा रहा है। कहीं अच्छा होता कि माननीय उद्योग मंत्री इसको स्वीकार

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

कर लेते। और एक चीज जो कि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है उस पर इस तरह समय नष्ट करने से क्या फायदा । वह चीज वह स्वयं मानते हैं जो आज हमारे समाजवादी भाई कहते हैं तो उसमें समय नष्ट करने की क्या आवश्यकता। अगर आपोजीशन की तरफ से यह हुआ होता तो कहा जाता कि आप लोग गैरजिम्मेदारी से समय नष्ट कर रहे हैं। लेकिन आज माननीयय उद्योग मंत्री ही स्वयं इस सदन का समय नष्ट कर के एक तमाशा देख रहे हैं।

श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री नारायण-दत्त जी तिवारी के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं घोरतम विरोध करने के लिये उपिस्थित हुआ हूं। कारण यह है कि वह तो एक कथा वाचकों की तरह से परायण किया है। जैसा कि आप श्रीमन् जानते हैं कि पिछले दिनों में जब कि कांग्रेस माडरेट लोगों के हाथ में थी वे इसी तरह से संकल्प किया करते थे। न तो इसमें कोई प्रेरणा है और न इसमें कोई क्रियात्मक सुझाव हैं सिर्फ यह कि पूंजीवाद व्यवस्था समाप्त कर दी जाय। किस तरह की व्यवस्था लायी जाय। क्या हिटलर की तरह से कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म लाया जाय या आपका आशय यह है कि नेशनलाइजेशन किया जाय, यह आपने उसमें स्पष्ट नहीं किया। मैं समझता हूं कि हमारी जो समाजवादी पार्टी है स्वयं उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिये कि जब वह कांग्रेस से अलग हुये तब कांग्रेस के मूल सिद्धांतों का विरोध किया। लेकिन आज उनके चोटी के जो नेता हैं वे महात्मा जी की अहिंसा की और उनके रचनात्मक कार्यों की बड़े जोर से दुहाई दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि फिर उनका मतभेद कहां है। सरप्लस वेल्यू के बारे में बहुत सी बात कही गयी। मैं यह नहीं कहता कि केवल ४, ५ लाख मजदूरों का ही सवाल है। मैं तो कहता हूं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जहां लोग दूसरे के परिश्रम को छीन झपट कर अपना फायदा उठाते हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। जहां दूसरों के श्रम का उपयोग होता है किसी भी क्षेत्र में, उसके लिये यह आवश्यक है कि हमें काम और जीविका की गारन्टी देने वाली व्यवस्था करनी होगी। तब जा कर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं । नेशनलाइजेशन के बारे में श्रीमन् हमने देखा कि उससे कार्य क्षमता घट जाती है।

आज मैं आपको बतलाता हूं कि ओ०टी० रेलवे का वर्कशाप गोरखपुर में है। पहले उसकी कार्यक्षमता अधिक थी लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद अब उसकी कार्यक्षमता आधी रह गयी है। किस तरह का नेशनलाइजेशन होना चाहिये। एक फैक्टरी का मजदूर है और एक उसी फैक्ट्री का मैनेजर है तो मैनेजर तो एक विशाल बंगले में रहता है और वह बिचारा मजदूर अपने दस बच्चों के साथ आठ दस फीट वाली कोठरी में अपना जीवन यापन करता है। आप क्या इस तरह के नेशनेलाइजेशन को चाहते हैं। यह जो आंदोलन है यह तो अंग्रेजों और अमेरिकन्स पूंजी पतियों का पैदा किया हुआ है जिसका समाजवादी प्रचार कर रहे हैं। उनके पास वास्तविक कार्यक्रम कोई नहीं है । उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि आगे आनेवाले समय के लिये जो आज हमारे देश को आस पास के देशों से प्रेरणा मिल रही है, हर तरफ जाग्रति फैली हुई है उसको देखते हुये उनके प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम को देखकर हमें घोर निराशा होती है।

मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन् हमारे देश की व्यवस्था वैसी होनी चाहिये जैसे कि हम अपने घर में व्यवस्था करते हैं। हमारे चार बच्चे हैं उनमें से एक नहीं कमाता है, बीमार है या और किसी तरह से असमर्थ है तो हम भोजन बांटकर खाते हैं और अपनी व्यवस्था करते हैं जैसी जिसको आवश्यकता होती है और कार्य करने की क्षमता होती है वैसा करते रहते हैं। आज आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम इस

तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। लेकिन अर्थहीन प्रस्ताव को रख कर ख्याति पैदा करने का एक प्रोपेगेंडा है और कोई चीज नहीं है। आप समान आमदनी सिद्धांत क्यों नहीं स्वीकार करते ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपने इन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप साफ़ रोशनी में आइये और देश की प्रगति और आवश्यकता के साथ आपको आना चाहिये नहीं, तो जनता को गुमराह करने के लिये कम से कम प्रयत्न न करें। इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मुझे अपने कतिपय आदरणीय मित्रों के भाषणों को सुनकर आश्चर्य हुआ। जिस प्रस्ताव का वह विरोध कर रहे हैं शायद वह यह नहीं समझ रहे हैं कि वह विरोध किस बात का करते हैं । प्रस्ताव तो सीधा सादा है और आज से ६ वर्ष पूर्व हमारे आदरणीय नेता श्री सम्पूर्णानन्द जी ने माननीय सदन में इसको प्रस्तुत किया था। हमारे आदरणीय मित्र श्री परिपूर्णानन्द जी ने जिस लहजे में इस प्रस्ताव का विरोध किया और पूंजीवाद का समर्थन किया तो वह तो एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते उनसे इस संबंध में प्रगतिशीलता की यदि आशा की जाय तो मेरा ऐसा ख्याल है कि यह अस्वभाविक नहीं था। वास्तव में पूंजीवाद समाप्त होने के बाद क्या रूप हमारे समाज का रहेगा यह एक दूसरा प्रश्न है। इससे भिन्न प्रश्न है। प्रस्ताव से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। जैसा कि हमारे मित्र श्री रामजीसहाय ने कहा कि यह समाज वादी और यहां के और वाद देश, की और विश्व की समस्याओं का कोई समाधान नहीं दे सकते, तो प्रश्न यह होता है, कि क्या पूंजीवाद देश या समाज की समस्याओं का समाधान देता है, यदि नहीं तो गम्भीरता पूर्वक विचार करने की बात है कि आया हम इस वाद को रखें या नहीं । हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि समाजवाद को लायें, कम्यूनिज्म को लायें या किसी और वाद को लायें ।

हमारे सामने एक गांधियन फ़िलास्फी और गांधियन अर्थशास्त्र है। उसके द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जहां तक पूंजीवाद का सम्बन्ध है यह यांत्रिक युग का आविष्कार है। इसमें सहृदयता नहीं है । इसका लक्ष्य है लाभ-लाभाहिलाभ हर प्रकार से लाभ। इसका दृष्टांत १९४३ का बंगाल का दुर्भिक्ष हमारे सामने उपस्थित है। इतना ही नहीं पूंजीवाद न व्यक्ति का आदर करता है, न समाज का करता है और न स्वयं अपने वर्ग का करता है। १९४४ में जब जेल से महात्मा गांधी आये और उस समय हमारे यहां पूंजीपति घनश्यामदास बिड़ला, टाटा, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ये सब लोग अमेरिका और इंग्लैंड जा रहे थे कुछ लोगों के साथ कार्मशियल और इंडस्ट्रियल ट्रान्जेक्शंस करने के लिये, उस वक्त यदि हमारे मित्रों को यदि याद हो तो उन्हें मालूम होगा कि गांधी जी ने कहा था कि इस प्रकार की यात्रा इन पूंजीपतियों की देश के लिये घातक सिद्ध होगी। ये व्यक्ति मुनाफ़े के १०० प्रतिशत हिस्से में से ५ प्रतिशत हिस्से के लिये देश को बंधक रखने जा रहे हैं। लेकिन बावजूद महात्मा गांधी के कहने के घनश्याम दास बिड़ला और टाटा जो गांधी जी का इतना सम्मान करते थे अमेरिका और इंग्लैन्ड गये और उन तीनों महारथियों ने उनकी इस सलाह की उपेक्षा की। तो मैं जैसा कह रहा था पूंजीपति न तो व्यक्ति का महत्व समझते हैं और न किसी वर्ग का महत्व समझते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े उद्योग धंधे वाले अपने ही वर्ग के लोगों को, जो शाप कीपर्स होते हैं, छोटे-छोटे धंधे करने वाले होते हैं, जैसे कि एक कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ठीक उसी तरह से यह पूंजीपति बड़ी मछली की तरह से हमेशा छोटी मछली को निगलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब अपने तालाब की मछिलियां खत्म हो जाती हैं तब उसकी दृष्टि बाहर के मुल्कों पर जाती है और वे विदेशों में फारेन मार्केट्स ढूंढ़ते हैं। इस प्रतियोगिता का परिणाम क्या होता है, एक राष्ट्र का जब दूसरे राष्ट्र के साथ स्वार्थ संघर्ष

[श्री देवदत्त मिश्र]

होता है तो वह स्वार्थ संघर्ष युद्ध का रूप धारण कर लेता है जिसे आज हम ५० वर्षों से देख रहे हैं। ५० साल से पूंजीवादी व्यवस्था समाज में कोई हल नहीं दे सकी। जब-जब उसने हल करने की कोशिश की, समाधान देने की, जब-जब कोशिश की तब-तब एक से एक विकराल और विनाशकारी युद्ध उसके परिणाम में हुये। हमारे आदरणीय मित्र रामजी सहाय इस प्रणाली का समर्थन करते हैं जो प्रणाली युद्ध की जननी है, जो प्रणाली युद्धों की प्रदाता है, तो बेशक वह कर सकते हैं। अन्यथा इस प्रदेश में यह बात दूसरी है कि कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनाई जाय। जैसा मैंने कहा, हम किस रूप को ग्रहण करेंगे, हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, यह हमें विचार करना है और हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न हैं लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह पूंजीवादी प्रणाली हमारे देश के लिये हितकर है या नहीं, मैंने जहां तक देखा है, मैंने जहां तक सोचा है जैसा मैंने कहा चूंकि यह मशीन ऐज है, यांत्रिक युग से उत्पन्न हुई प्रणाली है लिहाजा इसमें हृदय नहीं है, यह हृदयहीन प्रणाली है। ठीक इसी प्रकार से देश में स्टेट सोशलिज्म की बात कही जाती है या सोशलिज्म की बात कही जाती है या कम्युनिज्म की बात कही जाती है। यह सब उसी मशीनरी की देन है। इसलिये हमारा ऐसा ख्याल है कि यह हमारी मानवता की समस्या का समाधान नहीं दे सकती है। इसके लिये कोई दूसरी प्रकार की प्रणाली को हमें निकालना होगा और उसको कार्यरूप में परिणित करना होगा। जो कि सहृदय हो और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देख सकती हो। जो मनुष्य को मनुष्य की तरह से नहीं देख सकती है वह हमारी समस्याओं का समाधान नहीं दे सकती है। इस समय प्रस्ताव यह है कि पूंजीवाद को समाप्त किया जाय। उसका स्थान कौन बाद लेगा यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं निकलता है। इसलिये हमारा दृढ़ विश्वास है कि पहले पूंजीवाद समाप्त हो उसके बाद क्या प्रणाली अपनाई जाय यह दूसरा प्रश्न है। स्वतंत्रता के आन्दोलन के जमाने में हम लोग यह कहा करते थे कि पहले यहां से अंग्रेजों को हटाइये, अंग्रेज यहां से निकलें, उसके बाद हमारी स्वतंत्रता का क्या स्वरूप होगा, इसको हम बाद में स्थिर करेंगे। पहले इसी प्रकार से पूंजीवाद समाप्त हो, उसके बाद उसका स्थान कौन ले इसको हम बाद में ही निर्णय करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज सदन के सामने वह दर्दनाक सीन उपस्थित करने जा रहा हूं कि जितने यहां पर सदन के लोग बैठे हुये हैं उनको भी जानकर ताज्जुब होगा। मैं चाहता हूं कि सब लोग कलेजा थामकर सुनें। आज नारायणदत्त तिवारी जी ने जो प्रस्ताव यहां पर उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। इस सदन का भी मान है, प्रतिष्ठा है। इस सदन के अन्दर यह प्रस्ताव सर्वप्रथम १९४६ ई० में पास हुआ था लेकिन आज मैं आप साहबान को बतलाना चाहता हूं कि यहां पर कुछ भाई बैठे हुये हैं जो अपने को भी पूंजीपति समझते हैं। हमारे भाई अवधेश प्रताप सिंह जी ने अभी अपना भाषण दिया था लेकिन उन्होंने यहां पर जो कुछ भी कहा वह महज भावावेश में आकर कहा है। चूंकि जमींदारी अभी खत्म हुई है इसलिये उन्होंने भी पूंजीवाद के खिलाफ़ अपनी राय का इजहार किया है। लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि पूंजीवाद का नाश हो और समाज के हर आदमी को सुखपूर्वक रहने का अधिकार हो। यह कहा गया है कि "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्" आज दुनियां में कोई भी आदमी भूख के लिये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आज आप शहरों की गलियों में जाकर देखें कि जो रिफ्यूजीज आये हुये हैं वह आज किस हालत में रह रहे हैं उनमें ब्राह्मण भी हैं ठाकुर भी हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं जो अपना देश छोड़कर यहां पर आये हैं उनकी जो दशा है वह सोचने के लायक है। परसों माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम यहां पर ४३० आदमी ही नहीं हैं हमारे और भी भाई हैं जिनके साथ हमारी हमदर्दी है। जिस व्यवस्था से देश को या समाज को कष्ट हो उसका विनाश होना अत्यन्त आवश्यक है। जब हम लोगों ने "भारत छोड़ो" प्रस्ताव बम्बई में पास किया था तो उसी तरह से हमने आवाज बुलन्द की थी। हमारे माननीय

मंत्रियों ने जमींदारी विनाश की नींव डाली। हम उम्मीद करते हैं कि पूंजीवाद को खत्म करनेकी नींव भी इसी तरह से वह डालेंगे। और उसका सर्वनाश करने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। हमारे मंत्री जी पहले माल मंत्री थे और अब वह उद्योग मंत्री हैं। अब वह प्रयत्न कर रहे हैं कि उद्योग की उन्नति हो ताकि यह गरीबी की समस्या जल्दी से हल हो जाय। हमारे यहां इन्कमटैक्स साढ़े बारह आने हैं, इंग्लैन्ड में साढ़े नौ आना है और अमेरिका में साढ़े आठ आने है। मैं भी विदेश हो आया हूं और उस व्यवस्था को देख कर स्वयं आया हूं और मैंने वहां जा कर देखा है कि वहां हर विद्यार्थी स्वयं कमाता है और जीवन निर्वाह करता है, वहां वह बाप के भरोसे नहीं रहता। इस समय मुल्क में इस बात की जरूरत है कि हर आदमी अनुशासन के अनुसार काम करे और डिसिप्लिन का पालन करे। (कुछ आवाजें) आप सुनते रहिये, मैं भाषण कर रहा हूं मजाक़ नहीं कर रहा हूं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को आप बीती बतला रहा हूं जगबीती नहीं कह रहा हूं, फिर परेशान होने की क्या बात है? उपाध्याय जी बहुत परेशान हैं। मुझे बहुत दुख है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि एक सदस्य दूसरे सदस्य की वेल्यू को गिराये, वेल्यू बढ़ाने का तो सब को अधिकार होना चाहिये और हर एक मेम्बर का कर्तव्य होना चाहिये कि वह एक दूसरे की मान मर्यादा को बढ़ाये और उसका ध्यान रखे बृटिश वेस्ट इंडीज में जो अमेरीका की कनसर्न कहलाती है वहां मजदूरों के लिये फ़र्स्ट क्लास बंगले हैं, उनके रहने का इंतजाम उनकी दवा दारू का प्रबन्ध, उनके खाने पीने का इतजाम आदि सब चीजों की बहुत ही सुन्दर व्यवस्था है। हालां कि वैसी व्यवस्था हम अभी अपने यहां नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं और हमने किया है वह किसी से कम नहीं है, बाई एन्ड बाई हम कर रहे हैं, हमने जमींदारी को खत्म कर दिया और जल्द ही पूंजीवाद को भी खत्म कर देंगे और भगवान ने चाहा तो हम ५ साल ही में इस को भी खत्म कर देंगे। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ५ साल से अब तक क्यों नहीं पूंजीवाद को खत्म किया गया, यह कोई बिजली का बटन तो है नहीं कि दबा दिया और सब में उजाला हो जाय, हो रहा है और होगा लेकिन बाई-बाई जैसे मौक़ा होगा किया जायगा। आप ने फ्रान्स की राज्यक्रांति पढ़ी थी। हमने उसको पढ़ा था वहां के रिवोलूशन का जो देश पर प्रभाव पड़ा और वहां जो खून खराबी हुई वह हम अपने यहां नहीं होने देना चाहते। हम तो इसी तरह से शान्ति के साथ चाहते हैं जिस तरह से हमारे यहां हमारे बुजुर्गवार स्वर्गीय पटेल ने ६०० रियासतों को बिना खून बहाये ही इंडियन डोमिनियन में मिला दिया। आप आज कहते हैं कि पूंजीपतियों का खात्मा नहीं किया जा रहा है। हमने उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिला कर अपने को अग्रसर किया है।

दूसरी बात जो इस सरकार ने लखनऊ में की, गोरखपुर में की और हर एक शहर में की है और जिसको आप देख भी सकते हैं वह यह है कि सरकार ने रोडवेज को अपने हाथ में ले लिया है। उसके फलस्वरूप, उपाध्याय जी की मोटरें भी बन्द हो गईं और उनके यहां भी सरकार अपनी मोटरें चलवा रही है। एक चीज सरकार ने यह की कि पूंजीपतियों को खत्म किया, एक जीना खत्म किया, बिजली को अपने हाथ में लिया, यातायात को लिया, आज वह स्टेट की चीजें हैं और स्टेट अपने अधिकार से चलवा रही है, हम छछूंदर को धीरे-धीरे उतार रहे हैं ताकि खून की नदियां न बहें हम राजनारायण जी की तरह उतावली में आ कर गलत काम नहीं करना चाहते हैं। हम उनको बतलाना चाहते हैं कि वेल्यू किसकी किसके लिये है, हमारी वेल्यू आपकी वेल्यू से कितनी ज्यादा है यह सदन को मालूम है। मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि उपाध्याय जी की तरफ से मेरे ऊपर छींटाकशी की गयी मैं आपके द्वारा उनको जवाब दे रहा हूं, मैं कोई छींटाकशी नहीं कर रहा हूं। हमारे हकूक पर इस तरह से अटैक न किया जाय। आज जिनके पास मोटरें हैं और फ़र्स्ट क्लास वाले आराम हैं उनके यहां कुत्तों को हलुवा मिलता है। पिछले दिनों में जब मैं हरैया पहुंचा तो वहां हरिजन कान्फ्रेंस थी जहां जिसमें ठाकुर भी थे और पंडित भी थे। मैंने उनके सामने कुछ नहीं कहा। हिन्दुस्तान के नंगे-भूखे हरिजन वहां थे। मैंने कहा कि इन लोगों की मेहनत पर आप लोग मौज करते हैं, यह नहीं होना चाहिये। अगर हम हिन्दुस्तान की उन्नति चाहते हैं तो हमें

[श्री शिवनारायण]

चाहिये कि गांव में जा कर हरिजनों को उठावें। हमारे लायक़ दोस्ट जो छींटे मारते हैं उनके भी गांव में चमार और हरिजन बसते हैं लेकिन वहां कोई पुरसांहाल नहीं है । जहां से हमारे अपोजीशन लीडर राजनारायण जी आये हैं और जहां से आचार्य नरेन्द्रदेव जी आये हैं उनके पास कितनी ही कोठियां हैं लेकिन किसी हरिजन को उनमें रहने की इजाजत नहीं है। उनके लिये वहां कोई स्थान नहीं है। यह है हमारी सोशलिस्ट पार्टी जो आज प्रजासोशलिस्ट हो गई है और न मालूम क्या क्या लिस्ट होगी। वे शायद यह कहें कि हम आपके साथ जेल खाने गये हैं। हम वेलकम करते हैं । प्रत्येक सदस्य को इस सदन में यकसा अधिकार रखा है । महात्मागांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने आजादी प्राप्त की। हमने और आप ने सभी ने क्विट इंडिया का नारा लगाया था। उपाध्याय जी, घबरावें नहीं । मैंने भी लगाया था और उन्होंने भी लगाया था । विदेशों में हमने अंग्रेजों के जुल्मों को देखा था । हम देश-विदेश में रहे हैं। एक क़िस्सा मुझे याद आ गया जिसे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से दो मिनट में सुना देना चाहता हूं । एक सट्ठन किसी राजा के यहा था और जब राजा साहब मरे तो उसने कहा कि तमाम राज्य का आधा और आधी रानी भी मुझे मिले । आज अगर उपाध्याय जी इस तरह से बांट दें तो सोशलिज्म का प्रचार हो जाय । उपाध्यक्ष महोदय, कहना बड़ा आसान है मगर करना बड़ा मुश्किल है । सन् ४२ में हम सब लोग तो जेलखानों में बन्द कर दिये गये थे लेकिन क़ौम ने करवट बदली और कहीं रेल काटी तो कहीं तार काटा और अंग्रेज देश छोड़ कर चले गये । आज हमारे नेता लोग जो यहां बैठे हुये हैं और देश को संभाले हुये हैं । विदेश के लोग मुंह बाये हुये हैं कि हिन्तुस्तान को हड़प जावें। हमारे लायक़ दोस्त जो यहां बैठे हुये हैं वे चीन और रूस की दुहाई देते हैं और राजनारायण जी को चीन से बड़ी हमदर्दी है । अरे, हिन्दुस्तान से हमदर्दी रखो । बराबर बांट कर खाओ और पीओ । इसी में भलाई है । राजा साहब भी हमारे सामने आगये हैं और बैठे हैं। उन्होंने भी इसका समर्थन किया है । उन्होंने जो कुछ कहा वह द्वेष भावना से कहा है लेकिन हम और वह चाहते हैं कि पूंजीवाद ख़त्म हो और जनता की यही आवाज है । सिर्फ़ उन्हीं का ही नहीं बल्कि कांग्रेसवालों का भी यही नारा है । जितने यहां बैठे हैं सब यही चाहते हैं कि ग़रीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती हो। राजगुरु भगत सिंह के साथ हम सब थे जब यह नारा लगाया था । आज नेता जी को कोई भूला नहीं है, श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन और सरदार पटेल को कोई भूला नही है हम उन्हीं लोगों की संतान हैं उनके कार्यों को पूरा करते हुये देश का कल्याण करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं पूंजीवाद के नाश का समर्थन करने की प्रार्थना इस सदन से करूंगा ।

श्री झारखण्डेराय—(ज़िला आज़मगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले श्री नारायणदत्त तिवारी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सदन के हर एक सदस्य को मौक़ा दिया कि हम अपने विचार इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकट कर सकें । साथ ही साथ मैं उन महानुभावों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संकल्प का विरोध कर के अपनी असलियत प्रकट कर दी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूंजीवाद मानव-मानवता , मानव जाति और उसकी तमाम सुन्दर संचित निधियों के लिये अभिशाप सिद्ध हो रहा है, इसका जितनी ही जल्दी विनाश हो जाय उतना ही इंसान के लिये बेहतर है । जिस प्रकार दुनिया के कुछ भाग में पूंजीवाद या तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है या ख़त्म करने के लिये प्रयत्न हो रहा है उसी प्रकार दुनिया के बाक़ी हिस्सों में पूंजीवाद का विनाश होगा , यह बिलकुल निश्चित चीज़ है लेकिन जितनी जल्दी हो जाय उतना ही बेहतर है। हमारे प्रदेश, प्रान्तीय सरकार और इस सदन के लिये इस अवसर से लाभ उठाने का आज सुनहरा मौक़ा है। इस मौक़े पर हम अपने पुराने निश्चय को दुहरा सकते हैं जिसे आज से ६ साल पहले माननीय संपूर्णानन्द जी ने यहां प्रस्तुत किया था । आज हमें बहुत दुःख और आश्चर्य हुआ जब कि उनके बहुत क़रीब रहने वाले माननीय परिपूर्णानन्द जी ने उसका विरोध किया । मैं समझता हूं कि यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी उस बार भी सदन के सदस्य रहे होते तो उन्होंने

उस बार भी इस संकल्प का विरोध ही किया होता । उन्होंने आंकड़ों के अंबार में असलियत को छिपाने की कोशिश की, चाहे वह अनजान में ही क्यों न की हो। उन्होंने अपने सारे भाषण में इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि आज हमारे देश में पूंजीवाद है ही नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान में कोई भी प्रगतिशील विचार का आदमी, चाहे वह कांग्रेस के सदस्य हों, चाहे किसी और प्रगतिशील संस्था के मेंबर हों, सब इस बात में एक राय हैं कि हिन्दुस्तान में पूंजीवाद का—देशी पूंजीवाद का ही नहीं, विदेशी पूंजीवाद का भी, बोलबाला हो रहा है । जब हिन्दुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेशी पूंजी को निमंत्रित करते हैं तो क्या पूंजीवाद नहीं है ? आज-यों तो हिन्दुस्तान में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है उसके आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं हैं लेकिन कम से कम ६०० करोड़ रुपये की पूंजी है जो बाहरी मुल्कों की हिन्दुस्तान में कल कारखानों, आसाम के चाय के बाग़ों से लेकर, इंश्योरेंस कंपनीज़, बैंकों और लोहे, कोयले, बैंकों की खानों, केमिकल इन्डस्ट्रीज़ के रूप में तथा अन्य कारोबार में लगी हुई हैं । क्या इस सदन का कोई सदस्य ऐसा होगा जो देशी पूंजीवाद के साथ-साथ विदेशी पूंजीवाद का भी समर्थन कर सकता हो ? आज मैं देख रहा हूं इन पूंजीवादी तत्वों के विनाश के लिये जब एक साथी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया तो उस संकल्प का विरोध किया गया । मैं पूछता हूं कि क्या उनका विरोध देशी पूंजीवाद के ख़ात्मे से है या विदेशी पूंजीवाद के ख़ात्मे से भी है ? तो क्या इसके माने यह हैं कि इस सदन में ऐसे लोग भी हैं जो आज साम्राज्यपरस्ती करना चाहते हैं, हिन्दुस्तान में रह कर ? अभी हमारे एक माननीय सदस्य, शायद शर्मा जी ने उस नापाक गठबंधन की चर्चा की है कि जब महात्मा गांधी आगा खां पैलेस से छूटे तो हिन्दुस्तान के चोटी के पूंजीपतियों ने अमेरिका और इंगलैंड के बड़े-बड़े पूंजीपतियों से बड़ी सांठ गांठ की। जिस तरह से विदेशी पूंजीपतियों के साथ देशी पूंजीपतियों ने गठबन्धन किया, ज्वायंट इंटरप्राइज के जरिये मिली जुली शक्ल में नापाक साजिश की । क्या उसे भी पूंजीवाद नहीं कहा जा सकता है ? आज तो देश के पूंजीवादी, ख़तरे की ओर जा रहे हैं । ख़तरा इस माने में कि जिन पूंजीपतियों ने अपने आन्तरिक द्वन्द्व के कारण देश का बटवारा कराया और देश का बटवारा कराने में देश के बड़े-बड़े हिन्दू पूंजीपति टाटा, बिड़ला, डालमिया, बालचन्द, हीराचन्द आदि थे। इस्फहानी और दूसरे मुस्लिम पूंजीपति आदि तो पूंजीवाद की दौड़ में बहुत पीछे आये । उनको एक चिन्ता यह थी कि अगर "मुक्त द्वार व्यापार की नीति हो तो हमेशा बड़े पूंजीपति छोठों को खा जायंगे जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने कहा है। पूंजीवाद का यह एक आन्तरिक विरोध है कि बड़े-बड़े पूंजीपति बड़े होते जायंगे और जो छोटे हैं वे ख़त्म हो जायंगे । इसमें मानोपालाइजेशन, एकाधिकरण बढ़ जाता है । नतीजा यह होता है कि जैसे अमेरिका में अमेरिकन सरकार चाहे ट्रूमन की हो, चाहे रूजवेल्ट की हो चाहे आइसरहावर की हो, वह उन १४ बड़े बड़े बैंक डाइरेक्टर्स के हाथ में नाचती है उनके हाथ की कठपुतली होती है । वह सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, डेमोक्रेटिक पार्टी की हो, चाहे रिपब्लिकन, पार्टी की हो हिन्दुस्तान में भी वह हालत हो सकती है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के मुसस्लिम पूंजीपतियों ने जो नारा लगाया उससे मुल्क दो हिस्सों में हो कर ही रहा। इतना ही नहीं कि हमने मुल्क के दो हिस्से देखे, उसके साथ-साथ दो हिस्से होने से जो लाखों आदमियों के खून हुये, हजारों माताओं, बहनों की अस्मत लुटी, लाखोंघर लुट गये, लाखों बच्चे बड़े-बूढ़े आज दर-दर मारे फिर रहे हैं, इसे हमने देखा, आपने देखा, सदन ने देखा तथा सारे देश और संसार ने देखा । क्या आप चाहते हैं कि वही इतिहास हिन्दुस्तान में फिर दोहराया जाय ? यह देशी पूंजीपतियों की आन्तरिक संघर्ष नीति के कारण ही हुआ।

आज आन्ध्र में अलगाव की बात चल रही है। आखिर इसके पीछे क्या चीज है ? यह बड़े-बड़े तामिल पूंजीपति हैं जो तेलगू भाषा-भाषी किसानों का शोषण करते हैं। इसलिये आज उनमें टकराव है । मराठी और कन्नड़ भाषियों में आपस में द्वन्द्व है। इसलिये कि कन्नड़ किसान पूरी तरह से हैवान की जिन्दगी बिताते हैं। मराठी पूंजीपतियों और बड़े-बड़े

[श्री झार खण्डेराय]

सामन्तों द्वारा उनका शोषण होता है । इसी तरह से हमारे देश के माड़वाड़ी और गुजराती पूंजीपति देश के पिछड़े भागों में कब्जा रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के जो दूसरे पिछड़े हुये हिस्से हैं वे विकसित न हों । वे पूंजीपति उनको दबोच रखना चाहते हैं , और उस दबोचने में भी वे अपने ही ऊपर निर्भर नहीं हैं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सांठ गांठ भी किये हुये हैं और ज्वायंट इंटरप्राइज के नाम पर हवाई जहाज की कम्पनियां, साइकिल, मोटर वगैरह तमाम कारोबार हिन्दुस्तान में खोल रहे हैं, । विदेशी पूंजीपति और देशी पूंजीपति मिले जुले हैं और उनकी मिली जुली पूंजी से ये काम हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि सदन में देशी पूंजीपतियों का शायद कोई सार्थक हो लेकिन विदेशी पूंजीपतियों का समर्थन तो नहीं ही करना चाहिये । हमारे इस संकल्प का संबंध जो हमारे साथी ने पेश किया है केवल देशी पूंजीपतियों से ही नहीं है बल्कि विदेशी पूंजीपतियों से भी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जैसा कि हमारे साथी ने बतलाया जरूरी नहीं है कि हम पूंजीवाद का पूरा विकास करके तब जा कर समाजवाद की लड़ाई शुरू करें । इसका उदाहरण इस दुनिया में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है । सोवियट यूनियन का रूसी तुर्किस्तान का जो पिछड़ा हुआ इलाक़ा है, जो किसी जमाने में बोखारा के नवाब के सुल्तानेट की मातहत हैवानियत की जिन्दगी बिता रहा था, जो आज जातियों के स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धांतानुसार पांच टुकड़े हो कर स्वायत्त-शासन भोगी प्रजातंत्र के रूप में सुशासित हो रहे हैं, उसके अन्दर वह कबायली ताल्लुके थे, उनके अन्दर दास की व्यवस्था भी कहीं कहीं दिखाई देती थी। लेकिन उन्होंने तमाम समाज के विकास के तमाम कड़ियों को एक में पिरोकर पूंजीवादी व्यवस्था का अन्त कर के वहीं से शीघ्रातिशीघ्र स्वायत्त शासन शुरू कर दिया । उन्होंने यह नहीं देखा कि पूंजीवादी व्यवस्था विकास पर पहुंच जाय तब उसका विनाश करें और तब समाजवाद को लायें । पूंजीवाद का सब से बुनियादी सिद्धांत यह है कि उत्पादन के साधनों पर किसकी मिल्कियत होगी, किसका स्वामित्व होगा इस पर निर्भर है । माननीय परिपूर्णानन्द जी ने आंकड़े दे कर यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि वहां के मजदूर को एक जूता खरीदने के लिये, एक अन्डा खरीदने के लिये अधिक मेहनत करनी पड़ती है लेकिन मैं आप के जरिये से सदन के सामने साफ़ कर देना चाहता हूं कि अमेरिका में एक इंजीनियर, एक मैनेजर, एक डाइरेक्टर की तनख्वाह जितनी है उसके हिसाब से वहीं के काम करने वाले मजदूर की मजदूरी बहुत कम है । दूसरी ओर सोवियत् यूनियन में एक इंजीनियर की तनख्वाह अगर ४ सौ रुपये है तो उससे थोड़ी ही कम उस मजदूर की भी है जो उनके मातहती में काम करता है । बल्कि चायना में सब से बड़ी तनख्वाह ८ सौ रुपये है जो कि उस राष्ट्र के प्रेसीडेंट की है और सबसे कम तनख्वाह डेढ़ सौ रुपये है । तो उपाध्यक्ष महोदय अगर चीन या रूस के आदमियों को एक चीज के दाम ज्यादा देने पड़ते हैं तो उसका यही कारण है । यह कारण नहीं है कि वहां के मजदूरों की हालत खराब है या बदतर है । मैं समझता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में पूंजीवादी तत्वों का विनाश नहीं किया गया तो पूंजीवाद के असम विकास के कारण हिन्दुस्तान के दो हिन्दुस्तान हुये और अगर अब हिन्दुस्तान में पूंजीवाद का विकास हुआ तो हिन्दुस्तान के और भी टुकड़े हो सकते हैं । ये पूंजीवाद तत्व आपस में टकरायेंगे और अपनी टकराहट के कारण जनसमर्थन के लिये जनता के सामने तरह-तरह के नारे उठायेंगे । मिलों में जो मजदूरों की जिन्दगी है, जानवर और हैवान की, मैं समझता हूं कानपुर में माननीय परिपूर्णानन्द जी तो इतने दिनों तक रह चुके हैं उन्होंने कभी उन हिस्सों को देखने की कोशिश नहीं की है, जहां पर मजदूर रहते हैं, जो अपनी कमाई हुई पूंजी से अपना पेट जब नहीं भर पाते, तो उनकी माताओं और बहिनों को सरायों और चकलों में अपनी असमत को दो-दो और चार-चार आनों पर बेचना पड़ता है । पूंजीवादी व्यवस्था में इंसान, इंसान नहीं रहता, वह हैवान हो गया है और जानवरों की तरह रात दिन जिन्दगी बितानी पड़ती है । उसके बाद भी जब यहां बैठ कर उस व्यवस्था की वकालत की जाती है तो मुझे हैरानी होती है और मैं हैरत में पड़ जाता हूं । मैं, उपाध्यक्ष

महोदय, यह चाहता हूं कि इस संकल्प का जोरदार समर्थन किया जाय, तमाम साथियों की ओर से, जो चाहते हैं हिन्दुस्तान खुशहाल हो, बेहतरी की ओर बढ़े, और दुनिया के तमाम महान राष्ट्रों में वह जैसा महान राष्ट्र रहा है, रहे, उनमें अपना नाम लिखावे और अपने को रखे ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस संकल्प के स्वरूप की ओर ले जाना चाहता हूं । प्रत्येक संकल्प में एक ध्रुवतारा हुआ करता है, उसका निश्चित अर्थ हुआ करता है । पब्लिक प्लेटफार्मों से और विधान सभा के भवन में जो संकल्प आते हैं उनमें अन्तर होना चाहिये । पब्लिक प्लेटफार्मों में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वह लूज होते हैं या भ्रामक होते हैं । पर यहां जो शब्द प्रयोग करते हैं उनका कोई निश्चित अर्थ होता है । जब इस दृष्टि से हम संकल्प पर विचार करते हैं तो पूंजीवाद शब्द हमारे सामने आता है । राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पूंजीवाद शब्द से अधिक भ्रामक शब्द कोई नहीं माना गया है । इस पूंजीवाद शब्द का क्या अर्थ है इस संबंध में मैं अपने प्रस्तावक महोदय से आप के द्वारा विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि यह संकल्प लाया गया है तो इसकी परिभाषा होनी चाहिये थी कि पूंजीवाद का क्या निश्चित अर्थ है। मैं तो फेल रहा इसके अर्थ समझने में । मार्क्स के शब्दों में "व्हेर कैपिटल बिगेट्स कैपिटल", एक तो अर्थ मैं यह समझता था । पर आज क्या इसका अर्थ यह नहीं है, राष्ट्रीय पूंजीवाद अंतराष्ट्रीय पूंजीवाद, सामाजिक पूंजीवाद, लिंग्विस्टिक पूंजीवाद, कितने इसके भेद हो गये हैं । जब इस दृष्टिकोण से हम इस संकल्प को देखते हैं, इस प्रस्ताव के स्वरूप को देखते हैं, कि इसमें पूंजीवाद का अर्थ क्या है, संकल्प क्या है, समाप्ति क्या है । समाप्ति स्वतः होती है । जैसा जमींदारी कानून के संबंध में विनाश शब्द न कह कर समाप्त प्रयोग करें तो वहां लागू नहीं होगा । समाप्ति स्वतः हो जाती है । सामाजिक व्यवस्था में पूंजीवाद का एक स्वरूप था । इसके अन्दर प्रतिभा का विनाश हुआ । फिर उसका स्वयं का विनाश होगा । अब उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप इसका अर्थ कहेंगे "व्हेर कैपिटल बिगेट्स कैपिटल" तो यह मेरी मान्यता है, अब वह अर्थ एक तरह से अजीर्ण हो गया है । सन् १९४६ ई० में इस सदन ने अपने संकल्प को दोहराया था । मैं समझता हूं कि नित्यप्रति अपने में एक तरह से उसका विनाश होता जा रहा है और नयी नयी जिन्दगी होती जा रही है। लेकिन पूंजीवाद शब्द का जब भारतवर्ष में प्रयोग होता है तो दूसरे अर्थ में लेना होगा । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूंजीवाद शब्द का प्रयोग रूस और चीन में अलग अलग अर्थ में होता है । चीन में जब यह शब्द प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ सांस्कृतिक मिश्रण हुआ करता है: रूस में जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस शब्द का दूसरा ही अर्थ होता है। मोलोटोव के पश्चात् इसका क्या स्वरूप होता है और इस संसार के अन्दर क्या भूकम्प इस विचार धारा में आता है इसको पश्चिमी राजनीतिज्ञ बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैं बहुत दूर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता। मेरी केवल यह प्रार्थना है, प्रस्तावक महोदय से, कि जब कभी वह कोई संकल्प लायें तो इस बात को पूर्ण रूप से समझ कर लायें कि शब्दों का एक निश्चित अर्थ हुआ करता है। इसके लिये इसके अन्दर क्या है और किस दृष्टिकोण से विचार करें, आप कभी कह देते हैं कि यह तो पूंजीवाद ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमारे माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने अपने अमुक ग्रंथ में किया है। यह कोई परिभाषा है या ऐसी कोई चीज है जिसको आप इस विधान भवन में ला सकते हैं। मुझे इस पर गवर्न करना सिखाया गया है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक शब्दों का, अर्ध विरामों का, एक निश्चित अर्थ हुआ करता है। जब इस दृष्टि से हम इसको देखते हैं तो इसका कोई निश्चित मतलब ही नहीं निकलता। आपके भाषणों को मैंने सुना और मैंने चाहा कि मैं इसके संबंध में अपना एक निश्चित मत स्थिर कर लूं कि पूंजीवादी तत्वों का क्या अर्थ है और हम किस दृष्टि से संकल्प करें, पर मैं तो फेल रहा । मैं देखता हूं कि यहां की आर्थिक नीतिका संचालन बहुत कुछ दिल्ली से संबंधित है तो फिर इस प्रस्ताव को किस रूप में हम स्वीकार करें। हां अगर मनोविलास के लिये और मनोरंजन के लिये

[श्री रामलखन मिश्र]

ही यह सुखद शुक्रवार आया करे और हम ऐसे ही धारावाहिक स्वरूप में व्याख्यान किया करें तो इसका कोई अर्थ हो सकता है। लेकिन यदि सचमुच जीवन की व्यावहारिकता में हमारा कुछ कर्त्तव्य है तो शब्दों की रूपरेखा की ओर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिये और हमको इस प्रकार के निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

तो इस संकल्प में न तो कोई क्रमवद्धिता है और न कोई स्वरूप ही स्थिर हुआ है। उसके अन्दर तो वेगनेस ही दिखायी देती है। भारतीय इतिहास में भावों की भाषा के जितने विद्वान हुये हैं उनकी भाषा सजीव विधेयक के रूप में ही है। आप कहते हैं कि पूंजीवादी तत्वों की समाप्ति हो जाय। क्या आपकी रूपरेखा है। यदि मैं प्रस्ताव महोदय की दलगत भावना को लूं तो उसे मैं चंचल पाता हूं। पहले सोशलिस्ट थे अब प्रजा सोशलिस्ट बन गये। अब सुना है गांधी जी के सिद्धांतों का मिश्रण भी कर दिया गया है। तो मैं उनका आशय समझने में फेल हो जाता हूं। अगर वे शब्दों से उसके अन्दर कोई पुट देना चाहते हों तो मैं उसको स्थिर नहीं कर पाता हूं। अगर आप वेगनेस को दूर कर दें तो मैं इस स्थिति में हो सकता हूं कि मैं इस संकल्प पर विचार करूं।

मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि आप शुद्ध मार्क्सवादी होकर आयें और मार्क्स के शब्दों को 'कैपिटल बिगेट्स कैपिटल' लेकर चलें, तो मैं समझ सकता हूं कि इसका निश्चित अर्थ यह है और इसका क्या स्वरूप हो सकता है। लेकिन आप वेगनेस में रख करके, एक जन विप्लव ला करके यह चाहें कि यह विधान सभा उस पर विचार करे, तो कैसे विचार हो सकता है? इसके ऊपर विचार करके सुन्दर स्वरूप से प्रत्येक शब्दों का क्या अर्थ होगा इसके लिये सुखद शुक्रवार फिर आ सकता है फिर दूसरा संकल्प लावें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री भगवान दीन मिश्र (जिला बहराइच)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उस पर बहुत हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव इसलिये लाया गया है कि ब्रिटिश शासन काल में जो शोषण प्रथायें जमींदारी प्रथा के नाम पर और पूंजीवादी प्रथा के नाम पर चलती थीं उनका अन्त करने के लिये जनतन्त्र की स्थापना करना इस देश ने अपना कर्त्तव्य समझा था और उस जनतंत्र की स्थापना के बाद इन दोनों शोषण प्रथाओं को समाप्त करना यहां की सरकार का प्रथम कर्त्तव्य था। इसलिये सन् १९४६ में कांग्रेस सरकार की स्थापना के बाद यह प्रस्ताव लाया गया कि यह दो शोषण प्रथायें जो जमींदारी प्रथा और पूंजीवादी प्रथा के नाम पर देश में शोषण कर रही हैं और देश की अवस्था को दिन प्रतिदिन गिरा रही हैं उनको समाप्त किया जाय।

इस विचार से उस समय यह प्रस्ताव लाया गया था और हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि जरूरत इस बात की थी कि पहले इन पूंजीवादियों को समाप्त किया जाता तब जमींदारी प्रथा पर हाथ चलाया जाता। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि कांग्रेस सरकार ने यह देखकर कि हमारे देश में रहने वालों में किसानों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ८२ फीसदी है कि जिनका शोषण जमींदारी प्रथा के आधार पर हो रहा है, सबसे पहले यह निश्चय किया कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिये और उस प्रथा को समाप्त होने के बाद पूंजीवादी प्रथा को समाप्त करना हमारी इस जनतंत्र प्रणाली की सरकार का प्रथम कर्त्तव्य होता है। ऐसी अवस्था में यह प्रस्ताव जो लाया गया है वह संकेत है इस बात का कि शासन सूत्र को चाहिये कि वह जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के बाद अब जो पूंजीवादी प्रथा देश में प्रचलित है उसकी समाप्ति

करे और उसके द्वारा जो शोषण हो रहा है उसे समाप्त करे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव निर्दोष और सीधा सादा है। कोई वजह नहीं मालूम होती, कोई ऐसी बात नहीं प्रतीत होती इस प्रस्ताव में कि किसी प्रकार की त्रुटि आती है। अब उसकी शब्द योजना आती है। उसके अन्दर किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, पूंजीवादी की परिभाषा दी गई है कि नहीं, मैं समझता हूं कि इस संकल्प के अन्दर, क्योंकि जो भी संकल्प लाया जाता है, एक सीधी सादी भाषा में सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि अब ज़मींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद जो पूंजीवादी प्रथा है और जिसके देश में अभी शोषण जारी है उसको समाप्त करने की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इस संबंध में एक बात देखता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जहां तक कि बड़ी बड़ी मिलें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चलने वाले उद्योग धंधे हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। यह एक सुझाव है और यह बात सदन के सामने बराबर आती है लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे यहां यह बात तो बहुत आवश्यक है और सिद्धांततः सही है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और उसके जो लाभ हो सकते हैं वह जनता के कार्यों में लाना चाहिये। किन्तु मैं देखता यह हूं कि जो भी उद्योग-धंधे हमारे कर्मचारियों के अधीन किये जाते हैं, प्रायः मैं यह देखता हूं कि हमारे कर्मचारियों में राष्ट्रीयता की कमी है, राष्ट्रीय भावना से उन कार्यों को वह नहीं करते। इसलिये मैं देखता हूं कि उन कामों में विफलता अधिक नजर आती है। इसलिये राष्ट्रीयकरण करने से यह हम उन उद्योगों को उन उद्योगधंधों को विकसित करते हैं बढ़ा सकते हैं और अधिक लाभ उससे उठा सकते हैं, जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं तब तो आवश्यक है कि जितनी जल्दी भी सम्भव हो उस योजना को प्रस्तुत किया जाय और चलाया जाय और अगर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीयकरण इस बीच में सन् ४६ से लेकर सन् ५२ के अन्दर संक्षिप्त रूप में किये गये हैं इसके अन्दर अगर हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दे देने की वजह से हमारे उद्योगधंधे अधिकतर विफल होते जा रहे हैं, उनमें सफलता नहीं मिलती है, अभी कल भी मैंने देखा कि उद्योग मंत्री ने जो जवाब दिया कि जो छोटे छोटे उद्योग-धंधे हैं उनमें वैसा करने से हानि नजर आती है तो उसका क्या कारण है। कारण यह है कि अभी छोटे छोटे कर्मचारियों में राष्ट्रीयता की भावना जैसी होनी चाहिये स्वतंत्र देश में वैसी नहीं है और उस तरह से काम नहीं किया जाता। ऐसी अवस्था में तो यह कहूंगा कि यह आवश्यक है, यह प्रस्ताव सरकार के सामने संकेत रूप में आया है कि दूसरी शोषण प्रथा जो कि जारी है पूंजीवाद के रूप में उसे समाप्त किया जाय। उसका क्या स्वरूप होना चाहिये, किस तरह से वह समाप्त हो सके और अधिक से अधिक जो लाभ उद्योगधंधों से होता है वह जनता को पहुंच सके यह विचारणीय है और इस पर विचार करके कदम बढ़ाना यह हमारे लिये और हमारी सरकार के लिये आवश्यक है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव सर्वथा उचित है और इस प्रस्ताव का समर्थन इस सदन के द्वारा होना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री नारायणदत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत सी बातें इस सदन में कही गयीं मैं बड़े गौर से उन सारी बातों को सुनता रहा। मुझे तो ताज्जुब तब हुआ कि जब माननीय परिपूर्णानन्द जी ने यह कहा कि इस प्रस्ताव की जो मंशा है उससे तो मैं इत्तिफाक करता हूं, लेकिन यह हिन्दुस्तान में चल नहीं सकता है और हिन्दुस्तान में पूंजीवाद है ही नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ साफ इस चीज को समझता हूं कि जिन लोगों को किसी प्रस्ताव का विरोध करना होता है उस सिद्धांत का विरोध करना होता है और यदि उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वे खुले आम कहें कि हम इस संकल्प का विरोध करते हैं तब वे एक बहाना निकाल लेते हैं कि इसकी मंशा से तो मुझे विरोध है नहीं बल्कि यह हो नहीं सकता है। इस प्रकार माननीय परिपूर्णानन्द जी

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

ने कहा कि पूंजीवाद तो हिन्दुस्तान में है ही नहीं। मैं और बताऊं कि बहुत से आंकड़े कि आपने बहुत से आंकड़े पेश किये। खैर आकड़ों के बारे में तो मैं उतनी बातें नहीं कर सकता हूं कि इसके लिये तो माननीय नारायणदत्त जी ने बहुत काफी आंकड़े इस सदन के सामने पेश कर दिये हैं मुझे ताज्जुब तो यह हुआ कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने अमरीका के आलू देखे, रूस के अंडे दिखे, लेकिन हिन्दुस्तान की चीनी उनको पसंद नहीं आयी। मैं सिद्धांतों के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं यह बताने जा रहा हूं कि आज क्या हो रहा है। हमारा चीनी के उद्योग से काफी ताल्लुक रहा है। मुझे मजदूरों में काफी अवसर काम करने का मिला है। इस कारण जो रोज ब रोज की कठिनाइयां हैं, किस तरह से उद्योग खतरे में पड़ा हुआ है, उसका मैं थोड़ा बहुत जिक्र आप के सामने करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि हमारे जिले में चीनी के उद्योग में दो किस्म की चीजें चल रही हैं। एक तो मैनेजिंग एजेंसी चलती है। और वहां कुछ लोग हैं जो उद्योग का इंतजाम करते हैं। कुछ जगह मैनेजिंग डाइरेक्टरी चलती है। एक आदमी मैनेजिंग डाइरेक्टर बना दिया जाता है और उस इंडस्ट्री के साथ उसको पूरा खेलवाड़ करने का मौका रहता है? हो क्या रहा है। दिन पर दिन चीनी की इंडस्ट्री बरबाद होती जा रही है। उसके बराबाद होने का असल कारण कौन है, वह अगर हम देखें तो पता चलेगा कि यह जो मैनेजिंग एजेंसी या मैनेजिंग डाइरेक्टरशिप चल रही है वही असल कारण है। जो मैनेजिंग डाइरेक्टर होते हैं या जो मैनेजिंग एजेंट होते हैं वे अपने फायदे के लिये उस इंडस्ट्री को चौपट करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ी सी मिसाल आपको दे दूं। मैं अपने जिले की मिलों के बारे में बताता हूं कि वहां हालत आज यह हो रही है कि मजदूरों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमारे जिले में पडरौना कटकुइयां, खड्डा और अनेकों मिलें हैं जहां मजदूरों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं लेकिन न मालूम कितना रुपया झूठ मूठ में मुकदमे दायर करने पर खर्च कर दिया जाता है। उनका इंतजाम कौन करे। इस बारे में न मालूम कितने मुकदमे दायर हैं और लाखों रुपया कम्पनी का इस तरह से मुकदमे दायर करके खर्च किया जा रहा है। अगर्चे कम्पनी आज एक व्यक्तिगत मिल मालिक के हाथ में नहीं होती या सार्वजनिक होती या उसका समाजीकरण हो गया होता, तो इतने जो खर्चे थे वह बच जाते।

दूसरी चीज क्या होती है? वह यह होती है कि मिल का फायदा हो या न हो जितनी चीनी पैदा होगी उस पर मैनेजिंग एजेंट को या मैनेजिंग डाइरेक्टर को एक बहुत अच्छा सा कमीशन मिल जायगा। एक तो इस तरह से रुपया बरबाद हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि चीनी तो बहुत कंट्रोल्ड चीज है। पहले तो चीनी पर ऐसा कन्ट्रोल था कि अगर वह चीनी कहीं भेजी जाय तो वह सरकार की इजाजत से भेजी जाय। उस वक्त भी एक सेलिंग एजेंट मुकर्रर था जिसको एक रुपया फी मन चीनी पर कमीशन दिया जाता था। पता नहीं वह कमीशन एजेंट खाता था या कौन खाता था। यह तो पता लगाने की बात है। यह तो तफसील में जब हम जायेंगे तब उसका पता ठीक ठीक चलेगा।

तो इस तरह से उद्योग में मनमानी चल रही है। इसके साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको बतलाऊं कि मेरी ही कांस्टीटुएंसी में एक मिल है पडरौना की। वहां पर आजकल भी जब कि चारों तरफ से यह हल्ला है कि बहुत ज्यादा आदमी उद्योग में काम कर रहे हैं, रोज ब रोज नयी जगहें बनायी जा रही हैं जिनका चीनी उद्योग से कोई संबंध नहीं है। जो दो दो, तीन तीन एडवाइजर वहां रखे जा रहे हैं। एपरेंटिस आफिसर की भर्ती हो रही है। हमने तो कभी ऐसी जगह के बारे में सुना नहीं। तो इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। जब तक कि उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तब तक तो कुछ काम नहीं चल सकता। अगर ऐसे मामले लेबर कोर्ट में ले जाइये, जैसा कि बहुत से सदस्यों ने कहा कि लेबर कोर्ट्स हैं, तो वे कहते हैं कि यह मजदूरों के झगड़े का कोई विषय

नहीं है, यह तो लिया ही नहीं जा सकता, मिल मालिक को अधिकार है जैसे चाहे वह उद्योग को चलावे। इस किस्म की परेशानी हो रही है।

और भी कुछ सदस्यों ने कुछ सवालात उठाये मैं उनका भी थोड़े में जवाब दे दूं। अभी हमारे यहां के एक सदस्य, श्री रामजीसहाय ने कुछ बातें कहीं। मैंने तो तो जहां तक समझा जब वह खड़े हुये यहां पर बोलने के लिये कि वह किसी प्रस्ताव पर तो बोल नहीं रहे हैं। मालूम ऐसा होता था कि कुछ पार्टियां हैं और उनमें कौन पार्टी अच्छी है और कौन बुरी है वही बतला रहे है। संशोधन से उनका क्या संबंध था यह मैं नहीं समझा। शायद वह बहुत ऊंची चीज़ कह रहे हों जो मैं न समझ पा रहा होऊं। आपने यह कहा कि इस प्रस्ताव में यह चीज तो उन्होंने कही कि पूंजीवाद खत्म कर दिया जाय, लेकिन उसके बाद कैसी व्यवस्था आये, क्या चीज़ हो, इसका कोई जिक्र इस प्रस्ताव में नहीं किया गया है और इसलिये नहीं किया गया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं अदब के साथ माननीय राम जी सहाय जी को बतला देना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी जब बनती है तो उसका कोई कार्यक्रम भी होता है। बिना कार्यक्रम के कोई पार्टी नहीं होती। हो सकता है कि उस कार्यक्रम से हम सहमत न हों लेकिन कार्य क्रम होता है और माननीय रामजीसहाय अगर कार्यक्रम को देखना या समझना चाहें तो आयें हमारे पास हम उनको समझायेंगे। हम अगर न समझा पायेंगे तो उनको किताबें देंगे वे उनको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। बिना किसी पार्टी के लक्ष्य को समझे हुए इस तरह से जबानी जमा खर्च कर देना यह उनके लिये कम से कम शोभा की बात नहीं है। मैं और भी उसके बारे में बता दूं। सन् ४६ में जिस वक्त माननीय सम्पूर्णानन्द जो इस इस किस्म का प्रस्ताव लाये थे तो वह भी इसी किस्म का प्रस्ताव था कि पूंजीवाद खत्म किया जाय। उस वक्त माननीय रामजीसहाय इस हाउस में मौजूद थे। उसमें क्या कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है यह तो सम्पूर्णानन्द जी ने जोड़ा नहीं था। वह तो एक अलग विषय है। उस पर फिर लोग बैठेंगे, उस पर विचार विमर्श होगा कि कौन सी व्यवस्था लायी जाय या क्या हो। लेकिन आप चाहते हैं कि सारी चीजें किसी प्रस्ताव में रख दी जायं तो यह तो बहुत असंभव है। ऐसा प्रस्ताव रखना ठीक नहीं है। माननीय देवदत्त मिश्र जी ने उसका ठीक ठीक जवाब दे दिया है, अब मुझे उसके बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सीताराम जी शुक्ल जब बोलने उठे तो मैं तो यह समझा ही नहीं कि वह प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इतना ही मैंने समझा कि अगर वह उनका भाषण बारुलशफ़ा के कामन रूप में होता तो ज्यादा हम लोगों की समझ में आता। और उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है।

हां, एक चीज़ और कहनी है कि माननीय खूब सिंह जी ने जिस तरह से पूंजीवाद की खूब खूब व्याख्या की है वह खूब ही रही है क्योंकि उस किस्म की व्याख्या तो मैं समझता हूं कि एक बिलकुल नयी चीज़ है वह उनकी नई देन है। उसके बारे में तो और कुछ कहना मेरे लिये भी खूब हो जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह जो नारायणदत्त जी का प्रस्ताव है यह बहुत जरूरी है और मेरी समझ में अगर इस पूंजीवाद को जल्दी से जल्दी हिन्दुस्तान में खत्म नहीं किया गया तो फिर हिन्दुस्तान की हालत और भी खराब हो जायगी।

और इसी लिये हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था जो चल रही है और इस किस्म से चल रही है। भले ही श्री परिपूर्णा नन्द उसे पूंजीवादी समझें या न समझें, उनको सोचने की बात है, लेकिन इस किस्म की व्यवस्था जो चल रही है उसको जल्दी खत्म होना चाहिये और जब यह खत्म हो जायगी, तभी हमारे देश का कल्याण हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री नारायणदत्त जी तिवारी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र तिवारी जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया है उस संबंध में आज हमारे बहुत से मित्रों ने अपने अपने विचार प्रगट किये हैं और मैंने सब बातों को बहुत गौर से सुनने और समझने की कोशिश की है। कुछ हमारे मित्रों ने इसका विरोध किया और कुछ मित्रों ने इसकी ताईद भी की है हमारे मित्र श्री राम लखन जी को इस प्रस्ताव की शब्दावली में कुछ दिक्कत मालूम हुई। इसमें जो पूंजीवाद का शब्द है उसके मानने में बड़ी परेशानी हमारे मित्र को हुई। लेकिन मैं अपने को इस परेशानी में मुब्तिला करना नहीं चाहता हूं। मैं तो इस लफ्ज को उसी माने में लेता हूं जो कि अगस्त, सन्, १९४६ ई० के प्रस्ताव में रखे गये थे। लिहाज़ा इस पर आज मुझे पहला मौका मिला है और मैं इस बात में उजलत करूंगा कि जल्द से जल्द अपने मित्र श्री तिवारी जी की परेशानी को दूर करूं। यह कहकर उनके प्रस्ताव की मैं ताईद करता हूं।

मैंने उनके प्रस्ताव के मतलब यह समझे कि जिन उसूलों पर हमारा अगस्त, १९४६ का प्रस्ताव आधारित था, जिन उसूलों को कांग्रेस पार्टी ने माना था। उस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव को सदन में लाकर स्वीकार कराया था। उस उसूल से हमारे मित्र तिवारी जी तथा अन्य साथी सहमत हैं। यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई और इससे एक बात और सिद्ध हुई कि जिसका सबूत देने की अब कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वह यह कि उनका जो दावा है कि वह कांग्रेस पार्टी से ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। जिस उसूल को मानते हैं उस उसूल को वह भी मानते हैं। लिहाज़ा यहां पर हम और वह इत्तिफाक करते हैं जो अच्छी बात है वह चाहे किसी क्वार्टर से आये उसे मानने में सरकार को इंकार नहीं होगा।

प्रस्ताव अच्छा है और मैं इसकी ताईद करता हूं लेकिन ज़रा तकलीफ भी मालूम हुई और वह बिला वजह नहीं मालूम होती है। यह प्रस्ताव १९४६ में पास हुआ था। उस प्रस्ताव के अगर शब्द देखे जायं तो उससे हम और आप आज कितने आगे बढ़ आये जिसको अरसा छः वर्ष का हुआ। इस छः वर्ष के ज़माने में क्या क्या तब्दीलियां हुईं उन पर हम और आप विचार करेंगे और आज तक हम कितना आगे बढ़ आये हैं इस प्रस्ताव के फलस्वरूप तो जब इस नुक्ते ख्याल से देखता हूं तो तिवारी जी का प्रस्ताव हमें बहुत पीछे ले जाता है बनिस्बत हमें आगे ले जाने के। ६ बर्स पीछे तिवारी जी हमें ले जाना चाहते हैं। हम तो यह आशा करते थे कि वह ज्यादा प्रगतिशील हैं और हमें आगे ले जाने की कोशिश करेंगे लेकिन बजाय आगे ले जाने के हमें पीछे ले जा रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि १९४६ के बाद ४८ में इंडस्ट्रियल लीग की एक पालिसी, ले डाउन हुई। उसे मैं पढ़ कर इस सदन का वक्त नहीं लेना चाहता। यह गजट में छपी थी और उसको हमारे माननीय सदस्यों ने अवश्य पढ़ा होगा और प्रस्तावक महोदय ने तो अवश्य ही पढ़ा होगा। मैं ऐसा कभी कह नहीं सकता कि हमारे भाइयों नें उसे पढ़ा न होगा।

एक सदस्य ---तारीख बता दीजिये।

श्री हुकुम सिंह---६ अप्रैल, १९४८ को छपी थी। कुछ हमारे भाई चाहते हैं कि मैं कुछ बतला दूं। आप की आज्ञा से मैं एक पैरा पढ़ देना चाहता हूं---

"The problem of State participation in industry and the conditions in which private enterprise should be allowed to operate must be dealt with in this pamphlet. There can be no doubt that the State must play a progressive and active role in the development of industries to help to achieve the main objectives. It should be determined by the extent of responsibility and menace to private enterprise. Under present conditions the

mechanism the resources of the State may not permit to function forthwith in industry as widely as may be desirable. The Government of India is taking steps to remedy the situation; in particular they are considering steps to create a body of men trained in business methods and management. They feel, however, that first, for some time to come the state will contribute more quickly to the increase of national wealth by extending its present activities with regard to which it is already operating and by concentrating on new units of production in other fields, rather than of acquiring and of running existing units. Meanwhile, private enterprise properly directed and regulated has a valuable role to play."

तो १९४८ में यह स्टेट पालिसी डिक्लेयर हुई जिसकी रू से जो प्राइवेट एंटरप्राइज़ हैं उनका कंट्रोल और रेगुलेट करने का तरीक़ा बतलाया गया । इसके साथ साथ इस रिजोल्यूशन और इस पालिसी के बाद संविधान तैयार हुआ और आपके यहां रिपब्लिक कायम हुई और सन् ४६ का जो हमारा प्रस्ताव है उसे अगर मैं कहूं कि वह संविधान के आर्टिकिल ३८ और ३९ में एमबाडीड होता है तो यह किसी तरह से ग़लत बात न होगी। मैं श्रीमान की आज्ञा से आर्टिकिल ३८ को पढ़ देना चाहता हूं--

"The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life."

[राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।]

तो इसको देखने से और संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल को देखने से यह साफ पता चलता है कि १९४६ का रिजोल्यूशन महज एक संकल्प था। अगर राष्ट्रीयकरण, सोशलाइजेशन या नेशनलाइजेशन अगर हम किसी इंडस्ट्री का करना चाहते हैं तो हम किसी कानून के जरिये से ही कर सकते हैं, रिजोल्यूशन के जरिये से नहीं कर सकते । लिहाजा इस रिजोल्यूशन का स्टेट्स और बढ़ गया इस संविधान में ऐसा प्राविज़न होने से । तो सरकार ने एक ऐसा स्टेप लिया कि आप ने जो निश्चय किया था उसको एक कानूनी शक्ल संविधान के मुताबिक़ यह सदन दे और इस विधान में यह दिया हुआ है कि लिस्ट १ आइटम नम्बर ५२ पर इंडस्ट्री के संबंध में कि जो कानून बनेंगे उनको सेन्ट्रल गवनर्नमेंट बनायेगी । उसमें यह भी दिया हुआ है कि इन्डाइरेक्ट प्रिन्सपिल के आधार पर या उनके अनुसार सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन मुकर्रर किया है । प्लानिंग कमीशन ने उस सारे प्रश्न पर विचार किया और विचार करने के बाद एक अपनी स्कीम दी है, एक योजना तैयार की है जो माननीय सदस्यों के पास पहुंच चुकी है और माननीय सदस्यों ने उसको देखा है । उस प्लानिंग कमीशन ने भी यह सजेशन दिया है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुये हम एक बारगी राष्ट्रीयकरण अगर कर दें तो अन्देशा है कि नुक्सान हो और देश का उसमें कल्याण न हो । उन्होंने कहा है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जो पब्लिक के अधिकार में नहीं होना चाहिये वह सरकार के इंतजाम में होना चाहिये । जैसे कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं इर्रीगेशन, एग्रीकलचर स्टील और हथियार बनाने की वह सब सरकार के जेरे इन्तजाम में होना चाहिये । इसके अलावा जो और इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी लिस्ट है और उनके लिये कहा है कि वह प्राइवेट इन्टरप्राइज़ पर छोड़ देना चाहिये लेकिन वह प्राइवेट इन्टरप्राइज़ भी निरंकुश नहीं होंगी। जैसा कि खाका हमारे जगन्नाथ मल्ल जी ने खींचा है उनके लिये भी एक रेगुलेशन होगा जिसमें वह बन्धी होगी और पाबन्दी होंगी। उसकी पाबन्दी के लिये सरकार ऐक्ट पास किया है जिसका नाम है "Development and control of Industries Act," ८ मई, सन् १९५१ ई० है और वह तभी से लागू किया गया है । लिहाजा जो प्राइवेट इन्टरप्राइज़ होंगी जैसा कि मैंने अर्ज किया इतनी स्वतंत्र नहीं होंगी कि जिस तरह से चाहें स तर से ना.जायज

[श्री हुकुम सिंह]

फायदा उठायें। बल्कि उनके ऊपर नियंत्रण होगा और जो ज्यादती वह इस समय कर रही हैं उनका होना असम्भव हो जायगा । लेबर, प्रोडक्शन और शेयरहोल्डर्स का प्रोटेक्शन किया जायगा। तो इस क़ानून की रू से बहुत सरकार आगे गयी है और हमने अपने प्रदेश के अन्दर बहुत सी फैक्टरी जैसे सीमेंट की फैक्टरी को सरकार ने बनाया है । प्रेसीजन फैक्टरी सरकार की है, बिजली का कारोबार भी कानपुर वगैरा में सरकार के हाथ में आगया है और इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनका इन्तजाम सरकार के हाथ में आता जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रान्सपोर्ट को आपने देखा कि वह भी सरकार के हाथ में आ गया है। इसी तरह से धीरे धीरे सरकार आगे जा रही है। लेकिन हमसे कहा जाता है और हमको अब सन् १९४६ ई० के प्रस्ताव की याद दिलायी जाती है । जब से यह प्रस्ताव पास हुआ है तब से हम बहुत आगे गये हैं। अब हम पीछे नहीं जा सकते हैं। मैं उस प्रस्ताव को पढ़ देना चाहता हूं कि "इस असेम्बली की सम्मति है कि पूंजीवाद की समाप्ति समाज की भलाई के लिये आवश्यक है और विश्वास करती है कि जब समय होगा उत्पादन विनिमय और वितरण के मुख्य साधन की समाजीकरण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी " तो इसमें यह अनिश्चित भविष्य बताया गया है । लेकिन हम कहते हैं कि हमने बहुत कुछ क़दम आगे बढ़ाया है। लिहाजा यह बहुत अच्छा है कि उस प्रस्ताव को दोहरा दिया जाय ताकि वह संकल्प ताजा हो जाय। हम धीरे धीरे आगे चलना चाहते हैं । हमने यहाँ दो विचार धारायें देखीं। एक तो यह कि कुछ लोग एक छलांग में इस पार से उस पार। जाना चाहते हैं और दूसरे वह लोग हैं जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहते हैं मैं इन दोनों में से किसी के साथ नहीं हूं, हम तो बीच में हैं। स्लोली एन्ड स्टडीली चलना चाहते हैं, न बहुत तेज न बहुत धीमे । इस चीज को मैं क़बूल करता हूं। और मेरे खयाल से यही देश के कल्याण का तरीक़ा हो सकता है । (एक आवाज) यू आर नो व्हेयर । आपके साथ तो फिर भी रहेंगे ही। मैंने श्री झारखंडेराय की तक़रीर बड़े ग़ौर से सुनी। उन्होंने कहा कि सोशलिज्म भी हो तो वह सब के आगे रहने की उम्मीद करते हैं लेकिन उन्होंने इसकी ताईद कर दी और ज्यादा हिम्मत उन्होंने नहीं की। श्री प्रबधेशप्रताप सिंह जी ने भी ताईद कर दी तो अच्छा किया । एक मसला है लेकिन मैं उसको यहां कहना नहीं चाहता । लेकिन मैं श्री झारखंडे राय जी से उम्मीद करता था कि वह हमारे रास्ते में जरूर ठीक रोशनी डालेंगे । तक़रीर तो उन्होंने बड़ी लम्बी और जोरदार की लेकिन आखिर में उन्होंने खाली ताईद ही की। मैं तो उनसे आशा करता था कि वह रूस तक का रास्ता हमको दिखलावेंगे लेकिन वह कहीं नहीं गये। न तो उन्होंने फ़ारेन कैपिटल के बारे में कुछ कहा न लोकल कैपिटल के बारे में कहा, बात तो कही तेरह सौ की लेकिन मतलब कुछ न निकला। उनका भी एटीट्यूड वही रिएक्शनरी रहा, उन्होंने भी हमें ६ साल पहले घसीटने की कोशिश की लेकिन महज शब्दों से कोई काम नहीं चलता और न तेजी के साथ तक़रीर करने से ही प्रगति होती है और न खाली स्ट्राइक से ही काम चलेगा। सही रास्ता तो सलाह मशवरे के बाद सोच समझ कर नतीजे सोच कर, आहिस्ता आहिस्ता चलने से ही एक पक्का रास्ता क़ायम किया जाता है । जो प्रस्ताव का उद्देश्य है उसको तो कांग्रेस सरकार पूरा करना चाहती है और पूरा करेगी इसमें जरा सा भी शक नहीं है लेकिन जो तरीक़ा बतलाया जाता है, मैं तो तिवारी जी का बड़ा ऋणी हूं कि उन्होंने ऐसा मौक़ा दिया कि श्री झारखंडे राय जी की भी पोल मालूम हो गयी और उसके लिये हम उनके बड़े ऋणी हैं और मुझे आशा है कि एक मौक़ा तो यह हुआ और दूसरा मौक़ा भी मुझे उनकी ताईद करने का मिला और उन्हें अब शिकायत नहीं हो सकती कि सरकार हमेशा मुखालिफत ही करती रहती है। अगर यह महत्वपूर्ण नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, अगर महत्वपूर्ण न होता तो हमारे मित्र लाते ही क्यों, यह बड़ी अहमियत रखता है और इसलिये सरकार भी इसकी ताईद करती है। लिहाजा मैं अपने मित्र का हर हालत में ऋणी हूं।

एक बात मैं माननीय रणंजय सिंह और जगन्नाथ दास जी से कहना चाहता हूं कि उनके संशोधन मानने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन

मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कोई काम किया जाय तो उसका नतीजा भी देख लेना चाहिये और उस पर गौर कर लेना चाहिये । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम जो कुछ करें वह नतीजा सोच कर ही करें । हम कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जैसा कि केंद्रीय सरकार की लिस्ट नम्बर १ में दर्ज है । अगर हम कमेटी बना कर काम करें और हमारे साथी कमेटी में काम करें और मेहनत करें और गवर्नमेंट चाहे तो उसपर अमल करें और चाहे तो न करें । यह दिक्कत हमारे सामने हैं वर्ना हम अपने साथियों की चाहे इधर के हों या उधर के हों, बात हमेशा मानने को तैयार हैं । हमारे सामने यह दिक्कत हुं । इसलिये मैं आशा करता हूं कि कुंवर साहब और जगन्नाथ दास जी अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे । इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—हम लोगों को इत्तला है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी इस विषय पर अपने विचार सदन के सामने रखेंगे ।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—नहीं, बिलकुल नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस संकल्प पर अब वादविवाद बन्द किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरे संकल्प के संबंध में जिन माननीय सदस्यों ने वादविवाद में हिस्सा लिया और जिस उच्च स्तर पर वाद विवाद हुआ उसके लिये मैं आप की आज्ञा से माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं । साथ ही साथ मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पहली बार इस सदन में मेरे प्रस्ताव की ताईद की ।

श्रीमान् जी, सब से पहले मैं उन संशोधनों पर विचार प्रकट करना चाहता हूं जो माननीय रणंजय सिंह जी और जगन्नाथ बख्श दास जी ने मेरे प्रस्ताव में उपस्थित किये हैं । माननीय रणंजय सिंह जी का जो प्रस्ताव था उसमें उन्होंने एक शर्त रखी थी उनका संशोधन इस प्रकार था— "संकल्प की पंक्ति १ में अंक '१९४६' और शब्द 'के' के बीच से अर्धविराम निकाल दिया जाय तथा पंक्ति दो में शब्द 'को दृढ़ निश्चय से दोहराता है' निकाल कर उनके स्थान पर शब्द 'पर परिस्थिति के अनुसार गंभीरतापूर्वक पुनः विचार करके दो मास के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये एक समिति संघटित कर दे' रख दिये जायं ।' इसमें जहां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न है मैं उससे सहमत हूं, मैं यह मानता हूं कि इस प्रश्न पर जितनी जल्दी विचार किया जा सके उतना ही अच्छा है । लेकिन जब उन्होंने 'परिस्थिति के अनुसार' शब्दों का विवेचन किया तो उन्होंने जमींदारी अबोलिशन के विषय में जो क़दम उठाये गये उनकी भी कुछ आलोचना की, उससे मालूम पड़ता था कि उनके विचार से जमींदारी समाप्त करने में बड़ा अन्याय किया गया और वे चाहते थे कि पूंजीवाद के समाप्त करने में भी ऐसा ही रवैया अख्तियार किया जाय जो कि ज़मींदारी विनाश के विषय में किया गया । अब परिस्थिति के अनुसार गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं है । अब पूंजीवाद ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके गुण और अवगुण पर दुबारा विचार किया जाय । इसलिये उनके संशोधन को स्वीकार करने में मुझे बड़ी मजबूरी है ।

जहां तक माननीय जगन्नाथ बख्श दास जी के संशोधन का संबंध है, मैं उसे अपनी स्वीकृति देता हूं । लेकिन मैं माननीय उद्योग मंत्री जी की उस बात से सहमत नहीं हूं जब कि वे कहते हैं कि यह सेंट्रल सबजैक्ट है इसलिये हम इस बारे में क़ानून नहीं बना सकते । जगन्नाथ बख्श दास जी ने अपने प्रस्ताव में 'राष्ट्रीयकरण' शब्द का प्रयोग किया है, मैं उसके स्थान

[श्री नाराजणदत्त तिवारी]

पर "समाजीकरण" चाहता हूं क्योंकि मेरे संशोधन में भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण में बहुत अन्तर है। आजकल राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण का नाम ही हो गया है, इसलिये 'समाजीकरण, अत्यन्त उपयुक्त शब्द है और माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने भी सन् १९४६ में इस शब्द का प्रयोग किया था। आशा है वे मेरे इस सुझाव को मान लेंगे। वैसे मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

अब माननीय उद्योग मंत्री ने जो कुछ कहा उसके सबंध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सदन को ६ साल पूर्व ले जाना चाहती है। म उनकी दलील नहीं समझ सका। अगर मैं उस प्रस्ताव को न लाकर कोई नया प्रस्ताव लाता तो कह दिया जाता कि इस प्रकार का प्रस्ताव तो हम पहले ही ला चुके हैं, ६ साल पहले हम ऐसा संकल्प कर चुके हैं, वे हमें केवल भूल भुलैया में डालना चाहते हैं। अगर मैं सन् ४६ की कल्पना न करता तो क्या ५८ की करता ? उनको ऐसी बात कहना उचित नहीं था कि मैं ६ साल पीछे ले जाना चाहता हूं क्योंकि आज से ६ साल पहले जो सरकार वायदा कर चुकी है 'समाजीकरण का' वह उसका वायदा आज तक अधूरा ही है। यदि यह कहा जाय कि जमींदारी को खत्म किया गया लेकिन जिस तरीके से जमींदारी का विनाश किया गया, जिस प्रकार से करोड़ों किसानों से १० गुना वसूल करने की योजना बनायी गयी आप देखेंगे कि इस प्रकार की योजना, जिन मुल्कों में भी पूंजीवाद समाप्त किया गया है, उनमें इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी योजना किसी ने नहीं बनाई कि मुआविजे के सिद्धान्त को मान कर या इस प्रकार किसानों की जेबों से मुआविजा लेकर खेतीहर पूंजीपतियों को समाप्त करने का सिद्धांत सन् ४६ के प्रस्ताव में कहा है ? माननीय उद्योग मंत्री कहते हैं कि हम सन् ४६ के प्रस्ताव से बहुत आगे चले गये हैं। मैं कहता हूं कि जिस समाजीकरण का प्रश्न है, समाजीकरण मुआविजे के सिद्धांत को नहीं मानता है। जमींदारी विनाश कानून में काश्तकारों से दस गुना वसूल करने का सिद्धान्त इस प्रकार सरकार ने प्रतिपादित किया है व्यावहारिक रूप में सन् ४६ के प्रस्ताव के वह बिलकुल विपरीप था और मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से किसानों से दस गुना लेकर जमींदारों को मुआविजा देने के सिद्धांत का समाजीकरण के सिद्धांत से एक स्तर पर तुलना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो उससे आगे बढ़ गये हैं और आप ६ साल पीछे ले जा रहे हैं। उन्होंने सन् ४८ के एक ऐक्ट की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, पंचवर्षीय योजना की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया और संविधान की धारा ३८,३९ की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। यह ठीक है कि सन् ५१ में डेवलपमेंट कंट्रोल ऐक्ट भी बना। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि अगर उनका कहना यह है कि हम उस प्रस्ताव से आगे बढ़ गये ह तो वे किस प्रकार से इस दलील को देते हैं कि हमारे ऐक्ट, व हमारे संविधान और समाजीकरण का सिद्धांत एक है। माननीय उद्योग मंत्री जी ने उस प्रस्ताव को बड़े जोर से पढ़ा। मैं उस प्रस्ताव को फिर पढ़े देता हूं जिससे कहीं गलती न रह जाय। इसमें लिखा है कि "पूंजीवादी तत्वों की समाप्ति", तो इसमें कहां लिखा है कि उत्पादन, विनिमय या वितरण का समाजीकरण होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके डेवलपमेंट ऐक्ट में, उत्पादन का समाजीकरण कहां हुआ। विधान की आज्ञानुसार वे विनिमय के समाजीकरण की ओर क़दम उठाना चाहते हैं। आखिर विनिमय के समाजीकरण का कौन सा क़दम है। ये जो तीन प्रकार के मुख्य तत्व हैं इन तीनों तत्वों को कार्यान्वित करने के लिये उन्होंने कौन सा क़दम उठाया है। यह उन्होंने नहीं बताया कि किस तरह से हम पीछे ले जा रहे हैं। श्रीमन्, जब तक माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट नहीं कहते हैं, किस प्रकार से हम उनसे आशा करें कि सरकार विनिमय, उत्पादन और वितरण के साधनों का समाजीकरण करना चाहती है। किस प्रकार से हम उनकी दलीलों को मानें अगर वे इस प्रकार से मुआविजा देना चाहते हैं ? अगर वास्तव में ईमानदारी से इसे कार्यान्वित

करना चाहते हैं तो मैं उनको निमंत्रित करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के ही श्री जगन्नाथबख्श दास के संशोधन को स्वीकार करें। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम उनकी बात का हमेशा विरोध करते हैं। आज मैं उन्हीं के पार्टी के श्री जगन्नाथबख्श दास के संशोधन को स्वीकार कर लेने की बात कहता हूं कि वे उनको कार्यान्वित करने का सुझाव दें। उनका कहना है कि मेरा कोई आपरेटिव क्लाज नहीं था। ठीक है मैंने आपरेटिव क्लाज नहीं रखा था। इसलिये नहीं रखा था कि मुझे भरोसा नहीं था कि सरकार उसे आपरेट करेगी।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसलिये जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि आपरेटिव क्लाज रहना चाहिये, मुझे भरोसा है कि माननीय उद्योग मंत्री जी अपने उद्योग से इस संशोधन को मान लेंगे और उत्पादन, विनिमय और वितरण के समाजीकरण के लिये एक कमेटी बिठायेंगे। हमारा जो संविधान है उसके कंकरीट लिस्ट में लिखा हुआ है और मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान उस कंकरीट लिस्ट के आइटम २१ की तरफ दिलाना चाहता हूं। कंकरीट लिस्ट वह लिस्ट है जिसमें प्रान्त भी क़ानून बना सकता है और पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। उसमें लिखा है :" कमर्शियल एंड इंडस्ट्रिअल मानोपालिज एंड कम्बाइन्स एंड ट्रस्टस्"। तो कंकरीट लिस्ट के आइटम नंबर २१ से स्पष्ट होता है कि हमारा सदन भी क़ानून बना सकता है और भूमि के बारे में हमेशा कानून बना है। जहां तक एग्रीकल्चरल कैपिटलिज्म भूमि संबंधी पूंजीवाद जो यू० पी० में भी है स्टेट लिस्ट के आइटम नं० १८ के अनुसार उस पर भी कानून बन सकता है—

"Land, that is to say, rights in or over land, land tenures including the relation of landlord and tenant and the collection of rents; transfer and alienation of agricultural land; land improvement and agricultural loans; colonization."

[भूमि अर्थात् भूमि में पर अधिकार, भूधृति जिसके अन्तर्गत भूस्वामी और किसानों का संबंध भी है, तथा भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रामण भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार, उपनिवेषण]

तो लिस्ट २८ के अनुसार हम भूमि संबंधी पूंजीवादी तत्वों की समाप्ति कर सकते हैं और आयटम २४ के अनुसार हम इंडस्ट्रीज के लिये भी कानून बना सकते हैं। तो माननीय मंत्री जी का जो यह कहना है कि संविधान के अनुसार यह इस सदन के अधिकार के बाहर है, मैं उनका ध्यान संविधान की धाराओं की ओर ले जाना चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय जगन्नाथबख्श दास जी का है और जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है उसको वह मानें। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने तो यहां तक कह डाला कि पूंजीवाद हिन्दुस्तान में नहीं हैं। इस प्रकार की आश्चर्यजनक दलील माननीय परिपूर्णानन्द जी के मुखारविन्द से सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी जहां उन्होंने कहा कि हिन्दोस्तान में पूंजीवाद नहीं है कहते कि हिन्दुस्तान में पूंजी नहीं है तो बड़ा अच्छा होता। या यहां समाजवादी तंत्र है या माननीय परिपूर्णानन्द जी कहते हैं कि यहां पूंजी तो है लेकिन समाजवादी आधार पर वितरण और विनिमय होता है या हिन्दुस्तान में पूंजी नहीं है और व्यक्तिगत कारखाने भी नहीं है, कम्पनियां भी नहीं हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि मजदूर भी नहीं हैं और गरीबी भी नहीं है तब जरा अच्छा होता। इतनी आश्चर्यजनक दलील माननीय परिपूर्णानन्द जी ने दी है! कुछ माननीय सदस्यों को पूंजीवाद की परिभाषा पर भी कुछ शक हुआ। लेकिन मैंने अपने पहले निवेदन में कह दिया था कि मैं यहां पर पूंजीवाद की परिभाषा देने खड़ा नहीं हुआ हूं। माननीय रामजी सहाय ने बड़ा घोर विरोध किया और यह उन्होंने सदन के तमाम सदस्यों को उत्साहित करने के लिये किया है और मुझे अब भी भरोसा है कि उन्होंने तमाम सदस्यों को उत्साहित करने के लिये, माननीय सदस्य उसका समर्थन करेंगे ही, इसीलिये उन्होंने मेरे प्रस्ताव का

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

घोर विरोध किया है। इसलिये जैसा मैंने कहा मुझे बहुत हर्ष हुआ कि इस भवन के अधिकांश सदस्यों ने इस मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है लेकिन जहांतक सरकार का प्रश्न है मैं समझता हूं कि अब केवल प्रस्ताव को मानने या ताईद करने से काम नहीं चलेगा। अब काम करने का मौका है। अगर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था का काम थोड़ा बहुत पूरा किया है तो पूंजीवाद के अनेक अन्य तत्वों की समाप्ति की ओर दूसरा कदम उठाइये और उसके लिये इतना सुन्दर समय नहीं मिल सकता जब कि हम पूंजीवादी तत्व की समाप्ति का दूसरा चरण या दूसरा अध्याय शुरू करें और हिन्दुस्थान के मानव अपने प्रदेश के जर्जरित किसानों और मजदूरों के आगे बढ़ने और आर्थिक गुलामी से मुक्त पाने का अवसर दें। मैं अन्त में फिर उद्योग मंत्री जी से दोबारा प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया है उसी तरह से मैंने माननीय जगन्नाथ बख्श दास के संशोधन को स्वीकार किया है केवल राष्ट्रीयकरण के स्थान पर समाजीकरण रखकर उसको भी वह स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह—अब मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं बोल चुका हूं।

श्री जगन्नाथबख्श दास—मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन इस प्रदेश में पूंजीवादी तत्वों की समाप्ति संबंधी अपने अगस्त, १९४६ के संकल्प को दृढ़ निश्चय से दोहराता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२ को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२ को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अध्यक्ष ने 'नहीं' की संख्या अधिक घोषित की इस पर श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जबकि इस विधेयक के प्रस्तुत करने के संबंध में किसी माननीय सदस्य का कोई विरोध नहीं हुआ और न कोई कारण बतलाया गया .....।

श्री अध्यक्ष—आवाजें ज्यादा उठीं तो मैं क्या कहूं कि मजाक में विरोध किया गया। लेकिन मेरे कान में जो आवाजें आईं उससे मैंने समझा कि सदन अनुमति नहीं देना चाहता। क्या माननीय सदस्य इस संबंध में कोई नियम बतला रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, नियम ९३ आप देखें।

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member

who moves and from the member who opposes the motion may, without further debate, put the question."

[यदि किसी विधेयक, के पुरःस्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष यदि वह उचित समझे, विधेयक पुरः स्थापक सदस्य और विरोध करने वाले सदस्य को एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक विवरण की अनुज्ञा देने के पश्चात् और विवाद के बिना उस प्रश्न को सदन के समक्ष रख सकता है ;]

तो श्रीमन्, इसमें यह है कि "If a motion is opposed" तो इसका विरोध नहीं किया गया इसलिये क्वेश्चन पुट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—If it is not opposed उसके लिये क्या रूल है। अगर सदन से अनुमति मांगी गई और अनुमति के लिये अपोजीशन स्पष्टतया न भी किया गया हो तो अनुमति के लिये मैं राय लूंगा ही।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब किन्हीं सदस्यों ने विरोध ही नहीं किया तो अनुमति तो रहेगी ही।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री झारखंडेराय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक, १९५२ पुरः स्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजबन्दी विधेयक विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे देश में राजबन्दीयों की कहानी जहां तक मैं जानता हूं, हमारे देश की गुलामी की कहानी के साथ ही शुरू होती है। जब अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया और गुलामी के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई शुरू की, जब जो मौका मिला, जो साधन उनको उपलब्ध हुये, जो तरीका जब उचित जंचा उसको अपना कर हिन्दुस्तान के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ समय समय पर लोहा लिया।

इस लड़ाई में जो लोग अंग्रेजों के बंदी हुये वह राजबंदी बनाये गये, जेलों में डाले गये, और जेलों में जाने पर वहां तरह २ की यातनायें उनको दी गईं। उन जेलों में अमानुषिक अत्याचारों के खिलाफ लड़ते हुये, हिन्दुस्तान के निवासियों ने, यहां के नवजवानों ने अपने को झुकाया नहीं बल्कि अपना स्वास्थ्य नष्ट किया, अपनी जिन्दगी बर्बाद की, तिल तिल करके जेल के सीखचों के भीतर वह मिट गये लेकिन उन्होंने राष्ट्र के आत्मसम्मान की भावना को ठेस नहीं लगने दिया। मैं समझता हूं कि हमारे देश में सबसे पहले राजबन्दी महाराज नन्दकुमार ही रहे होंगे जो अंग्रेजी हुकूमत की कचहरियों की कानूनी दांव पेंचों का मुकाबिला करते हुये जेल गये और उनको फांसी हुई। सन् १८५७ की असफल राष्ट्रीय क्रांति के बाद सन् १८९७ के करीब दक्षिण भारत के चापेकर बन्धुओं ने हिन्दुस्तान को राष्ट्रीय प्रतिहिंसा की भावना का जो परिचय रैंड के हत्याकांड से दिया वे दूसरे राजबंदी हमारे देश के रहे होंगे। तब से लेकर सन् ४७ के सत्ता हस्तान्तरण तक हिन्दुस्तान के सभी प्रकार के राष्ट्रीय आन्दोलनों में चाहे वह हिंसात्मक क्रांतिकारी आंदोलन रहा हो, चाहे राष्ट्रीय सुधार वादी आन्दोलन रहा हो सब में हजारों देश वासी जेलों में गये। जिस तरह से अंग्रेजी सरकार की मुखालिफत उन्होंने बाहर रह कर की ठीक उसी तरीके से जेलों के भीतर भी चाहे वह देश के नजरबंद कैम्पों में रहे हों, चाहे देश के किसी सूबे के किसी सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट जेल में रहे हों चाहे

[श्री झारखंडेराय]

वह देश से दूर बहुत दूर मातृभूमि से बिछुड़कर अंडमान की काली कोठरियों में अपने जीवन की घड़ियां बिता रहे हों, उन्होंने वहां पर भी घुटने नहीं टेके। राजबन्दियों की कहानी तभी से शुरू हुई है और इस तरीके से हमारे देश की यह चिरवांछित भावना रही है कि तमाम राजबन्दियों की श्रेणी बनाई जाय। उनको मानवोचित अधिकार की श्रेणी दी जाय जिनसे वह जेल में अपना नैतिक, शारीरिक आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास कर सकें। लेकिन बड़े दुख की बात है, और आश्चर्य की भी बात है कि हिन्दुस्तान को कहा जाता है, आजाद हुये आज ६ वर्ष होने को आ रहे हैं लेकिन अभी तक वह नियम, वह अधिनियम या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे जेलों में राजनीतिक मामलों को लेकर जाने वालों के लिये कोई सुविधा मिले। केवल इसलिये कि कोई बड़े खानदान से आया है, ऊंची शिक्षा प्राप्त किये हुये है या उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा है, रहन सहन का, इसलिये उसको जेल में ऊंची श्रेणी दी जाय यह तो वही अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है—सड़ा गला दुर्गन्धपूर्ण—जिस कानून के मातहत हिन्दुस्तान को ढाई सौ वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा गया था। उसी कानून पर चलना क्या आज के उन शासकों के लिये जो अपने को आजाद हिन्दुस्तान का शासक कहते हैं, उचित है यह कानून हमारे जरिये से पेश होने की बात नहीं होनी चाहिये थी। यह सरकार की ओर से, आज से वर्षों पहले हो जाना चाहिये था। आज भी हमारे देश के विभिन्न जेलों में जो सत्याग्रही बन्दी हैं विभिन्न अत्याचारों के खिलाफ सत्याग्रह करके जेलों में गये हैं उनकी कथायें, उनकी कहानियां उनके ऊपर होने वाले वर्दमनीय अत्याचारों की गाथायें अखबारों में आये दिन प्रकाशित हुआ करती हैं।

हम सदन के सभी सदस्य उनको पढ़ते हैं और जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में सब से पहले बलिदान जेल में, जहां तक मैं समझ सका हूं, अंडमान में सन् १९१६ में रामरक्खा का हुआ था और वह जनेऊ के लिये। उस समय की अंग्रेजी नौकरशाहियत के लोग अन्डमान में जनेऊ पहनने भी नहीं देते थे इस विचार से कि शायद वह फांसी लगा करके आत्महत्या कहीं न कर ले। जनेऊ प्राप्त करने के लिये वह एक नवजवान क्रांतिकारी तिल-तिल करके अंडमान की काली कोठरी में ५१ दिन भूख हड़ताल करके मर गया। भिक्खु विजया पुंगी मांडले की जेल में ११५ दिन उपवास करके मरे। यतीन्द्रनाथदास, जिनके नाम से और जिनकी शहादत से इस सदन के वे सभी माननीय सदस्य जो जेलों में गये हैं या जिनका राष्ट्रीय आंदोलन से नाता रहा है, परिचित हैं कि किस प्रकार वे ६९ दिन की भूख हड़ताल के बाद बोर्स्टल जेल लाहौर, में शहीद हुये। सन् १९४५ में गाजीपुर जिले के उमाशंकर उपाध्याय बरेली के गड्ढा बैरिक में मरे, जिस गड्ढा बैरिक की चर्चा और उसकी निन्दा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी 'मेरी कहानी' में भी की है। कांग्रेस सरकार के जमाने में सन् १९४७ में सूरजबली जो एक राजबन्दी थे लेकिन वे राजबन्दी हैं या नहीं हैं इस पर प्रांतीय सरकार निश्चय नहीं कर सकी थी, वे भी भूख हड़ताल से मरे थे। जेलखाने में सुविधायें प्राप्त करने के लिये राजबन्दियों के लिये, सिवाय भूख हड़ताल के और कोई दूसरा आखिरी उपाय नहीं है, हिंसात्मक लड़ाइयां बहुत कम हुई हैं। दरख्वास्तों के जरिये, प्रार्थनापत्रों के जरिये और आवेदनों के जरिये जब वे असफल हो गये तब मजबूर हो करके उनको वही सहारा लेना पड़ा, जो जेल में गया हुआ आदमी जानता है, कि आखिरी हथियार होता है। इस तरीके से एक के बाद दीगरे हिन्दुस्तान में उस जमाने में भी, जब अंग्रेज थे, राजबन्दियों ने लड़ाइयां लड़ीं थीं और दुख की बात जैसा मैंने पहले कहा, यह है कि यह अवस्था राजबंदियों की आज भी चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय यहीं हमारे सदन में बैठे हुये हमारे विरोधी दल के चुने हुये साथी गंवा सिंह जी, जगन्नाथ मल्ल जी, रामसुभग जी और एक पार्लियामेंट के मेम्बर रामजी वर्मा इसी कांग्रेस सरकार के जमाने में इस सदन के सदस्य चुने जाने के बाद छः छः महीने सी क्लास में देवरिया की जेल में रखे गये। अपने आप को कहना ठीक नहीं है लेकिन मैं

खुद दो हफ्ते गाजीपुर की जेल में सी क्लास में रहा बावजूद इसके की अंग्रेजी हुकूमत में कभी भी मुझे इस क्लास में नहीं रखा गया।

इस बात को कह करके मैं इस सदन के सदस्यों का, और खास करके मंत्रियों का, और विशेष करके माननीय सम्पूर्णानन्द जी का, जो कि हमारे सौभाग्य से यहां बैठे हुये हैं और जिनके हाथ में गृह विभाग और जेल विभाग दोनों ही हैं, उनका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि वे इस विषय में मैं समझता हूं, कि चूक गये। उनको यह पहले करना चाहिये था । सन् १९५० ई० में आगरा, फतेगढ़, कानपुर, और बनारस की जेलों में राजबंदियों पर जो लाठी चार्ज हुआ उसकी कहानी जो लाठी चार्ज के शिकार हुये थे उनसे जब मैंने सुनी तो मुझे एक बार अंग्रेजी सरकार के जुल्म भी भूल गये। अलीपुर सेंट्रल जेल में, जो कि बंगाल में है और हमारे सूबे के बाहर की बात है फिर भी उसकी चर्चा करना असंगत नहीं होगा, जो कैदियों की और राजबंदियों की लाठी चार्ज से हत्या की गयी वह एक ताजी कहानी है । सलेम जेल में जो घटना घटी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि वैसी दुर्घटना पूरे अंग्रेजी काल में ढाई सौ वर्षों के जेल-इतिहास में नहीं हुई । सलेम जेल में शूटिंग के जरिये २२ राजबंदियों को गोली से भून दिया गया और ११६ को घायल किया गया। मैं समझता हूं आज की मौजूदा सरकार के माथे पर यह अमिट कालिमा है। आज भी हमारे सूबे के बस्ती जिले के छतहरा गांव के छब्बूसिंह छः साल की जेल सजा लेकर सी क्लास में जेल में सड़ रहे हैं। इसी तरह भानपुर के पास के बवाय कान्ड के २८ राजबंदी जो आजीवन कारावास भुगत रहे हैं और जो अखिल भारतीय फारवर्डब्लाक के सदस्य हैं, जो एक सर्वमान्य राजनैतिक पार्टी है, जिसे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने भी मान्यता प्रदान की है, वे जमींदार किसान संघर्ष में जेल गये हैं और आज भी सी क्लास में सड़ रहे हैं। बलिया के सैकड़ों किसान, खासतौर से छिछोर केस, मानिकपुर कुड़वा केस तथा गाजीपुर के दर्जनों किसान आज सी क्लास में सड़ रहे हैं, दो साल से। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं आपकी आज्ञा से। गाजीपुर जिले के एक श्री भगवान सिंह जी वहां के एक खित्ते के किसानों के सर्वप्रिय नेता हैं। उनको जमींदार किसान संघर्ष के सिलसिले में सजा हुई और आज वे तीन साल से जेल में सी क्लास में पड़े हुये हैं। मैंने गाजीपुर जेल में उनको खुद देखा, उनसे मिला, उनके बारे में सुना । गाजीपुर जेल में, बनारस सेंट्रल जेल में, बरेली सेंट्रल जेल में, जहां पर कि आज वे इस समय हैं उनके ऊपर इस तरह से लाठी चार्ज हुआ है. उनको नाना प्रकार की जेल यातनायें दी गयी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके विषय में विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि जेल में क्या यातनायें, कैसे दी जाती हैं इसका अनुभव अगर माननीय मंत्रियों को न होगा तो कम से कम उन सदस्यों को जरूर होगा जो सी क्लास में रहे हैं या सी क्लास वालों के समीप रहे हैं। मुझे वह दिन याद है जब माननीय मंत्री श्री मोहनलाल जी गौतम फतेहगढ़ जेल में बंद थे, मैं भी बन्द था और एक कम्युनिस्टि सदस्य भी थे, जो आज मर चुके हैं। हम लोगों को डेंजियन सेल मिली हुई थी। उस वक्त हममें बातें हुआ करती थीं, उनको याद होगा, आज वे यहां पर हैं नहीं, मैंने उनसे कहा था कि गौतम जी जब आपके हाथ में हुकूमत आयेगी तो क्या आप राजबंदियों को या जो फतेहगढ़ जेल में फोर्डम सुपरिन्टेन्डेन्ट रामदत्त शुक्ल, जेलर जो हैवानियत बरत रहे हैं कि ३,४,५ राजबंदियों का सिर तोड़े बिना और उनको फालइन कराये बिना उस राक्षस को नींद नहीं आती थी, तो क्या आप उनको भूल जायेंगे, ऐसे शैतानों को आप क्या करेंगे। उन्होंने क्या कहा था, अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज गौतम जी उसको भूल गये। मैं यह कह देना चाहता हूं कि मजदूर किसानों की तकलीफों को लेकर कुछ लोग अब भी लड़ेंगे, चाहे साधन कोई बन जायं, चाहे वह सत्याग्रह हो चाहे कुछ हो।मैं पूछता हूं कि सामूहिक आंदोलन को ले कर या दूसरी आर्थिक समस्याओं को ले कर जो लोग आंदोलन करेंगे और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये जो जद्दोजहद मुल्क मुल्क में चलेगा क्या उनके साथ वही बर्ताव करना चाहिये जो कि एक चोर डाकू या हीनस क्राइम करने वाले के साथ किया जाता है। यह एक बहुत ही नैतिकता का प्रश्न है। हम समझते हैं कि वर्तमान

[श्री झारखंडेराय]

सरकार की नैतिकता आज कसौटी पर चढ़ी हुई है और मैं तो कहता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी या दूसरे हमारे माननीय मंत्रीगण इस विधेयक का विरोध नहीं करेंगे बल्कि समर्थन करेंगे और एक मौका जो मिला है कि इस विधेयक को अपना करके और इसको अधिनियम के रूप में ला करके राजबंदियों को जो हमेशा से तकलीफ रही है उसको दूर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक में राजबन्दी शब्द की परिभाषा भी की है। मैं समझता हूं कि राजबन्दी वह हो सकता है चाह वह अंडर ट्रायल हो, सजा पा गया हो या डिटेंशन में हो, जो जेल के बाहर किसी सर्वमान्य राजनैतिक पार्टी का मेम्बर हो और जो प्रदेश के किसी मजदूर, किसान या विद्यार्थी या किसी दूसरी सामूहिक आन्दोलन के सिलसिले में जेल गया हो या व्यक्तिगत रूप से गया हो और उसका अपराध चाहे आई० पी० सी० और क्रिमनल प्रोसीजर कोड की किसी धारा के अनुसार हो, लेकिन वह राजनैतिक उद्देश्य से किया गया हो, क्योंकि कोई पोलिटीकल दफा अलग नहीं हैं सभी इसी आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में ही जेल जाते हैं। इसमें १२१ से लेकर १२४ (ए) तक ही दफा हैं। कोई पोलिटीकल दफा अलग नहीं हैं। सभी इन्हीं दफाओं में पकड़े जाते हैं और उन्हीं में क्रिमिनल लोग भी पकड़े जाते हैं हजारों कांग्रेस के मेम्बर्स दफा ३६५, ३६६ और न जाने कौन कौन सी दफाओं के मातहत जेलों में ठूंस दिये गये थे। लेकिन जब यह कांग्रेस सरकार आई तो इसने उन सबको छोड़ दिया और उस समय नहीं देखा गया कि किस के खिलाफ कौन सी दफा लगाई गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य हो, सामूहिक आन्दोलन में जेल गया हो, राजनीतिक उद्देश्य से उसका अपराध हो तो उसे हम राजबंदी मान सकते हैं और उसे राजबंदी मान कर वह तमाम सुविधायें देनी चाहिये जो कि आजकल के जेल मैनुअल में सुपीरियर क्लास बन्दी को हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि अब जेल मैनुअल में तब्दीली हो गई है। पहले उसमें ए० बी० और सी० क्लासेज थे लेकिन अब केवल सुपीरियर और आरडीनरी दो ही क्लास हैं। सुपीरियर क्लास को वही सुविधायें दी गई हैं जो पहले बी० क्लास को थीं उसमें कुछ कम करके। मैंने अपने विधेयक में उतना ही रखा है जितना कि निहायत जरूरत है जो सुविधायें सुपीरियर क्लास को दी गई हैं वही सुविधायें एक राजबंदी को दी जानी चाहिये और इसके साथ साथ राजबंदी को बेंत, हथकड़ी चक्की और कोल्हू वग़ैरा की सजायें नहीं दी जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी गाजीपुर, फैजाबाद की जेलों में ४ महीने रहा हूं और मैंने देखा था कि अभी तक यह चीजें जेलों में चलती हैं और राजबंदी को भी यह सजायें दी जाती हैं। हमारे साथियों को, सत्याग्रही बंदियों को और दूसरे अपराधों में गये राजबंदियों को ये सजायें दी गई हैं और अब भी दी जाती हैं। इसलिये मैंने इसको रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह भी बतला देना चाहता हूं कि जेलखानों में वह पुस्तिकायें, पत्रिकायें, समाचार-पत्र और दूसरे साहित्य की चीजें पढ़ने को नहीं दी जाती हैं जो बाहर जब्त भी नहीं होती हैं। मैं समझता हूं कि जेल कोई आसमान की चीज नहीं है। इसी दुनिया का वह एक हिस्सा है। जो चीज बाहर सरकार ने जब्त नहीं की है, जो चीज बाहर उपलब्ध है वह चीजें भी जेलखानों में पढ़ने को नहीं दी जाती हैं। सरकार अगर ऐसा समझती है कि कोई चीज आपत्तिजनक है, राजद्रोहात्मक है तो वह उस पर प्रतिबन्ध लगा सकती है क्योंकि उसके पास अपार

शक्ति है। ऐसी हालत में उनको ये चीजें मिलनी चाहिये। मेरे पास ऐसी बहुत सी चिट्ठियां हैं, मैं उनको विस्तार में पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा। लेकिन इतना कह देना चाहता हूं कि आगरा जेल और सीतापुर जेल की ऐसी बातें हमारे पास आई हैं जिनसे मालूम हुआ है कि उनको मामूली अखबार भी जो बाजार में बेचे जाते हैं, पढ़ने को नहीं दिये जाते हैं। इस बिना पर नहीं दिये जाते हैं कि सरकार की ओर से मनाही है और यह प्रेस्क्राइब्ड लिस्ट में हैं, जब्तशुदा तालिका में उनका नाम हैं इसलिये वह पढ़ने को नहीं दी जायगी। इस तरह से सुपरिन्टेंडेंट की तबियत के ऊपर है, उसके डिसक्रीशन पर है कि जो चाहे पढ़ने के लिये साहित्य दे। मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। एक राजबंदी के लिये जिसके बौद्धिक भोजन के लिये ये चीजें जरूरी हैं वह उसको नहीं दी जाती हैं। इससे उनका नुक्सान होता है और उनके समय का दुरुपयोग भी होता है और ऐसी हालत में सरकार को इधर देखना चाहिये कि खाली बैठे खुराफ़ात में भी मन लगता है और लड़ाई होती है? फिर लड़ाइयां होती हैं। मैंने खुद जेल में रह कर यह अनुभव किया है कि जब सुविधा होती है, पुस्तकें आती हैं तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने में लगा रहता हूं लेकिन जब तनहाई में बन्द कर दिया जाता हूं तो हर घंटे यह इच्छा होती है कि कोई बहाना हो और लड़ाई हो जाय। इसलिये सरकारी दृष्टिकोण से भी जरूरी है कि ये चीजें उनको दी जायं।

तीसरी बात यह कि सभी राजनैतिक राजबन्दियों को एक जेल में रक्खा जाय। अगर संख्या ज्यादा है तो कई जेलें हों, अगर संख्या थोड़ी है तो एक जेल में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चीजों के लिये, इसी दृष्टि से यह विधेयक सदन के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर मैं दो चार आदमियों के नाम भी लेना चाहता हूं जिनके विषय में जेल में मुझे अनुभव हुआ है कि वे इस लायक नहीं हैं कि उनको जेल सर्विसेज में रक्खा जाय जिनको इनसानियत से दुश्मनी है। जो ऐसे राजबन्दियों को जिनको वह समझते हैं कि इनको राज्य से विरोध है उनको तरह तरह की यातनायें देते हैं। मुमकिन है इनमें से कुछ सर्विस से निकल भी चुके हों इसको माननीय मंत्री जी जानते होंगे। रामदत्त शुक्ल जिसके विषय में, जिसकी हैवानियत के बारे में फतेहगढ़ में रहने वाले सभी जानते होंगे। खास कर अवस्थी जी जो कानपुर के हैं और जो मेरे साथ जेल में रह चुके हैं। सुपरिंटेंडेंट रस्तोगी वह तो जरूर कहीं सुपरिंटेंडेंट होगा जिसका नाम सुनकर खून उबल जाता है। १० दिन के हंगर स्ट्राइक करने वाले को वह टिकटी में नंगा करके बांध देता है और बेंत लगाने का हुक्म देता है और कहता है कि बेंत खाओगे या रोटी। ऐसे लोग जो दस दिन के हंगर स्ट्राइक करने वाले को भी मरवाने पर तुले हों और यह कहें कि बेंत खाओगे या रोटी, ऐसे लोगों को जेल की सर्विस में न रहना चाहिये। भंडारी, गुरुप्रसाद, सरदारी लाल ऐसे लोग हैं जिनको माननीय सदस्यों को अनुभव होगा जो जेल में रह चुके हैं। ऐसे लोगों को जेल की सर्विस से निकाल देना चाहिये। अगर वह सर्विस में रहेंगे तो वह चूकेंगे नहीं, वही हैवानियत के काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष— इस विधेयक में उन्हें निकालने की बात नहीं है। आप उसे रखते तो जिक्र कर सकते थे।

श्री झारखंडेराय—मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक को उपस्थित करने का मेरा अर्थ संक्षेप में इतना ही था कि जेल में जो अब तक लड़ाइयां हुई हैं, कांग्रेस राज्य के पहले या बाद उन सबकी इच्छा यही रही कि राजबन्दियों को वे सुविधायें दी जायं जिनका मिलना उनको जेल में निहायत आवश्यक है उनकी उन्नति के लिये। उन सुविधाओं को प्रदान करनेके लिये ही मैंने आपकी आज्ञा से यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसका

[श्री झारखंडेराय]

समर्थन करेगी और इस काम को मेरे हाथ से लेकर खुद अपने हाथ में लेगी और उसको पूरा करेगी।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, साधारणतया तो मुझे प्रस्ताव के विचार के लिये उपस्थित किये जाने के बाद शायद फौरन ही खड़ा न हो जाना चाहिये था परन्तु इस प्रस्ताव का रूप कुछ ऐसा है कि मैंने यह उचित समझा कि अपनी या यों कहिये कि गवर्नमेंट की इस सम्बन्ध में जो राय है उसको स्पष्ट कर दूं। जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुनने में चाहे वह कुछ कटु मालूम हो मगर मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। इसके कारण हैं। जहां तक कि उन बातों का जिकर है जिनका चर्चा झारखंडेराय जी ने किया पुराने इतिहास के सम्बन्ध में, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हममें चाहे कुछ लोग इधर बैठे हों या उधर बैठे हों लेकिन वर्षों तक हम सब साथ रहे हैं। हम सब एक ही सेना के सिपाही थे और जो पिछला इतिहास है उससे हम सब लोग परिचित हैं। जो तकलीफ राजनैतिक बन्दियों को हुई है वह सब लोग जानते हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं और अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि जो कोई पढ़ा लिखा आदमी सच्चे माने में राजबन्दी है और वह कोई सुविधा से वंचित होता है तो उसको तकलीफ होती है। पढ़ने लिखने की सामग्री उसको नहीं मिलती है तो बहुत सख्त तकलीफ उसको होती है लेकिन जब हम यहां पर कानून बनाने बैठे हैं तो किसी भावना के आधार पर काम नहीं कर सकते हैं और बहुत सी व्यावहारिक बातों को अपने सामने रखना पड़ता है। यह माना कि अंग्रेजी जमाने में बहुत ज्यादती थी और शुरू शुरू में जब यहां पर राजनैतिक आन्दोलन किया गया तो बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ किया गया लेकिन यह बुरा हो या भला लेकिन दुनिया में जो काम किये जाते हैं वही काम अच्छे से अच्छे आदमी को भी करने पड़ जाते हैं। और मजबूर होकर करने पड़ जाते हैं। अंग्रेजी जमाने में बहुत से दूसरे लोग ज्यादती करते थे। पुलिस को भी वह काम करने पड़ते थे और जेलखाने में भी कुछ करने पड़ते थे। दुनिया के अन्दर कोई भी गवर्नमेंट हो उसके सामने सवाल यह रहता है उसकी आजादी। बहुत से ऐसे देश हैं कि जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता तलवार के बल पर हासिल की है और अधिकांश में ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने शस्त्र के बल पर आजादी हासिल की है। आज इस बात की इजाजत नहीं हो सकती है कि कोई आदमी अगर वायलेन्ट रिवोल्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता है। रूस का इतिहास हमारे सामने है। रूस ने जिस तरह से अपने यहां स्वतंत्रता कायम की है वह हम सब जानते हैं लेकिन क्या हम एक क्षण के लिये यह समझ सकते हैं कि कोई आदमी आज उस वर्तमान सरकार के खिलाफ अपना सर उठा सकता है? जहां पर सीधे डिक्टेटरशिप है वहां पर आज दूसरी पार्टी अपना अखबार नहीं निकाल सकती है। और यहां तक है कि अपनी वह मीटिंग भी नहीं कर सकती है। वहां पर कोई पार्लियामेंट वगैरह है उसमें किसी दूसरी पार्टी का सर नहीं दिखाई पड़ता है। मैं उन बातों की भलाई या बुराई नहीं करता लेकिन उनको मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है। जिस तलवार का सहारा लेकर उन्होंने अपने यहां अपना राज्य कायम किया था आज कोई भी उसका सहारा नहीं ले सकता है। यह सब चीजें हमारे सामने हैं। आज वहां रूस में अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी कोई काम भी नहीं कर सकती है। इस तरह की व्यावहारिक बातें हो जाती हैं।

हमको भी यहां पर इस बात को सामने रखना होता है कि हमारा देश भी स्वतंत्र है और इस सरकार के सर पर भी कुछ जिम्मेदारी है। जब कोई आदमी

गवर्नमेंट के खिलाफ होता है या कोई पार्टी होती है तो वह उस गवर्नमेंट के बदलने की कोशिश करती है । चाहे वह आर्म रिवोल्ट हो या और दूसरा तरीका हो । लेकिन ज्यादातर दुनिया में लोगों ने क्रान्ति की है और उसी के बल पर राज्य प्राप्त किया है । बहुत से ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है। मैं भी उन लोगों में था कि जो कांग्रेस के साथ रहते हुये और अहिंसा की बात को मानते हुये हमेशा उन लोगों को आदर की दृष्टि से देखता रहा जिन्होंने अपने देश में क्रान्ति की और सशस्त्र विद्रोह किया। और अभी तक मैं उनको आदर की निगाह से देखता हूं । इसके लिये शुद्ध रास्ता भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने का हो सकता है लेकिन अगर दुनिया में कोई ऐसी पार्टी हो कि जो सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अख्तियार करे तो फिर उसका मुकाबला बन्दूक से ही करना होता है । अगर वह पार्टी हार गई तो ठीक है नहीं तो वह गवर्नमेंट के हार जाने पर उसका कब्जा हो जाता है। अगर पार्टी हार जाती है तो फिर उस देश से वह बाहर निकल जाती है और फिर वह एक इन्टर नेशनल रूप ले लेती है और तब दूसरे देश वाले उनके साथ राजबन्दी का व्यवहार करते हैं और स्वतन्त्र देशवाला व्यवहार उनके साथ होता है। लेकिन उस आर्म रिवोल्ट की बात छोड़ दीजिये। जो लोग किसी देश में हथियार से काम लेने वाले हैं और दबे तरीके से छिपे तरीके से, किसी आदमी को मार दें तो मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को अच्छी तरह से सोचे। हमारा देश स्वतंत्र है और ऐसे आदमी हमारे देश में रहते हों और इस प्रकार की वह बातें करें तो फिर उनका मुकाबला कानून से कैसे किया जा सकता है। यह हो सकता है कि कोई ऐसी पार्टी हो कि जिसका यह सिद्धान्त हो कि वह डिमोक्रेसी में विश्वास न रखते हों क्योंकि वह समझते हैं कि हम वोट के बल पर गवर्नमेंट को बदल नहीं सकते। जिनका विश्वास दूसरा है और जो सेबोटाज या तोड़-फोड़ के तरीक़े को पसन्द करते हैं या और इसी तरह के दूसरे तरीक़ों को पसन्द करते हैं अगर दुर्भाग्यवश उनके हाथ में शक्ति आ जाय या शासन आ जाय तब तो सारी डेमोक्रेसी खत्म हो जायगी। और वही तरीक़ा वहां बरता जायगा जो आज उन देशों में है जहां डिक्टेटरशिप है। उन देशों की बात दूसरी है लेकिन आज जो लोग और जो देश डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं उनको सोचना चाहिये कि क्या हम सचमुच ऐसी चीज का समर्थन कर सकते हैं कि जो लोग इन्डिविजुअल वायलेन्स करते हैं, यहां काटना मारना तोड़ना-फोड़ना कहीं बिजली घर को बन्द करा दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो इस तरह की चीजों को जो भी डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है वह कभी किसी तरह से नहीं मान सकता है और न उनका समर्थन कर सकता हैं। तब फिर वही एक तरीका रह जाता है जिसमें नानवायलेंस के साथ जो राजनैतिक आन्दोलन चलाये जाते हैं। कुल कानून की किताब में दो चार ही सेक्शन ऐसे हो सकते हैं जिनको हम राजनैतिक कह सकते हैं । एक दफा है १२४ जो ऐडीशन वाली है वही करीब करीब घुमा फिरा कर राजनैतिक जुर्म में आती है और इसके अलावा वो एक हैं बाकी कोई सेक्शन उसमें ऐसे नहीं है जिसमें राजनैतिक जुर्म आता हो । सेक्शन के जरिये से तो यह एक ही तरीका है जिसमें कहा जा सकता है कि अमुक आदमी राजनैतिक बन्दी माना जायगा । इसके अलावा एक ही तरीका व्यवहारिक हो सकता है और वही तरीका बरता भी जा सकता है और वही तमाम सभ्य देशों में जो डेमोक्रेटिक तरीका है बरता भी जाता है और वह तरीक़ा यह है कि अगर वह आदमी जो अपराध करता है अगर वह कोई माना हुआ आदमी है या वह हमेशा राजनैतिक काम करने वाला आदमी है जो ठीक तरीके से राजनैतिक आन्दोलनों में काम करता है तो अगर उस आदमी के हाथ से कोई ऐसा काम हो जाता है तो उस आदमी को सरकार पोलिटिकल बन्दी की तरह ट्रीट करती है लेकिन कानून की धाराओं को कभी भी राजनैतिक कानून अलग से नहीं कहा जा सकता है, राजनैतिक कैदियों का सा बर्ताव किया जा सकता है। गवर्नमेंट का एक साल्ट

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

ऐक्ट था और जो भी उस कानून को तोड़ता था तो वह एक नानपोलिटिकल क़ानून को तोड़ता था, वैसे कानूनन यह ऐसे ही था। जैसे कोई खजाने से रुपये की चोरी करे लेकिन डन्डी में चूंकि उस काम को एक पोलिटिकल ग्रुप ने किया था और निश्चित प्रोग्राम देकर किया था इसलिये उस समय की सरकार ने यह नहीं देखा कि उनके लिये कोई पोलिटिकल दफा है या नहीं लेकिन चूंकि उस काम को पोलिटिकल काम करने वालों ने किया था और जाने बूझे तरीक़े से खुले आम एक पोलिटिकल उद्देश्य को लेकर किया था इसलिये गवर्नमेंट को उसको पोलिटिकल दफा की तरह ही मानना पड़ा। यही तरीका बरता जा सकता है और कोई दूसरा तरीका और हो नहीं सकता। जिनका राजनैतिक उद्देश हो, उसके मुताबिक जाने बूझे उनके प्रिन्सिपिल हों, घोषणा करके कोई काम किया गया हो तो उससे गवर्नमेंट भी मजबूर हो सकती है कि दूसरी दफाओं को छोड़ कर उनके साथ पोलिटिकल बन्दी का सा बर्ताव किया जाय। मैं इस बिल के ब्यारे में नहीं जाता लेकिन जो परिभाषा इसमें दी हुई है राजनैतिक बन्दी की वह इतनी ग़लत है और इतनी असन्तोषप्रद है कि उसके हिसाब से सब चीज गड़बड़ हो जाती है। उसमें उन्होंने दिया है कि "किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य, रहा हो "रहा हो" है, इसमें "है" भी नहीं। चाहे अब हो या न हो कभी भी रहा हो। ऐसी चीज जब कानून में होगी और उसका इन्टरप्रिटेशन होगा और वकील लोग उस पर बहस करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और ग़लत चीज इसमें है कि किसान मजदूर ...

श्री अध्यक्ष—क्या आप अभी और समय लेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी ५-७ मिनट और लेना चाहता था।

बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला बेवरिया)—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह बिल पारित न हो जाय तब तक आज यह सदन बैठा रहे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन तब तक अभी और बैठे जब तक यह प्रस्ताव जो सदन के सामने है इसका निश्चय नहीं होता है और इस बिल के सम्बन्ध में जो कार्य है वह समाप्त न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
६ जनवरी, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर)

No. A-5295/XV--1592-52.

From

Sri A. N. Sapru, I.C.S.,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh,

To

The Director of Education,
Uttar Pradesh.

Dated Lucknow, September 13, 1952.

Subject :—Extension of Fee concession in Scarcity Areas.

Sir,

In continuation of G. O. No. A-2508/XV--1592-52, dated June 3, 1952, I am directed to say that after careful consideration, the Governor has been pleased to authorise the District Magistrates to extend the scope of concession of freeship and half-freeship to 20% under paragraph 115 and 30% under paragraph 116 of the U. P. Educational Code in case of students reading in schools and colleges of any Eastern district or any part thereof, wherein scarcity conditions prevail and the District Magistrate concerned is satisfied that the above concession is necessary. *Education (A) Department.*

2. The concession in the preceeding paragraph is allowed as a temporary measure only for the period during which scarcity condition prevail in the current financial year. This concession will be applicable in Government and non-Government schools and colleges, both boys and girls.

3. The loss of fee income in non-Government schools, will not be reimbursed to the schools and colleges.

Yours faithfully,
A. N. SAPRU,
Secretary.

No A-5295 (i)/XV--1592-52.

Copy forwarded for information and necessary action to :—

(1) The District Magistrate, Gonda, Bahraich, Gorakhpur, Deoria, Azamgarh, Mirzapur, Banaras.

(2) The District Inspector of Schools of the above named districts.

(3) Deputy Director of Education of Regions and Regional Inspectresses of Banaras and Lucknow regions.

(4) Scarcity Department, Secretariat, Lucknow.

(5) Education (B) Department with a copy of the G. O. referred to.

By order,
(Sd.) A. N. SAPRU,
Secretary.

No A-5295 (ii)/XV--1592-52.

Copy also forwarded for information to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.

By order,
(Sd.) A. N. SAPRU,
Secretary.

No. A-2508/XV—1592/52.

From

Sri A. N. Sapru, I.C.S.
Secretary to Government,
Uttar Pradesh,

To

The Director of Education,
U. P. Lucknow.

Dated Lucknow, June 3, 1952.

Sir,

Education (A) Department.

With reference your endorsement no. CD/G(1)/213, dated April 25, 1952, I am directed to convey the sanction of the Governor to the extension of the concession of freeship and half freeship to 20% under para 115 and 30% under para 116 of the U. P. Educational Code, in case of students reading in schools and colleges of Basti district on account of the prevailing scarcity, as allowed by you in your letter no. C. D./G(1)/213, dated April 25, 1952.

2. The Governor has further been pleased to relax note below para 109 to the extent that fees for April, May and June may be realised in easy instalments.

3. The Concession allowed in the preceeding paras is allowed as a temporary measure till the prevailing scarcity. The loss of fee income will not be reimbursed.

Yours faithfully,
(Sd.) A. N. SAPRU,
Secretary.

No. A-2508 (1)/XV—1592-52.

Copy also forwarded for information to the Accountant General, U. P., Allahabad.

By order,
(Sd.) A. N. SAPRU,
Secretary.

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९५ पर)

ग्राम जरार, बाह क्षेत्र की एक बड़ी अनाज की मंडी है। २८ दिसम्बर की शाम को ७ १/२ बजे यह मंडी खुली हुई थी। पैट्रोमैक्स की लालटेनें जली हुई थीं और काफी लोग काम कर रहे थे। अचानक चरना और लखन सिंह के सम्मिलित गिरोह ने बाजार में पश्चिमी दिशा से प्रवेश किया। उन्होंने बाजार के हर कोने पर अपने सशस्त्र दस्ते नियुक्त कर दिये और अपना काम शुरू कर दिया।

लखन सिंह अपने दो तीन अन्य साथियों के साथ सीधा श्री प्यारे लाल की दूकान में गया और उनके २० वर्षीय पुत्र दीताराम को कमरे के अन्दर से घसीट लाया। श्री प्यारेलाल ने लखन सिंह को पहिचान लिया और उससे अपने पुत्र को छोड़ने के लिये प्रार्थना की परन्तु उसने उनको फटकार दिया। गिरोह के अन्य लोग मंडी में घूमे और श्री ज्वाला प्रसाद जिनकी उम्र ५५ वर्ष की थी, तथा उनके भाई ४५ वर्षीय, श्री सीताराम को उनकी दूकान से पकड़ लिया। उन्होंने मंडी से श्री रामनारायण और श्री ओमप्रकाश को भी जिनकी उम्र बाइस-बाइस वर्ष की थी पकड़ लिया।

इस गिरोह के सशस्त्र दस्तों ने तब बन्दूकों से कुछ फायर किये और पूरा गिरोह उन पांच आदमियों को गांव के बाहर पकड़ ले गया। गांव से चलने के पूर्व उन्होंने पेंसिल से लिखे हुए दो परचे छोड़ दिये जिनमें लोगों को आगाह किया था कि प्रत्येक पकड़े गये व्यक्ति के लिये पचास-पचास हजार रुपया देना होगा। वे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए और "बजरंग बली की जय" के नारे लगाये। फिर कुछ बंदूकों से फायर करने के बाद चल दिये।

संसद पुस्तकालय